इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इन्दिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
समाज कार्य विद्यापीठ

MSW-005
lekt dk;l dk
ifjp;kRed Hkkx

खंड

4

fofHkUu ifjo'kk e lekt dk;l ifjp;kRed

bdkbZ 1
0;fDr] ifjokj vkj lenk; 5

bdkbZ 2
fpfdRlk] eukfpfdRlk vkj cky n[kHkky 20

bdkbZ 3
f'k{kk vkj vuqla/kku 41

bdkbZ 4
l/kkjkRed lsok,a 59

bdkbZ 5
fuxfer {ks=]nkrk laLFkk,a vkj xSj-ljdkjh laxBu 76

विशेषज्ञ समिति

(स्व.) प्रो. सुरेंद्र सिंह
पूर्व कुलपति
काशी विद्यापीठ, वाराणसी

प्रो. संजय भट्ट
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ. लीना मेहता
एम.एस. विश्वविद्यालय
वड़ोदरा

प्रो. थॉमस कलाम
सेंट जोन्स मेडिकल कालेज
बैंगलोर

डॉ. जोसफ जेवियर
भारतीय सामाजिक संस्थान
बैंगलोर

डॉ. अर्चना दास्सी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

डॉ. मुकुल श्रीवास्तव
डॉ. बी.आर. अंबेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा

डॉ. उषा जॉन
लोयला कालेज
त्रिवेंद्रम

डॉ. बीना एंथोनी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ. ज्योति कक्कड़
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

डॉ. रंजना सहगल
इंदौर समाज कार्य विद्यापीठ,
इंदौर

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. अंजलि गांधी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

विशेषज्ञ समिति ¼l¡'kk/ku½

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

श्री जोसेलिन लोबो
रोशनी निलाया
मंगलौर

डॉ. रोज नेम्बियाकिम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. डी.के. लाल दास
आर. एम. कालेज,
हैदराबाद

डॉ. रंजना सहगल
इंदौर समाज कार्य विभाग
इंदौर

डॉ. सौम्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. पी. के. घोष
समाज कार्य विभाग
विश्व भारती विश्वविद्यालय
शांति निकेतन

डॉ. आशिया नसरीन
समाज कार्य विभाग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

डॉ. जी. महेश
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. सी. पी. सिंह
समाज कार्य विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

डॉ. विष्णु मोहन दास
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली

डॉ. एन. रम्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

ikB;Øe fuekZ.k ny

bdkbZ l¡;kstd

डॉ. हेमलता के., सुश्री सुषमा मूर्ती,
सुश्री मंजु गुप्ता, श्री जोसलिन टी. लोबो,
सुश्री संगीता धर, श्री जोसफ वर्गीज़

[kM l¡ikndh

श्री पी. के. गांधी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

ikB;Øe l¡ikndh ,oa कार्यक्रम संयोजक

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

ikB;Øe fuekZ.k ny ¼l¡'kks/ku½

bdkbZ y¡[kd

डॉ. हेमलता के., सुश्री सुषमा मूर्ती,
सुश्री मंजु गुप्ता, श्री जोसलिन टी. लोबो,
सुश्री संगीता धर, श्री जोसफ वर्गीज़

ikB;Øe संयोजक

डॉ. सौम्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

कार्यक्रम संयोजक

डॉ. सौम्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

eq¡.k i¡Lrfr

श्री. कुलवंत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

जून, 2019 (संशोधित संस्करण)

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2008

ISBN-978-81-266-3990-8

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, समाज कार्य विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।
लेजर कम्पोजिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक सेक्टर 2, द्वारका), नई दिल्ली–110059

खंड परिचय

क्षेत्र कार्य प्रैक्टिकम समाज कार्य का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह विद्यार्थी को कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें विद्यार्थी को विभिन्न परिवेशों/व्यवस्थाओं में प्रचलित समस्याओं तथा जरूरतों से परिचित होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। और उन्हें समस्याओं से निपटने के लिए तैयार भी किया जाता है। विभिन्न परिवेशों में समाज कार्य प्रैक्टिकम नामक प्रस्तुत खंड में पाँच इकाइयाँ हैं जो आपको समाज कार्य अभ्यास के कुछ सामान्य परिवेशों में आपकी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में जानने में मदद करेंगी।

प्रथम इकाई में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के साथ क्षेत्र कार्य अभ्यास का वर्णन किया गया है। इस इकाई का लक्ष्य आपको परिवार के साथ समाज कार्य का अभ्यास करने में मदद करता है ताकि आप परिवार की जटिल समस्याओं में कौशल लागू करने से पूर्व तैयारी कर सकें। समुदाय परिवेश में आपको समुदाय के मूल्यों तथा प्रथाओं से अवगत होना चाहिए इत्यादि बातों की जानकारी भी इस इकाई में दी गयी है।

इकाई 2 "चिकित्सा, मनोचिकित्सा और बाल देखभाल" पर है इसमें स्वास्थ्य देखभाल परिवेश, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और बाल देखभाल परिवेश में समाज कार्य अभ्यास की प्रकृति, का वर्णन किया गया है। यह इकाई विद्यार्थियों को इस तथ्य से अवगत कराती है कि क्षेत्र में विविधता है तथा निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है अतः उन्हें परिवर्तनशील परिदृश्य में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इकाई 3 "शिक्षा और अनुसंधान" पर है। इसमें विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में क्षेत्र कार्य अंतःक्षेप के लिए अवसरों का पता लगाया गया है जहाँ विद्यार्थी और युवा लक्ष्य होते हैं। इस इकाई में सामाजिक अंतःक्षेप और मानव सेवा कार्यक्रमों की उपयोगिता का निर्धारण करने वाले समाज कार्य अनुसंधान और मूल्यांकन अनुसंधान की भी चर्चा की गई है।

इकाई 4 सुधारात्मक सेवाओं पर आधारित है जिसमें वर्णित किया गया है कि, सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अंश है जिसके द्वारा समाज जनता की सुरक्षा चाहता है, अपराधियों को सजा दिलवाना चाहता है, व्यवहार में बदलाव लाना चाहता है और कुछ मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाना चाहता है इस दिशा में बॉन "सुधारात्मक सेवाएँ" निर्मित की गईं। इसमें सुधारात्मक सेवाओं की परिभाषा और इन सेवाओं के अस्तित्व संबंधी दर्शन, सुधारात्मक सेवाओं के विकास का इतिहास, सुधारात्मक और प्रशासन तथा सुधारात्मक समाज कार्य का वर्णन किया गया है।

हाल ही में हमने देखा कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को कारपोरेट, दाता संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जा रहा है। **अंतिम इकाई** में निगमित क्षेत्र, गैर-सरकारी संस्थाओं और दाता संस्थाओं में क्षेत्र कार्य की संभावना व कार्यक्षेत्र का वर्णन है। इस खंड की पाँचों इकाइयाँ आपको भारतीय संदर्भ में विभिन्न परिवेशों में क्षेत्र कार्य अभ्यास से संबंधित अनिवार्य जानकारी प्रदान करेंगी।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 1 0;fDr] ifjokj vkj lewg

* के. हेमलता, सुषमा मूता

bdkbZ dh :ijs[kk

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 व्यक्ति के साथ क्षेत्र कार्य अभ्यास

1.3 परिवारों के साथ क्षेत्र कार्य अभ्यास

1.4 समुदाय के साथ क्षेत्र कार्य अभ्यास

1.5 सारांश

1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1-0 mís';

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- विभिन्न स्थापनाओं (settings) जैसे व्यक्ति, परिवार और समुदाय में क्षेत्र कार्य के (field work) व्यावहारिक भाग (practicum) के अवसरों को जान सकेंगे; और
- इन स्थापनाओं में विद्यार्थियों की भूमिका को समझ सकेंगे।

1-1 çLrkouk

समाज कार्य का व्यावहारिक भाग स्वरूप, समाज कार्य पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। यह समाज कार्य कौशलों के अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराता है। प्रत्येक स्थापना में विद्यार्थी का समस्याओं और आवश्यकताओं से साक्षात्कार होता है और वह आवश्यक कौशल के साथ इन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है। यहाँ पर हम विभिन्न स्थापनाओं में क्षेत्र कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं।

1-2 0;fDr dk lkFk {ks= dk;Z vH;kl

व्यावसायिक शिक्षा इसके कौशलों (skills), प्रणालियों (methods) और कार्यनीतियों (strategies) के क्षेत्र में लागू करने और उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है। समाज कार्य शिक्षा में क्षेत्र कार्य घटक सभी विद्यार्थियों को कक्षा में शिक्षण के साथ vH;kl (practice) करने का अवसर भी प्रदान करता है। विद्यार्थी अपने संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण में व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के साथ कार्य करते हुए अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित करते हैं। विद्यार्थी प्रथम अवलोकन और भागीदारी के माध्यम से वास्तविक अभ्यास को आत्मसात करने और उसके सूक्ष्म भेद को समझने में समर्थ होते हैं। यह सुविधाएँ विद्यार्थियों को क्षेत्र स्थापना में अभ्यास के साथ समाज कार्य के सैद्धान्तिक भागों के बीच संबंधों को समझने व ग्रहण करने में सहायक होती हैं।

* डॉ. के. हेमलता, क्राइस्ट कॉलेज, बैंगलोर, सुश्री सुषमा मूर्ती, क्राइस्ट कॉलेज, बैंगलोर

{k= dk;l d mÌ'; **(Objectives of field work)**

- यह विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में व्यावसायिक विकास के लिए पर्यवेक्षीय मार्गदर्शन के अंतर्गत जीवन की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण शिक्षण अनुभव उपलब्ध कराना है।
- व्यावसायिक स्व-विकास और स्व-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में विद्यार्थियों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए पोषण प्रेरित करना है।
- समाज कार्य की सभी प्रणालियों के अभ्यास में विद्यार्थियों के कौशलों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना।
- क्षेत्र अभ्यास के साथ कक्षा में शिक्षण को एकीकृत करना है।
- समस्या समाधान के लिए कौशलों को विकसित करना।

विद्यार्थियों को क्षेत्र कार्य के माध्यम से प्रभावी शिक्षण अनुभव प्राप्त होना चाहिए। क्षेत्र कार्य के उद्देश्यों को उस समय क्रियान्वित किया जाता है जब प्रयोगात्मक शिक्षण के कुछ मापदण्डों को क्षेत्र स्थापन में लागू किया जाता है जैसे कि:

- क्षेत्र कार्य के दौरान शिक्षण अनुभवों का निष्पादन करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि वे क्षेत्र कार्य के दौरान उस प्रकार का व्यवहार कर सकें जो क्षेत्र कार्य के उद्देश्यों में समाहित है।
- विद्यार्थियों को उद्देश्यों के माध्यम से विषय के प्रकारों से व्यवहार या अभ्यास करने के अवसर दिए जाने चाहिए।
- क्षेत्र अनुभव का कार्य विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए चाहे वह वैयक्तिक सेवार्थी के साथ कार्य करने का हो या फिर समुदायों के साथ काम करने का विषय हो।
- विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव के आधार पर क्षेत्र कार्य शिक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रत्येक सत्र में विद्यार्थियों को तकनीकों और कौशलों के प्रयोग में विस्तार व बढ़ी हुई क्षमता का प्रदर्शन का अवसर दिया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों के क्षेत्र कार्य अनुभव से उनके अपने विषय में अवधारणा तथा व्यावसायिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सहायक होना चाहिए।
- विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण निष्पादन के सभी आवश्यक पक्षों को समझने तथा विषय के सभी भागों में संतुष्टि प्रदान करने में क्षेत्र अनुभवों का सहायक होना आवश्यक है।
- विद्यार्थियों को क्षेत्र स्थापन नियोजन के माध्यम से प्रशिक्षण (सीख) की निगरानी और लगातार पुनर्निवेशन से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

0;fDr;k d lkFk {k= dk;l

वैयक्तिक समाज कार्य के संबंध में यह माना जाता है कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार और विभिन्न प्रकार से जाँच किए गए दृष्टिकोणों के आधार पर व्यवस्थित तरीके से व्यक्ति की सहायता करता है। हेलन हैरीस पर्लमैन (1957) ने एक "समस्या" के साथ "व्यक्ति" जो एक अभिकरण के पास सहायता के लिए जाता है और उसे वहाँ से सहायता प्राप्त होती है, की शर्तों में व्यक्ति के साथ कार्य करने की प्रक्रिया

को समझने का प्रयास किया है। वे व्यैक्तिक समाज कार्य के चार मूल घटकों की रूपरेखा व उनका विवरण प्रस्तुत करने में सफल रही हैं। ये घटक हैंः व्यक्ति, समस्या, स्थान और प्रक्रिया।

क्षेत्र अनुभव का संबंध व्यक्ति की सहायता से होता है, और विद्यार्थी को उस "स्थान" पर स्थापन करना होता है जहाँ पर अभिकरण मौजूद है, यहीं पर उसे व्यक्ति के साथ–साथ किस प्रकार काम करना है, उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करना है।

व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या का समाधान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और जिसका हल व्यावसायिक और सेवार्थी के बीच क्रियात्मक आदान-प्रदान से होगा। इसके अन्तर्गत कार्यकर्ता व सेवार्थी के बीच स्थापित उद्देश्य पूर्ण सम्बन्ध के द्वारा क्रियान्वित समस्त प्रक्रियायें सम्मिलित होती हैं।

व्यैक्तिक समाज कार्य में जो विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहा है उसे अनुभवगत शिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि जब वह विद्यार्थी वास्तविक व्यक्ति/सेवार्थी से उनकी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया में अंतःक्रिया करने का समय आए तो उसे आसानी से हल कर सके।

बोवर्स (1949) वैयक्तिक समाज कार्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि "यह वह कला है जिसमें मानव संबंधों के विज्ञान का ज्ञान तथा व्यक्ति में समाहित क्रियात्मक क्षमता का प्रयोग और सेवार्थी एवं उसके संपूर्ण या उसके पर्यावरण के कुछ हिस्से के बीच अच्छे संयोजन के लिए समुचित सामुदायिक संसाधनों का तालमेल बनाना है।" यह विचार स्पष्ट रूप से विद्यार्थी का वैयक्तिक समाज कार्य अभ्यास के लिए क्षेत्र अनुभव की शर्तों में इसकी आवश्यकता को स्थापित करता है। विद्यार्थी को किसी क्षेत्र में स्थापित करने से पहले ठोस सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करने के साथ विद्यार्थी को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण विद्यार्थी को वास्तविक समस्या की स्थिति में व्यैक्तिक समाज कार्य को पूरा करने के लिए उसकी योग्यता में शामिल क्षमताओं की तैयारी की जानी चाहिए।

0;fDr;k d lkFk {k= vH;kl d fy, f'k{k.k y{;

1) विद्यार्थी को व्यैक्तिक समाज कार्य संकल्पना, घटकों, सिद्धान्तों और तकनीकों का प्रयोग करने के लिए अभ्यास उपलब्ध कराना।

2) विद्यार्थी को उसकी "स्व व्यावसायिकता" की संकल्पना को विकसित करना और इसके विभिन्न प्रयोगों के लिए सक्षम बनाना।

3) समाज व्यैक्तिक समाज कार्य की व्यापक प्रक्रिया अर्थात् भर्ती प्रक्रिया, समस्या का निदान, उपचार योजना निरूपण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन एवं अनुवर्ती कार्यों का निष्पादन करते हुए अनुभव प्रदान करना।

4) रिपोर्टिंग की प्रणाली तथा विद्यार्थी द्वारा रिकार्ड प्रक्रिया के निष्पादन के साथ विद्यार्थी के स्वयं अनुभव प्राप्त करने में सहायता करना। इसमें व्यक्तिगत विवरण, परिवार का विवरण, संदर्भ तथा समस्या प्रस्तुत करने से संबंधित मुद्दों सहित प्राप्त रिकार्ड के सारांश को समुचित ग्रंथाकार के रूप में विकसित करना शामिल है। विद्यार्थी की विशेषताओं जैसे कि जेनोग्राम और इकोमैप के समुचित प्रयोग की जानकारी प्राप्त करता है।

रिकार्ड सत्रों और रिकार्डिंग के सार का ग्रंथकार विकास एवं सार रिकार्डिंग को ग्रंथाकार स्वरूप को विकसित करना विद्यार्थी के लिए आसान हो जाता है।

विद्यार्थियों को विभिन्न स्थापनाओं में व्यैक्तिक समाज कार्य अभ्यास में क्षेत्र और विभिन्नताओं लोगों को सीखना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे क्षेत्र अभ्यास आरंभ करने से पहले व्यैक्तिक समाज कार्य अभ्यास के सिद्धान्त में समुचित मौलिक जानकारियों का जानना नितान्त आवश्यक है। संबंधित संकाय को चाहिए कि वह सेवार्थी से अंतःक्रिया करने से पूर्व विद्यार्थियों को संकल्पनाओं, प्रक्रियाओं और तकनीकों से पुनः अध्ययन कराने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सत्र की सूक्ष्मतम योजना में व्यैक्तिक, व्यक्तिगत और समूह सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए।

dslk@lokFkh;k dk p;u

यह सामान्य अभ्यास है कि अभिकरण स्वयं ही अपने आप विद्यार्थियों को केसों का आबंटन करते हैं, यदि विद्यार्थी चाहता है कि वह स्वयं ही केसों का चयन करें, ऐसी स्थिति में संकाय पर्यवेक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है।

çkjfHkd l=

इस सत्र का प्रयोग प्रायः प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए होता है। अधिकतर विद्यालय सभी आवश्यक सूचनाओं को संग्रह के रूप में व्यापक ग्रंथाकार उपलब्ध कराते हैं। विद्यार्थी इस स्तर पर ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करना सीखते हैं। इस अवस्था में संबंध निर्माण कौशल का प्रभावकारी प्रयोग होना चाहिए। विद्यार्थी साक्षात्कार लेने की औपचारिकताओं से अवगत होता है। विद्यार्थी सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है और सेवार्थी की स्थिति को समुचित रूप से व्याख्या करने के लिए अभिकरण के कर्मचारीगण के साथ समीक्षा करता है।

विद्यार्थी सेवार्थी की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को समझता है। सेवार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विद्यार्थी को व्यैक्तिक समाज की व्यापक वास्तविकताओं को समझने में सहायता करेगी। अनेक बार सेवार्थी का मनोवैज्ञानिक आकलन व्यैक्तिक कार्य अभ्यास के प्रथम चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है।

विद्यार्थियों को व्यैक्तिक समाज के तथ्यों को समुचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए आरेखी (रेखाचित्र) के संबंध में सीखना आवश्यक होता है। जेनोग्राम और इकोग्राम स्वरूप सार प्राप्त करने के एक हिस्से के रूप में समझने से व्यैक्तिक समाज की स्थितिपरक तत्थ्यों को समझने में विद्यार्थी की सहायता करती है।

सेवार्थी के साक्षात्कार के अतिरिक्त प्रारंभिक सत्र में उसके परिवार, पड़ोसियों तथा अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ व्यैक्तिक समाज के प्रासंगिक मुद्दों पर समान्तर साक्षात्कार लेना आवश्यक है। कुछ सत्र साक्षात्कार लेने के लिए नियोजित किए जा सकते हैं तथा उनके संबंध में उनके दृष्टिकोण तथा सुझाव भी माँगे जाने चाहिए।

funku

सेवार्थी के सभी तथ्यों को समझने के लिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह अभिकरण के कर्मचारीगण और संकाय के पर्यवेक्षक के साथ विस्तार से चर्चा करे। विद्यार्थी द्वारा सेवार्थी के आकलन की बारीकियों और उसकी गंभीरता को समझने का कौशल विकसित करना चाहिए। समुचित निदान प्रक्रिया व्यैक्तिक समाज कार्य अभ्यास के केन्द्र में स्थित होती हैं। क्षेत्र कार्य से एक जैसी स्थिति दिखाई देने वाली विविधताओं के समझने में सहायता मिलती है वहीं पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से बचना भी सीखने को मिलता है।

क्षेत्र कार्य अभ्यास द्वारा विद्यार्थी को निदान कारणात्मक निदान निर्माण में सहायता मिलती है। इससे "समस्या" पर विद्यार्थी को पूरी तरह से दृष्टिपात करने का अवसर उपलब्ध होता

है। विद्यार्थी समस्या की विशेषताओं को समझ लेता है जैसे कि अवधि, सतत्ता और इसकी शक्ति, "व्यक्ति" पर इन विशेषताओं के प्रभाव तथा उसके तत्कालीन सामाजिक क्रियाकलाप और इसके परिणामस्वरूप अनउपयुक्त व्यवहार संबंधों के ढाँचा आदि का आकलन करने की संपूर्ण प्रक्रिया को जान लेता है।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को गत्यात्मक (dynamia) निदान के संबंध में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इससे सेवार्थी की समस्याओं में वर्तमान संचालन के दृष्टिकोण के दूसरे पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया, ''समस्या क्या है,'' इसे सिद्ध करने में सहायता मिलती है। समस्या विकसित होने में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और कुछ मामलों में समस्या के विकसित होने में जैविकीय कारकों के भूमिका को समझा जा सकता है।

इससे विद्यार्थी को तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। उसे इस स्थिति में होना चाहिए कि वह स्वयं विभिन्न समाधानों की वैधता और उनके लचीलेपन का निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है और वहीं पर हस्तक्षेप नियोजन क्रियान्वयन के संबंध में वह पूर्ण घोषणा करने में समर्थ हो जाता है। विद्यार्थी को लचीलेपन से अवगत होना चाहिए जोकि प्रारंभिक निदान संभावित निदान प्रस्तुत करता है जिसमें संशोधन का होना संभव होता है और सेवार्थी कार्य अभ्यास की प्रगति के साथ निरूपण प्रक्रिया पारदर्शी व निर्धारित हो जाती है।

mipkjkRed pj.k

विद्यार्थी ज्ञानार्जन के साथ क्षेत्र में जाता है जिसमें उपचार की प्रायः चार श्रेणियाँ होती हैं – समाधानात्मक, पुनर्वास, निरोधात्मक और उन्नयनात्मक। विद्यार्थी को प्रायः यह सलाह दी जाती है कि वह ठोस सेवाओं का प्रबंध करे। वह सामाजिक और भौतिक दोनों ही तरह के पर्यावरण को संशोधित कर सकता है, जिसमें सेवार्थी की स्थिति निर्धारित करने वाली हो सकती है। विद्यार्थी ग्राहक की क्षमताओं को मौजूदा प्रवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के माध्यम से बदल सकता है। विद्यार्थी के भावनात्मक बिन्दुओं पर विशेष प्रकार का दबाव डालकर उसे अच्छा किया जा सकता है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

विद्यार्थी को चाहिए कि वह निरूपण योजना को अंतिम रूप देने से पहले समाधान के मुद्दों के विशेषज्ञों और अपने पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करनी आवश्यक है। विद्यार्थी का सेवार्थी को निर्णयों तक पहुँचने के लिए सहायता करनी चाहिए।

सम्मेलन के दौरान संकाय सदस्य को विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कौशलों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी सहायता की जानी चाहिए। प्रारंभिक चरण में संज्ञानात्मक कौशल, अंतःक्रियात्मक कौशल और मूल्यांकन कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभ्यास के बाद की स्थितियों में समस्या समाधान, निर्णय लेना या करना और वातावरण स्थापना कौशल स्थापित किए जाएँगे। इसी तरह की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा सकेगा जैसे कि अभ्यास से पूर्व अनुकूलनात्मक व्यवहार, समर्थन या गतिशील तकनीकों के प्रयोग को समुचित रूप से समझ लेना चाहिए।

eY;kdu

हस्तक्षेप चरण के पश्चात् विद्यार्थियों को चाहिए कि वे केस को समाप्त कर दें। व्यैक्तिक समाज कार्य मूल्यांकन हस्तक्षेप का आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। यह स्थिति विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। विभिन्न कौशलों, तकनीकों और

सिद्धान्तों के मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों को उनकी गलत धारणाओं को सुधारने में अत्यधिक सहायता कर सकती है।

o;fDrd lekt dk;k d fy, vko';d dk'ky

क्षेत्र स्थापन के दौरान विद्यार्थी को कुछ विशिष्ट कौशलों का सीखना आवश्यक है। व्यैक्तिक समाज कार्य अभ्यास के विभिन्न चरणों में आवश्यक विभिन्न कौशलों का अभ्यास करना तथा आवश्यक गतिविधियों को पूरा करना है।

lEc/k LFkkfir djus dk dk'ky **(Skills in building relationships)** : यह कौशल बहुत ही व्यापक है जिसे व्यैक्तिक समाज कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया संचालन व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से सम्पन्न होता है। यह कौशल का विकास तभी संभव है जब सेवार्थी और उसकी समस्या के प्रति आदरभाव प्रदर्शित करना और उसमें विशेष प्रकार का लगाव और रूचि दिखाने के साथ अभ्यास करना है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह जब व्यावसायिक संबंधों को स्थापित कर रहा हो अथवा संबंधों का निर्माण कर रहा हो, उस समय वह अपने आपको उचित व्यावसायिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए तैयार करे।

leL;kvksa d vUo"k.k e dk'ky **(Skills in exploring problems)** % ;g कौशल सही विवरणों का पता लगाने के लिए जाँच-पड़ताल या "अन्वेषण" से संबंधित है जिससे विद्यार्थी को समस्या को समझने व समस्या में निहित जटिलताओं को जानने में सहायता मिलती है। जैसे ही विद्यार्थी समस्या के विकास के ढाँचे को समझ जाता है, इस के पश्चात् विद्यार्थी को विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है ताकि वह निदान चरण सूत्रबद्ध करते समय सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका व्यापक और महत्वपूर्ण हो जाती है।

lalk/kuksa dh igpku vkj miyC/krk lqfuf'pr djus dk dk'ky **(Skills in locating and accessing resources)** % इसमें यह आवश्यक है कि विद्यार्थी सामग्री तथा गैर-सामग्री संसाधनों की पहुँच को निश्चित करे। यह सामग्री अभिकरण की हो सकती है, या फिर सेवार्थी के परिवार की अथवा यह पर्यावरण से प्राप्त सामग्री हो सकती है।

mipkj fodYiksa dh LFkkiuk dk dk'ky **(Skills in establishing the treatment alternatives)**; यह कौशल विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करती है ताकि सेवार्थी की समस्या का समाधान निकाला जा सके। इस प्रकार इसमें सेवार्थी कार्य करने के लिए विभिन्न तरीकों या प्रक्रियाओं को अपनाता है जिसमें लाभदायक, हानिकारक और सीमाओं की बाध्यताएँ होती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि सेवार्थी को सहायता पहुँचाने के लिए समुचित संचार कौशल का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न कार्य के विभिन्न तरीकों को अपनाते हुए सेवार्थी की समस्या को हल करना चाहिए।

ck/k Á'u 1

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) क्षेत्र कार्य के क्या उद्देश्य हैं?

.....

.....

.....

.....

2) व्यैक्तिक समाज कार्यकर्त्ता के लिए कुछ आवश्यक कौशलों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

1-3 ifjokjksa dk lkFk {ks= dk;Z vH;kl

आधुनिक परिवार समाज कार्य का मूल स्रोत प्रारंभिक मैत्रीपूर्ण पर्यटन संकल्पना में मौजूद है। समाज कार्यकर्त्ता को व्यक्तियों और समूहों के साथ काम करने के अतिरिक्त उसे समस्याग्रस्त परिवारों के साथ भी काम करना पड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि परिवार अब परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हैं, तथा वर्तमान समाज की बदलती माँगों को पूरा करने में लगा हुआ है। यह बच्चों के पालन पोषण सा विवाहित जोड़ों के संबंध, तथा विभिन्न भूमिकाओं में संतुलन सम्बन्धी समस्याओं को जन्म देती है। परिवार समाज कार्य का उद्देश्य परिवारों की विकासात्मक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनकी सहायता करना होता है; तथा उनके कार्यों को प्रभावकारी बनाने में सहयोग करना होता है।

इसलिए, क्षेत्र कार्य के व्यावहारिक भाग के रूप में समाज कार्य प्रशिक्षार्थीयों को ऐसे परिवारों, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है तथा उनकी सहायता के लिए ऐसे परिवारों को अपने क्षेत्र कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है।

समाज कार्य विद्यार्थी जब परिवारों के साथ काम करता है, उन परिवारों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में अपना कार्य करना चाहिए।

विद्यार्थी को परिवारों के साथ अपने क्षेत्र कार्य व्यावहारिक भाग में कार्य करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए:

- lpuk dh igpku rFkk lxg.k djuk

  यह प्रारंभिक चरण है, इसमें प्रशिक्षार्थी को सेवार्थी के व्यक्तिगत विवरणों को एकत्रित करना चाहिए।

- 0;fDrd dh vko';drkvksa dk vkdyu djuk

  प्रशिक्षार्थी को चाहिए कि वह सेवार्थी की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझे। यह तब ही संभव हो सकता है जब वह सेवार्थी और उसके परिवार के संबंध में अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करे।

  प्रशिक्षार्थी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट समस्याओं से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना चाहिए और यदि परिवारों की फाइलें मौजूद हो तो उसको आधार बनाना चाहिए।

- ikfjokfjd thoupØ dh fLFkfr;ksa dk le>uk

  यह विद्यार्थी को परिवार एवं उससे संबंधित समस्याओं की स्थिति को समझने का अवसर प्रदान करती है। इससे इन समस्याओं को निपटाने में आने वाली कार्यनीतियों के प्रयोग को सीखने में विद्यार्थी को सहायता मिलेगी।

- ?kj ij tkuk

समस्या में वृद्धि करने वाले पर्यावरणीय कारकों को समझने के लिए प्रशिक्षार्थी को सेवार्थी के घर पर जाना या दौरा करना नितांत आवश्यक है। यह कार्य कार्यालय में सत्र रखने के बाद किया जाना चाहिए अर्थात् यह कार्य सत्रीय कार्य के अतिरिक्त कार्य है। बहरहाल, यह सलाह भी दी जाती है कि सत्र सेवार्थी के आवास पर ही रख लिया जाए। इससे आपसी संबंधों और सदस्यों के बीच संचार का ढाँचा आदि के आकलन में सहायता मिलेगी।

- tukxke vkj bdkseki **(Genogram and Ecomap)** cukuk lh[kuk

विद्यार्थी को लगातार अपनी गतिविधियों में वृद्धि करते रहना चाहिए जैसे कि जेनोग्राम अथवा इकोमैप के आरेखों के चित्र बनाने का अभ्यास करना, इससे परिवार की अन्तःक्रिया और उसके पर्यावरण के परिदृश्य से विद्यार्थी को समस्या को समझने में सहायता मिलेगी।

- lokFkhi d lkFk lcU/k LFkkfir djuk

प्रशिक्षार्थी को अपने कौशल का प्रयोग सम्पर्क तथा परानुभूति की आपसी समझ बनाने के लिए प्रयोग करना आवश्यक है। प्रशिक्षार्थी को सेवार्थी और उसके परिवार के प्रति सकारात्मक अथवा प्रदर्शित करने के साथ अपनी ओर से किसी प्रकार का निर्णय नहीं थोपना चाहिए। यह सब कार्य अपने पर्यवेक्षक के निकट मार्गदर्शन में सम्पन्न करने की आवश्यकता है।

- xksiuh;rk dk lqj{k.k djuk

प्रशिक्षार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जो लोग समस्या से संबंधित नहीं हैं, उनके समक्ष अपने सेवार्थी की गोपनीयता को संरक्षित करे, किसी भी प्रकार की चर्चा में गुप्त बातों का जिक्र नहीं करना अत्यंत आवश्यक है। सेवार्थी के संबंध में जो भी रिपोर्ट तैयार की जाए उसे गुप्त रखा जाए।

- ifjp;k dkS'ky fodflr djuk

1) ग़ैर-शाब्दिक परिचर्या अथवा उपस्थिति कौशल जैसे कि नेत्र सम्पर्क चेहरे के हावभावों को सावधानी से व्यक्त करना।

2) शाब्दिक उपस्थिति कौशल में दूसरों की बातों को बहुत ही निकटता से ध्यानपूर्वक सुनना, यह मौखिक बातें आंशिक-मौखिक और ग़ैर-मौखिक बातें हो सकती हैं। यह सब शाब्दिक या मौखिक उपस्थिति में शामिल होती हैं।

- lk{kkRdkj yu dk dkS'ky fodflr djuk

एक प्रशिक्षार्थी जब अपने सेवार्थी और उसके परिवार का साक्षात्कार लेता है, उस समय उनकी बताई हुई बातों एवं आँखों देखी स्थिति का साक्षी भी होता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह जिनका साक्षात्कार ले रहा है या ले रही है उनके साथ निकटता से निम्नलिखित प्रक्रियाओं को कौशल के रूप में विकसित करें:

1) सुनना

2) प्रत्येक परिवार के सदस्यों के साथ साक्षात्कार लेते समय मौखिक और ग़ैर-मौखिक संचार करते समय संवेदनशील तथा उनकी इच्छाओं व लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए।

3) प्रभावी समस्या समाधान से संबंधित पारिवारिक कठिनाइयों की पहचान करना।

4) ज्ञान, व्यवहार या प्रवृत्ति तथा पर्यावरणीय स्थितियों को विकसित करना, उससे प्रभावी परिवार की कठिनाइयों के समाधान में सहायता मिलती है।

õ vkdyu lk{kkRdkj e egRoi.k eq ij çdk'k Mkyuk

जब चिकित्सक द्वारा साक्षात्कार पूरा कर लिया जाए, तब प्रशिक्षार्थी को निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए:

1) leL;k इसमें कुछ पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए जैसे कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है, समस्या की स्थिति और समस्या का इतिहास क्या है।

2) ifjokj d vkrfjd dk;l i.kkyh : क्षेत्र कार्य प्रशिक्षार्थी को परिवार के आंतरिक संसाधनों और सहयोग या सहायता की दृष्टि कोण से परिवार की शक्ति को समझना।

- leL;k dh igpku djuk

  परिवार और उसके पर्यावरण के संबंध में एकत्रित की गई सूचनाओं के आधार पर समस्या को पहचान करने का कौशल प्रशिक्षार्थी द्वारा विकसित करना चाहिए।

- y{; LFkkfir dju dk dk;l

  प्रशिक्षार्थी को लक्ष्य स्थापित करने में परिवारों की सहायता करने की कला को सीखना चाहिए। यह परिवार के स्व निर्धारण व इच्छाओं पर निर्भर करता है। इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने की स्थिति में सुविधा उपलब्ध करने वाले चिकित्सक के प्रयासों को प्रशिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए।

- leL;k d nkjku dk;l djuk

  समस्या के दौरान चिकित्सकीय तकनीकों का अवलोकन करना होगा कि यह किस प्रकार से कार्य करती हैं जैसे कि विश्राम तकनीकें, निश्चयात्मक प्रशिक्षण जिनका परिवार के सदस्यों पर प्रयोग करना है। प्रशिक्षार्थी को मूल जीवन कौशलों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन के कौशलों को सीखना चाहिए।

- lekiu djuk **(Termination)**

  प्रशिक्षार्थी को प्रक्रिया समाप्त करना सीखना चाहिए। यह उस समय किया जाए जब परिवार समस्या के दौरान कार्य करने की क्षमता अपनाए और प्रभावकारी समाधान रचनातंत्र को समझ जाए, अथवा विकसित कर ले तथा परिवार स्वयं योग्य बन जाए।

- vuorh dk;l **(Follow up)**

  विद्यार्थी को व्यैक्तिक समाज के संबंध में लगातार ध्यान रखना होगा तथा उसको यह निर्णय करना होगा कि हस्तक्षेप प्रभावशाली हो ताकि समस्या फिर से उत्पन्न न हो जाए।

- fjikfVx djuk **(Reporting)**

  क्षेत्र कार्य प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रिपोर्ट लिखनी चाहिए जिसमें सत्र की सम्पूर्ण जानकारी और विवरण लिखना चाहिए। उसे दैनिक कार्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता तथा आगामी सत्र के लिए उसकी कार्य योजना की रिपोर्ट करने से पहले किए गए दैनिक कार्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

ck/k Á'u 2

fVli.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) परिवारों के साथ कार्य करने हेतु समाज कार्य विद्यार्थी के लिए आवश्यक मार्गदर्शी तत्वों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

1-4 lenk; d lkFk {k= dk; vH;kl

समुदायों के साथ काम करने के संदर्भ में उनके साथ हस्तक्षेप करने की अनेक प्रणालियाँ हैं, जबकि व्यावसायिक परिवर्तन अभिकर्त्ता व्यक्ति, समूहों या संगठनों से बने समुदाय व्यवस्था की सहायता करता है, ये मूल्यों के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के समाधान में नियोजित सामूहिक क्रियाओं में लगे होते हैं।

समुदाय संगठन समाज कार्य अभ्यास की प्रणाली है जो सामुदायिक हस्तक्षेप पर केन्द्रित है। यह प्रणाली उस प्रक्रिया का पालन करती है जिसमें समुदाय की आवश्यकताओं की समझ, समुदाय के विभिन्न भागों जैसे कि संस्थाओं, नेतृत्व–औपचारिक और अनौपचारिक एवं भौगोलिक उपखण्डों के बीच सुविधाओं के अंतःक्रिया के द्वारा 'सम्पूर्ण' समुदाय का विकास शामिल हैं। यह प्रक्रिया आन्तरिक और बाहरी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है जो इसके साथ ही विभिन्न जटिल और कठिन समस्याओं के समाधान करने की शक्ति को सकारात्मक रूप से क्षमताशील बनाती है।

lenk; d lkFk {k= dk; vH;kl dk f'k{k.k y{;

- समुदायों – शहरी, ग्रामीण, आदिवासी की विशेषताओं को समझने के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना।
- समुदायों में जैसे कि लोगों के साथ अन्तःक्रिया, द्वंद प्रबंधन, संसाधन गतिशीलता इत्यादि के कौशल के रूप में अभ्यास के लिए आवश्यक कौशलों को आत्मसात कराना।
- विभिन्न समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना तथा लोगों की शक्तियों का आकलन करना तथा आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध करना।
- हस्तक्षेप नियोजन क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी के महत्व की समझ पैदा करना।

समाज कार्य के अनेक विद्यालयों का मानना है कि सभी विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की विशेषज्ञता प्राप्त करने से पहले अध्ययन के प्रथम वर्ष के दौरान उन्हें समुदायों में काम करने के लिए लगाया जाए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले कुछ मुक्त स्थापनों में क्षेत्र कार्य पूरा करने के लिए व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए। भाषा का ज्ञान और आवश्यक स्थानीय मुद्दों की जानकारी के साथ भौतिक पहुँच और मूल सुविधाओं की उपलब्धता आदि की जानकारी हो।

समाज कार्य विद्यालय प्रायः क्षेत्र कार्य स्थापन करने से पहले स्थान का चयन करने हेतु वहाँ का दौरा करते हैं।

lenk; e: çoa'k djuk ;k tkuk

यह सामान्य व्यावहारिक बातें होती हैं कि विद्यार्थी को कहा जाता है कि वह स्थानीय नगर निगम के कार्यालय या पंचायत समिति के कार्यालय में जाए और वहाँ से समुदाय के संबंध में सूचनाएँ एकत्रित करें। वहाँ पर जनसंख्या, परिवार, रोज़गार या व्यवसाय संबंधी सभी सूचनाएँ कार्यालय में उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय सर्वेक्षण के माध्यम से आँकड़े एकत्र किये जाते हैं जिनमें लिंग, अनुपात, जाति, धर्म, पारिवारिक आय, शैक्षिक स्तर, जनसंख्या का वितरण आदि, इनका भी संग्रह किया जा सकता है।

vko';drk dk vkdyu

समुदाय संगठन अभ्यास समुदाय तुलनात्मक आवश्यकता आधारित मूल्यांकन पर व्यापक रूप से निर्भर करता है। विद्यार्थी समाज कार्यकर्त्ताओं को चाहिए कि वे औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों स्तरों पर और समुदाय की विशिष्ट व्यापक आवश्यकताओं के साथ अंतःक्रिया करने के कौशलों को विकसित करें। विद्यार्थियों को समुदाय की व्यापक सूचनाओं तक पहुँचने या उन्हें प्राप्त करने के लिए सामान्य आधाररेखा सर्वेक्षण बनाने और उसे सूत्रबद्ध करना, सीखना चाहिए। समुदाय की आवश्यकताओं को समझने के लिए स्थानीय नेताओं, समुदाय प्रमुखों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य कार्यकर्त्ताओं से बैठकें करनी चाहिए।

gLr{ksi

हस्तक्षेप कार्यनीतियों का नियोजन करने से पहले विद्यार्थी को समुदाय में विकास प्रक्रियाओं के राजनीतिकरण के विस्तार और समुदाय में मौजूद विषमताओं को समझना नितान्त आवश्यक है। समुदाय के कुछ वर्गों में व्याप्त उदासीनता जैसे मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है। समुदाय संगठन अभ्यास का मूल सिद्धान्त समुदाय को एकीकृत करने में सुविधाएँ उपलब्ध कराना और समुदाय को स्व-सहायता करने के लिए समर्थन करना है। लोगों के सशक्त समूह और संसाधनों को स्वयं समस्या का निर्धारण व हल करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

नियोजन हस्तक्षेप वास्तव में समुदाय में विभिन्न हित समूहों के बीच संचारतंत्र विकसित करना होता है। विद्यार्थी को हस्तक्षेपों/पहलों को अपने हाथों में लेने में सहयोगियों के रूप में सशक्त संरचना के सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए। विद्यार्थियों को विकासात्मक कौशलों को विकसित करने के प्रत्येक तरीके में सहायता करनी चाहिए। समस्या समाधान और अंतःक्रियात्मक कौशलों के माध्यम से विभिन्न सदस्यों के मतभेदों को सुधारने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए। सभी हस्तक्षेप नियोजन के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी की आशा की जाती है। विद्यार्थी को समुदाय में अभ्यास के इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संगठनात्मक कौशलों के साथ–साथ अंतःक्रियात्मक कौशलों पर निर्भर होना चाहिए। क्षेत्र कार्य अभ्यास की सफलता क्षेत्र कार्य के विषयों पर निर्भर करती है जिसे समाज कार्य विद्यालय अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए, प्रभावी समुदाय अभ्यास के लिए विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी प्रशासनिक सिद्धान्तों के अध्ययन के स्थान पर कानूनी ढाँचे को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की ठोस जानकारी अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न सहभागियों की सूची बनाना और उनकी सहायता प्राप्त करना, उसे सुनिश्चित करना विद्यार्थियों और अभ्यासकर्ताओं के लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता

है। अतः क्षेत्र कार्य इन कौशलों के विकास और अभ्यास के अवसरों को उपलब्ध कराता है।

विद्यार्थियों के लिए ज्ञान आधारित प्रशिक्षण समुदाय की अवधारणा संकल्पना और समुदायों की समस्याओं की प्रकृति की उपयुक्त समझ व जानकारी को सम्मिलित करेगा। अध्ययन-निदान-कार्य योजना की समस्या समाधान संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। प्रासंगिक समाज विज्ञान संकल्पना जैसे सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति संरचना और संगठनों प्रगत एवं अव्यक्त कार्य शामिल हैं।

प्रशिक्षण में समुदाय विश्लेषण तकनीकों जैसे कि समुदाय सर्वेक्षण, अध्ययन प्राथमिकताएँ, आवश्यकता आकलन, संसाधनों की पहचान इत्यादि की प्रणालियों को शामिल किया जाना चाहिए।

विद्यार्थी को व्यावसायिक भूमिकाओं को समझना चाहिए जिनका कि समुदाय कार्यकर्त्ता के रूप में निभाना होगा। विशेषकर उसे सामुदायिक भागीदारी के अवसर देने के कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को उन विशिष्ट मानकों को समझना चाहिए जिन्हें व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता समर्थन करते हैं। जैसे कि विभिन्न सामुदायिक समूहों के कार्यकर्त्ताओं के बीच संबंधों आदि। विद्यार्थियों को समुदाय में संचार के औपचारिक तथा अनौपचारिक संजाल को खोजना और उसका प्रयोग करने में प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है।

ज्ञान आधारित जानकारी के अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपने कार्य में उपयुक्त कौशलों और प्रासंगिक प्रवृत्तियों को भी सीखना आवश्यक है।

क्षेत्र में उसे स्वयं अपनी योग्यता को सिद्ध करना है, उसकी भाषा, वस्त्र और व्यवहार को उपयुक्त और सक्षम सिद्ध करना होगा विशेषकर जब वह अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो।

जब वह समुदाय में अन्य भागीदार के साथ कार्य कर रहा हो, वह स्वयं समुदाय सेवा के सामान्य उद्यमी तथा उनके समुदायों की सेवा करने की क्षमता, और विशेषकर अपनी विशेषज्ञता की योग्यता को प्रदर्शित करना होगा।

उसे यह सीखना होगा कि व्यावसायिक दृष्टि से क्या, कब, कहाँ, क्यों तथा किस प्रकार से समुदाय के कार्यों को सम्पादित किए जाए तथा किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सके।

प्रशिक्षार्थी को यह समझने की आवश्यकता है कि समुदाय की सेवा और कार्य एक अभिकरण किसी भी तरह से पूरी नहीं कर सकता है परन्तु एक व्यापक अस्तित्व के एक हिस्से का ही समाधान हो सकता है लोगों की विचारधारा लोगों के विचारों को इस प्रकार से ग्रहण करना है जैसे कि वे लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत विशिष्ट लोग हैं न कि वे अव्यवस्थित और व्यर्थ लोग हैं। समुदाय के कार्यों को केवल वंचित समुदायों के समूहों के रूप में नहीं लेना चाहिए और न ही इस प्रकार के विचार व्यक्त करने चाहिए। समुदायों की विषमताओं अस्तित्व की तरह से समझने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और उनके विशिष्ट समाधान निकालने की आवश्यकता होती है।

विद्यार्थी को चाहिए कि मूल प्रतिबद्धता के साथ में दार्शनिक आधारित समुदाय में भागीदारी की भी आवश्यकता है तथा कार्य सम्पन्न करते समय लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाना भी महत्वपूर्ण है।

कुछ कौशलों की पहचान की गई है जो समुदाय आधारित अभ्यास के लिए प्रासंगिक हैं, ये निम्न प्रकार हैं:

lEc)rk dk dk'ky **(Engagement skills)** % जो लोग कर्मचारी वर्ग, स्थानीय निवासियों, समुदाय के नेताओं के साथ संबंध स्थापित करने में समर्थ होते हैं वे लोग गैर-संरचनात्मक ढाँचे में कार्य कर सकते हैं। कभी–कभी अव्यवस्थित में भी अपना कार्य निष्पादन कर लेते हैं और विपरीत स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं।

lxBukRed dk'ky **(Organisational skills)** % जो लोग संगठनों के निर्माण के रचनातंत्र को समझ लेता है, वह समितियों तथा सार्वजनिक घटनाओं के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं।

fu;kstu vkj uhfr dk'ky **(Planning and policy skills)** % जो लोग मुद्दों और समस्याओं के विश्लेषण से संबंधित होते हैं, वे विशिष्ट को सामान्य और व्यक्तिगत शिकायतों को भी संगठनात्मक तरीके से उनका समाधान और प्रति उत्तर देते हैं।

dk;l dk'ky **(Action skills)** % जो लोग कार्य करने की क्षमता रखते हैं वे विशेष उद्देश्य की ओर ध्यान देते हैं, वे ऐसी स्थितियों में भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जब उनके पास प्रासंगिक सूचना का अभाव होता है, उनके पास कार्यनीति और दाँव पेच का प्रयोग है और वे लोग कार्य पहलों के लिए संभावित कार्यों का कार्यान्वयन करने में सफल हो जाते हैं।

lapkj dk'ky **(Communication skills)**% जो लोग लेखन कार्य और वक्ता के रूप में अन्य लोगों से संचार का माध्यम स्थापित कर लेते हैं वे अपनी क्षमता के बल पर विभिन्न स्थितियों में भी कार्य सम्पन्न कर लेते हैं।

jktuhfrd dk'ky **(Political skills)**% व्यापक सामाजिक, आर्थिक, ढाँचे के साथ स्थानीय पहलों की दृष्टि से परिपूर्ण हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक निर्णय लेने तथा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोणों को समझने तथा केन्द्रित कार्य में परिवर्तन करके अनिवार्य बना देना तथा राजनीति के ढाँचे में काम करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति विषय परिस्थितियों में भी सफल हो सकता है।

fo|kfFkZ;ksa dk eY;kadu

संकाय सदस्यों को विद्यार्थियों के व्यावसायिक उत्थान या विकास को विभिन्न मानकों व कोणों से देखा जाना चाहिए जब वे क्षेत्र कार्य सम्मेलन और सेमीनारों में अपने कार्य का प्रदर्शन कर रहे हों अथवा अपनी भूमिका निभा रहे हों। इस तरह के निरीक्षण से अध्यापकों को सिद्धान्तों के एकीकरण और अभ्यास के प्रति विद्यार्थियों का रूझान और उनकी क्षमता को सशक्त करने के प्रयासों में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे व्यावसायिक नैतिकता तथा मूल्यों को आत्मसात करें और अभ्यास के दौरान अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हुए इन सभी गतिविधियों को अपनी रिपोर्टों में विस्तार से लिखे अथवा इनका रिकार्ड करे।

{k= dk;l fo|kfFkZ;ksa dk ekxZn'kZu djus okyh lsdk; i;Zos{kdksa dh Hkwfedk

- विद्यार्थियों को अभिकरण के लिए उन्नयन (तैयार) करना, अभिकरण और उसके उद्देश्यों तथा सेवार्थी समूहों के साथ उनकी पहचान बनाने में सहायता करना।
- विद्यार्थियों को यह अनुभव कराना कि विद्यार्थियों को जो अवसर अभ्यास कौशलों को सीखने के लिए मिला है, उसका पूरी तरह से लाभ उठाएँ।

- नियमित रूप से सम्मेलन आयोजित किए जाए – सम्मेलन व्यैक्तिक व समूहों के साथ किए जाए वहीं पर विद्यार्थियों को बताया जाए कि वे अपने शिक्षण अनुभवों को एक-दूसरे के भागीदार बनाए।
- विद्यार्थियों में अच्छे कार्य करने की आदत डालें तथा सभी क्षेत्र कार्यों में समय की पाबन्दी का पालन करें।
- विद्यार्थियों के कार्यों का सतत् मूल्यांकन किया जाए चाहे क्षेत्र स्थापन हो तथा संरचित तरीके में व्यावसायिक संवृद्धि हो।

पर्यवेक्षक विभिन्न प्रणालियाँ का प्रयोग कर सकता है जब वह विद्यार्थियों के विकास में सहयोग कर रहा हो जैसे कि व्यैक्तिक और समूह सम्मेलनों, सेमीनारों और नियमित क्षेत्र के दौरे इत्यादि।

व्यक्तिगत सम्मेलन विशुद्ध रूप से विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के बीच आमने-सामने अंतःक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र विशेष ध्यान देने का अवसर देती है, तथा विद्यार्थियों और पर्यवेक्षक के बीच संबंधों के विकास में सहायक होते है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष आने वाली समस्या को सुना जाता है और उसका हल निकालने के ठोस प्रयास किए जाते हैं। विद्यार्थी मूल्यांकन इन सम्मेलनों के दौरान बहुत प्रभावी सिद्ध होता है तथा इन सम्मेलनों को महत्वपूर्ण सिद्ध करता है।

समूह सम्मेलन विद्यार्थियों को एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है, आपसी सहयोग और समन्वय पर चर्चा की जाती है। इस प्रकार के कार्य विद्यार्थी के अनुभवों को सशक्तीकरण प्रदान करता है।

सेमीनार, व्यैक्तिक समाज अध्ययन निर्माण और विभिन्न अभिकरणों और उनके दर्शन से संबंधित साहित्य को विकसित करने में सहायता करते हैं।

विद्यार्थियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक द्वारा क्षेत्र दौरे आवश्यक रूप से निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी अध्यापक और अभिकरण के कार्मिकों के बीच विभिन्न शिक्षण मुद्दों पर तीन तरह से सम्मेलन में चर्चा करना संभव है।

ck/k Á'u 3

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) समुदाय स्थापन में क्षेत्र कार्य अभ्यास के शिक्षण लक्ष्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

1-5 lkjk'k

साक्षात्कार, उपस्थिति, सुनने जैसे मूल कौशलों का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर जब आप व्यक्तियों और परिवारों के साथ कार्य कर रहे हों। बहरहाल, समुदाय सहित सभी समाज कार्य स्थापन बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवार स्थापन में विशिष्ट कौशलों का प्रयोग संबंधों का आकलन, चिकित्सीय सलाह को लागू करना और लक्ष्य स्थापन में

किया जाता है। यह विद्यार्थी के संयुक्त या फिर व्यक्तिगत सत्र के जैसी भी स्थिति हो, पारिवारिक परामर्श का कार्य करने के लिए उसे समर्थ व सक्षम बनाता है। फिर भी विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परिवार की समस्याएँ जटिल होने की स्थिति में परिवार स्थापन में इन कौशलों को लागू करने से पहले परिपक्वता को आवश्यक रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए।

समुदाय स्थापन में काम करने से आपके कौशलों की परीक्षा की व्यापक अवसर प्राप्त होता है। यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि विद्यार्थी को समुदाय के साथ कार्य करते समय समुदाय की मूल्य प्रणाली के प्रति संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी की अपनी मूल्य प्रणाली उनसे भिन्न हो सकती है।

1-6 dN mi;kxh iLrd

बाइस्टेक फिलिक्स पी. (1957), *दि केसवर्क रिलेशनशिप*, अलेन एण्ड अनविन लिमिटेड।

कालीन्स डोनाल्ड, जोर्डन कैथलीन, (1999), *एन इंट्रोडक्शन टू फैमिली सोशल वर्क*।

हैमिल्टन, गोर्डन (1951) थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ *सोशल केसवर्क*, न्यूयॉर्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस।

पर्लमैन एच. एच. (1957), *सोशल केसवर्कः ए प्राब्लम सोलविंग प्रोसेस*, दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो।

रोस, मैरी जी., (1967), *कम्युनिटी आर्गनाइजेशन, थ्योरी, प्रिंसिप्लस एण्ड प्रैक्टिस*, हार्पर एण्ड रॉ पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 2 fpfdRlk] eukfpfdRlk vkj cky n[kHkky

* मंजु गुप्ता

bdkbZ dh :ijs[kk

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 स्वास्थ्य देखभाल परिवेशों में समाज कार्य अभ्यास

2.3 स्वास्थ्य देखभाल परिवेशों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भूमिका और दायित्व

2.4 स्वास्थ्य देखभाल समाज कार्य में अभ्यास-क्षेत्र

2.5 बाल देखभाल परिवेशों में समाज कार्य अभ्यास

2.6 सारांश

2.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2-0 mÌs';

इस इकाई का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और बाल देखभाल स्थापनाओं में समाज कार्य अभ्यास की जानकारी प्रदान करना है। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आपः

- अपने संबद्ध क्षेत्रों में अभ्यास करते हुए बच्चों, परिवारों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता और समुदाय के साथ प्रभावी रूप से काम करने के लिए अनिवार्य कौशलों, मूल्यों और विधियों की बेहतर जानकारी हासिल कर सकेंगे;
- इन परिवेशों (settings) में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भूमिकाओं और दायित्वों को जान सकेंगे; और
- इन स्थापनाओं में समाज कार्य व्यावसायिकों के लिए अवसरों (कार्यक्षेत्र) का निर्धारण कर सकेंगे।

2-1 çLrkouk

समाज कार्य उन व्यक्तियों के लिए व्यवसाय (क्षेत्र) है जो लोगों के जीवन को सुधारने व बेहतर बनाने में मदद करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता व्यक्तियों को उनके माहौल में बेहतर रूप से काम करने, अपने संबंधों से निपटने (व्यवहार करने) और व्यक्तिगत व पारिवारिक समस्याएँ सुलझाने में सहायता करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल में निरंतर होने वाली वृद्धि, मांगों और परिवर्तनों ने स्वास्थ्य देखभाल और बाल कल्याण व विकास के स्थापनाओं सहित सभी क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की ज़रूरत और जीवन क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाला है। व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल उचित समय पर, व्यापक और न्यायसंगत पहुँच (सुविधा) में पर्याप्त अंतर है, इनमें आबादी के अधिकांश वर्गों तक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा सीमित ही है। बच्चों के उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और सहभागिता अधिकारों को सुनिश्चित करना समाज कार्य व्यवसाय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

आजकल, स्वास्थ्य देखभाल समाज कार्यकर्त्ता विविध परिवेशों में विभिन्न सांतत्यक देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हैं। समाज कार्यकर्त्ता जन स्वास्थ्य, गंभीर और दीर्घकालीन

* सुश्री मंजु गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

देखभाल में सम्मिलित होते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा संकटकालीन हस्तक्षेप सहायक परामर्श और व्यैक्तिक समाज प्रबंधन सहित विविध सेवाएँ प्रदान करते हैं। व्यक्तियों और समुदायों के कल्याण पर प्रभाव डालने वाले शारीरिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय कारकों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य होने के कारण व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ताओं की स्वास्थ्य देखभाल दोनों का अत्यधिक अभ्यास होता है।

बाल कल्याण में समुदाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ न उठा पाने वाले – सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कारणों से अपंग बच्चों की ज़रूरतों का समग्र परिक्षेत्र (entire spectrum) शामिल हैं। इस तरह बाल कल्याण कार्यक्रम में इन बच्चों के परिवारों को सहायक सेवाएँ प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि बच्चों के कल्याण के लिए समाज व राज्य का नैसर्गिक दायित्वों में परिवार की सहायता उनके महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों में से एक है। बाल कल्याण सेवाओं के निरोधात्मक (preventive), संवर्धनात्मक (promotive), विकासात्मक (developmental) और पुनर्वासात्मक (rehabilitative) स्वरूप के विभिन्न पहलू हैं।

2-2 LokLF; n[kHkky ifjo'kk e lekt dk;l vH;kl

समाज कार्य व्यवसाय के शुरुआती सरोकार में निर्धनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा क्षय रोग जैसे संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाली सामाजिक स्थितियों को सुधारना था। जैसे-जैसे समाज कार्य की भूमिका विस्तृत होती गई समाज कार्यकर्ता अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए अन्य स्वास्थ्य व्यवसायों में शामिल हो गए। आज स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के प्रत्येक घटक में समाज कार्यकर्ता को देखा जा सकता है।

व्यक्ति के आत्म-निर्णय के अधिकार को प्रोत्साहित करने से व्यक्ति के प्रति परानुभूति का दृष्टिकोण रखना, समाज कार्य के मूलभूत मूल्य हैं जो समाज कार्य अभ्यास की बुनियाद है। स्वास्थ्य देखभाल में दुविधाओं का सामना करने या ज़रूरतों के दौरान समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को वहाँ प्रयोग अथवा उन विषयों में प्रयोग कर सकते हैं जहाँ सेवार्थी ने ऐसे मुद्दों का सामना किया हो। समाज कार्यकर्ताओं में सांस्कृतिक जागरूकता और सांस्कृतिक क्षमता के कौशल होते हैं जिनमें समाज कार्य अभ्यास में आदरपूर्वक सभी संस्कृतियों, भाषाओं, वर्गों, नस्लीय पृष्ठभूमियों, योग्यताओं, धर्मों, कार्य प्रवृत्ति और व्यक्ति के पाए जाने वाली अन्य विविध विशेषताओं की योग्यता और गरिमा के प्रति अनुक्रिया करते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं। समाज कार्यकर्ता परिवेश के अंतर्गत व्यक्ति को तथा पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अनुभव को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अवलोकन करता है। समाज कार्यकर्ता स्वास्थ्य देखभाल के वृहद (macro) और सूक्ष्म (micro) स्तर पर अभ्यास करता है और इस तरह उसने स्थानीय, राज्य और केन्द्र स्तरों पर देखभाल प्रणालियों के अंतर्गत नीति परिवर्तन और विकास की योग्यता विकसित होती है। स्वास्थ्य देखभाल में समाज कार्य शोध न केवल व्यक्तियों और परिवारों को लाभान्वित करता है बल्कि व्यवसाय के अस्तित्व महत्व और मान्यीकरण भी इससे लाभान्वित होता है।

2-3 LokLF; n[kHkky ifjo'kk e lkekftd dk;ldÙkkvk dh Hkfedk vkj nkf;Ro

जन स्वास्थ्य के कार्य क्षेत्र में समाज कार्यकर्ता रोगियों के लिए उपचार योजनाएँ तैयार करने, सहायक संसाधनों का पता लगाने और परामर्श सेवाओं को सुगम बनाने के लिए

बहुमूल्य संसाधन हैं। सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्वास्थ्य संगठनों और संस्थानों के तत्वाधान में समाज कार्यकर्ता प्रायः मानसिक स्वास्थ्य निर्धारक, उपचार और अल्पकालिक या जारी (ongoing) व्यैक्तिक समाज प्रबंधन सहित व्यवहारात्मक और समाज निर्धारक (मूल्यांकन) प्रदान करते हैं। समाज कार्यकर्ता को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग या किशोरावस्था में गर्भवती होना (गर्भधारण करना) (teen pregnancy) जैसी समस्याओं पर कार्य करने के लिए लोगों, आस-पड़ोस समूहों या समुदायों में समुदाय संगठनकर्ता या योजनाकारों के रूप में स्थापन किया जा सकता है।

LokLF; n[kHkky LFkkiukvksa e dke dju oky lekt dk;ldrkvksa dk fl)kUr vkj vH;kl dk ,dhÑr djuk & ,d lkFk tkMuk pkfg,A समाज कार्यकर्ता रोग, चोट और स्वास्थ्य स्थितियों के मनोसामाजिक निहितार्थों (उलझनों) (psychosocial implications) और उनमें संबंधी ज्ञान का प्रयोग सेवार्थियों और परिवारों को समाज कार्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए करता है ताकि ऐसे स्वास्थ्य मदों के प्रभाव से निपटने व उनका सामना करने में इनकी मदद की जा सके। समाज कार्यकर्ता की संचार, देखभाल प्रणालियों का मार्गदर्शन करने, संसाधनों, सेवार्थी और परिवार के साथ कार्य करने संबंधी कौशलों में विशेषज्ञता होती है और सेवार्थी के स्वास्थ्य स्थितियों के विस्तृत प्रभाव के विषय में विशेषज्ञता होती है। माहौल विशेष में रहने वाले व्यक्ति (Person-in-Environment) के परिप्रेक्ष्य से, सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी, परिवार और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय के साथ पूर्ण मूल्यांकन और उपचार पूरा करने के लिए व्यक्ति के जीवन के सभी प्रभावों और पहलुओं पर दृष्टिपात करता है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी और समझ के अनिवार्य क्षेत्रों में शामिल हैंः

- स्वास्थ्य देखभाल में समाज कार्य की भूमिकाएँ और कार्य।
- रोगी और उसके परिवारों की मनो-सामाजिक आवश्यकताएँ।
- बीमारी का शारीरिक घटक और उसका मनो सामाजिक क्रियाशीलता पर प्रभाव।
- सेवार्थियों और परिवारों की शारीरिक (psysiological) और आध्यात्मिक (spiritual) ज़रूरतें और उन्हें सुनिश्चित करने के उपाय।
- सेवार्थियों और परिवारों की सहायता के लिए सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग।
- सेवार्थियों, देखभाल और समाज कार्य अभ्यास को प्रभावित करने वाले कानून, विनिमय (regulations) और नीतियाँ (policies)।
- स्वास्थ्य देखभाल में साक्ष्य–आधारित अभ्यास (evidence-based practices) और समाज कार्य अनुसंधान।
- विशिष्ट जनसमूह (special populations) की ज़रूरतें।

vkdyu vkj gLr{ki dk;lhfr;k

आकलन (assessment) समाज कार्य अभ्यास की मूलभूत प्रक्रिया है। उपचार और हस्तक्षेप (Treatment and intervention) कार्यनीतियों/योजनाओं के लिए समाज कार्यकर्ताओं के सेवार्थियों की ज़रूरतों का आकलन और पुनःआकलन दोनों तथा तदनुसार योजनाओं को परिवर्तित करना अपेक्षित है। स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाओं में समाज कार्य आकलनों के अंतर्गत सेवार्थी व्यक्ति और परिवार की ज़रूरतों और कारकों पर विचार करना शामिल है। जनसंख्या और व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन कई कारणों से किया जाता है। एक व्यापक, सांस्कृतिक रूप से सक्षम आकलन में निम्नलिखित शामिल हैंः

- परिवार स्वास्थ्य का आनुवंशिक इतिहास सहित पिछली व वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति।

- संज्ञानात्मक (cognitive), भावात्मक (emotional), सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या शरीर क्रियात्मक कार्य क्षमता पर स्वास्थ्य स्थितियों या उपचारों का प्रभाव।
- वर्तमान रहन-सहन की व्यवस्था और घरेलू पर्यावरण सहित सामाजिक इतिहास।
- व्यावसायिक इतिहास, कार्य व शिक्षा।
- जीवन-चक्र की अवस्थाएँ और संबद्ध तथा संगत विकासात्मक मुद्दे।
- बीमारी, अक्षमता और मृत्यु संबंधी दृष्टिकोणों सहित सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएँ।
- परिवार संरचना और परिवार में सेवार्थी की भूमिका।
- औपचारिक और अनौपचारिक सहायता प्रणालियों सहित सामाजिक सहायता।
- व्यवहारात्मक और मानवीय स्वास्थ्य स्थिति तथा कार्य क्षमता का मौजूदा स्तर तथा आत्महत्या – खतरा और सामना करने की शैलियों का इतिहास।
- वित्तीय संसाधन।

व्यापक आकलन के अंतर्गत बच्चों, गंभीर और स्थायी मानसिक रूग्णता वाले लोगों, नशीले पदार्थों का प्रयोग करने की विसंगतियों से ग्रस्त लोगों, हिंसा या सदमे के शिकार व्यक्तियों, बेघर और शारीरिक व मनोरोग अक्षमताओं वाले लोगों सहित विशिष्ट जनसमूह से संबंधित अद्वितीय ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

vUrfo"k;h ;kxnku dk ek/;e ls gLr{ksi

हस्तक्षेप योजनाएँ स्वास्थ्य समाज कार्यकर्ताओं द्वारा सेवार्थी और दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से पता लगाए गए चरण हैं जिनके द्वारा आकलन के दौरान पता लगाए गए उद्देश्यों से प्राप्त किया जा सके। समाज कार्यकर्ता को विभिन्न मानव जातियों, संस्कृतियों, धर्मों, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमियों और विविध मानसिक स्वास्थ्य और अक्षमता स्थितियों वाले व्यक्तियों की जीवन-अवधि में प्रभावी रूप से उपयोग में लाए जाने के लिए उनके स्वास्थ्य देखभाल परिवेशों में सेवार्थी की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु अभ्यास तकनीकों को अपनाने योग्य होना चाहिए। हस्तक्षेप योजनाओं में निम्नलिखित शामिल किए जा सकते हैं:

- आकलन के दौरान पता लगाई गई ज़रूरतों या ध्यान देने के लिए कार्यनीतियाँ
- सूचना, परामर्श और शिक्षा
- व्यक्तिगत, पारिवारिक या समूह परामर्श
- व्यवसायमूलक, शैक्षिक और सहायक परामर्श
- मनो-शैक्षिक सहायता समूह
- वित्तीय परामर्श
- व्यैक्तिक समाज प्रबंधन
- प्रक्रिया समाप्ति हेतु नियोजन
- अन्तः अनुशासनात्मक देखभाल योजना और सहयोग
- समन्वय

- सेवार्थी और प्रणाली समर्थन

ykHkkFkh dh fofo/k t:jrk ij fopkj djuk

समाज कार्य सेवार्थी के साथ कार्य करने के लिए व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ चिकित्सीय संबंध विकसित करने और उसे बनाए रखना आवश्यक है जिसमें सेवार्थी के लिए सफल गुणवत्तापूर्ण परिणामों की वृद्धि के लिए विविध सेवाओं, संसाधनों और अवसरों को प्रदान करने वाले संसाधनों के साथ सेवार्थी से जुड़ना शामिल है। सांस्कृतिक रूप से व्यैक्तिक समाज को सक्षमता से सूक्ष्म और वृहत् दोनों स्वरूपों से निपटा जाता है और दल-उन्मुखी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए अन्य व्यावसायिकों का सहयोग अन्तःविषयी देखभाल योजना आवश्यक है। व्यैक्तिक समाज से निपटने में सेवार्थी और परिवार के साथ नियमित बैठकें करना और प्रणालियों के मार्गदर्शन के लिए सेवार्थी की सहायता करना शामिल हो सकता है। सेवाओं के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगेः

- निदान, हस्तक्षेप और उपचार योजनाओं सहित मनोसामाजिक आकलन
- वित्तीय आकलन, योजना और हस्तक्षेप
- केस सुविधा प्रदान करना
- सेवार्थी और परिवार परामर्श
- संकट हस्तक्षेप
- गुणवत्ता सुधार
- संसाधन को जुटाना प्रयोग
- परिणाम का मूल्यांकन
- दल कार्य
- सेवार्थी परिवार शिक्षा

lekt dk;drk f'k{kd d :i e dk; djr g

समाज कार्यकर्ताओं की शिक्षकों के रूप में औपचारिक भूमिका होती है। समाज कार्यकर्ता स्वास्थ्य अभ्यास भावनाओं में अन्य व्यावसायिकों और औपचारिक शिक्षा, कार्य या शिक्षक अनुभव से ज्ञान व निपुणता अर्जित करते हैं। उनके पास शिक्षा कार्यक्रमों, गतिविधियों और संसाधनों में शिक्षा सिद्धान्तों के मूल तत्वों को कार्यान्वित करने संबंधी ज्ञान व कौशल होता है। वे सेवार्थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभागों और अन्य स्टॉफ को सूचित करते हैं और सहयोग करते हैं। वे कार्यक्रम और संसाधन विकास, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य देखभाल दल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं।

समाज कार्यकर्ता व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षण ज़रूरतों को निर्धारित करवाने और पता लगाने के लिए विविध विधियों का प्रयोग करते हैं। आकलन से व्यक्तियों, परिवार के सदस्यों और अन्य अभिव्यक्त की गई ज़रूरतों के आधार पर शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पहचान होती है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के ज्ञान आधार में कमियों का पता लगाता है और सेवार्थी के साथ वे मिलकर अपेक्षित सूचना और संसाधनों की प्राप्ति के लिए कार्य

करता है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षिक गतिविधियों की रूपरेखा बनाने, अपेक्षित शिक्षा को सुगम बनाने वाली विधि में गतिविधियों को प्रदान करने और एकीकृत, सतत (जारी) और व्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल दल को सहयोग देता है।

lekt dk;drkvk dk LokLF; f'k{kk e lyXu gkuk pkfg,

स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के ज्ञान, भावनाओं और व्यवहार में परिवर्तन से संबद्ध है। अपने अत्यंत साधारण रूप में यह ऐसे स्वास्थ्य व्यवहारों को विकसित करने पर केन्द्रित होती है जो कल्याण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय की उन्हीं की क्रियाओं द्वारा उनके स्वास्थ्य को संवर्धित करने में सहायता करती है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य प्रक्रिया के माध्यम से उनके स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करता है। स्वास्थ्य प्रक्रिया – वह प्रक्रिया है जो इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक मानव में विकसित होने, अधिक से अधिक ऊँचा उठने की सहज सामर्थ्य होती है लेकिन तभी जब अनुकूल वातावरण (माहौल) बनाया जाए और उपचार प्रदान किया जाए। यह मानक योग्यता और प्रतिष्ठा का सम्मान करता है। स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों की रोकथाम (Health Promotion/Disease Prevention; HP/DP) कार्यक्रम शामिल हैं, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समुदाय या जनसंख्या के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने या स्वावलम्बन को बनाए रखने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप को योजनाबद्ध, कार्यान्वित और मूल्यांकित किया जाता है।

lekt dk;drk d lekt dk; lokvk d fjdkM ;k nLrkost j[kus pkfg,

स्पष्ट, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित दस्तावेज गुणवत्तापूर्ण समाज कार्य सेवाओं की विशेषताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं और प्रायः समाज कार्यकर्ता और अन्य व्यावसायिकों तथा सेवार्थियों के बीच संचार-साधन का कार्य करते हैं। रिकॉर्ड रखने के कुछ ऐसे मूल अवयव हैं जिन्हें शामिल किया जाता है और जिम्मेदारियों का पालन किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण और व्यापक दस्तावेज़ों के अवयवों और दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- व्यापक मूल्यांकन और सेवार्थी को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ तथा देखभाल योजना के विकास सहित सेवार्थी प्रणालियाँ (देखभाल योजना के विकास सहित सेवार्थी और सेवार्थी प्रणालियों का व्यापक मूल्यांकन और प्रदान की जाने वाली सेवाएँ)
- जारी मूल्यांकन हस्तक्षेप और उपचार योजना
- परामर्श स्रोत और सहयोग
- सेवार्थी और सेवार्थी प्रणाली संपर्कों की तारीखें, समय और विवरण
- परिणामों का प्रलेखन
- केस बंद करने या हस्तांतरित करने का कारण
- सूचना जारी करने या प्राप्त करने की लिखित अनुमति, जहाँ उपयुक्त हो,
- गोपनीयता अधिकारों और दायित्वों के अनुपालन का प्रलेखन
- प्राप्तियों और संवितरणों का प्रलेखन

lekt dk;ldrkvk dk LokLF; n[kHkky 'kk/k xfrfof/k;k e lfØ; :i l Hkkx yuk pkfg,

समाज कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उन्हें अपने अभ्यास क्षेत्र संबंधी महत्वपूर्ण साहित्य की जानकारी हो। व्यावसायिकों के रूप में सभी परिवेशों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान क्षेत्र को सुधारना अनिवार्य है और यह शोध गतिविधियों में भाग लेकर ही संभव हो सकता है। वे स्थान जहाँ स्वास्थ्य देखभाल सामाजिक कार्यकर्ता शोध के विकास, कार्यान्वयन या मूल्यांकन में मदद कर सकते हैं रोगी उन स्थलों में आन्तरिक सेवार्थी (रोगी) (In-client) और बाहय सेवार्थी (Out-client) अस्पताल आधारित स्थापनाओं, समुदाय या गृह स्वास्थ्य अभिकरण शामिल हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध अवसर प्रदान करने वाले पर्याप्त आकड़ों के स्रोत इन्हीं अस्तित्वों में विद्यमान होते हैं। समाज कार्यकर्ता चिकित्सकों, नर्सों और फार्मासिस्टों की मदद कर सकते हैं। लोगों को भर्ती कर सकते हैं और अध्ययन में भाग लेने तथा औषधीय नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, वे सेवार्थियों की उन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं जो अनुपालन में बाधा हो सकती है जैसे परिवार के सदस्यों की माँगें और चुनौतीपूर्ण जीवन परिस्थितियाँ।

i;o{kd d :i e lkekftd dk;ldrk

पर्यवेक्षक का लक्ष्य चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक कौशलों और ज्ञान को संवर्धित करना, और गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता देखभाल प्रदान करने की सक्षमता को बढ़ाना है। पर्यवेक्षक व्यावसायिक वृद्धि और विकास में मदद करता है और चिकित्सीय परिणामों को सुधारता है। अनुभवी समाज कार्यकर्ताओं को विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और कम अनुभवी हम उम्रों को मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करना चाहिए। परामर्श और मार्गदर्शन दोनों पर्यवेक्षण से भिन्न है और परामर्श देते हुए प्रदान किए जा सकते हैं।

ck/k Á'u 1

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) ऐसा क्यों कहा जाता है कि समाज कार्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सिद्धान्त और अभ्यास को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है?

.....

.....

.....

.....

.....

2-4 LokLF; n[kHkky lekt dk;l e vH;kl-{k=

सामान्य अस्पतालों और चिकित्सा कॉलेजों के अलावा, आज समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति मनोचिकित्सीय अस्पतालों, बाल मार्गदर्शन केन्द्रों, कैंसर अस्पतालों, परिवार नियोजन क्लिनिकों, नशीले पदार्थों की आदत छुड़ाने वाले केन्द्रों इत्यादि में की जाती है। समाज कार्य अस्पतालों और ग़ैर-सरकारी संगठनों के समुदायिक कार्यक्रमों में भी कार्यरत हैं।

समाज कार्यकर्ताओं का स्वावलम्बन ढाँचे का अभिन्न अंग होने के कारण उनकी भूमिका विशेष महत्व रखती है। चिकित्सा (medical) समाज कार्यकर्ता का लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के मामलों में प्रत्येक बीमार व्यक्ति की मदद करना तथा रोगी की योग्यताओं व समुदाय संसाधनों का प्रयोग करके समाज में पुनःस्थापित करना है। चिकित्सा समाज कार्य सेवाएँ (Medical Social Work Services) विभिन्न बाहय रोगी विभागों (OPDs), वार्डों, क्लिनिकों और दुर्घटना (casualty) में चिकित्सा समाज कार्यकर्ता पदनाम वाले व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त समाज कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की जाती है। ये गरीबों (indigent), ज़रूरतमंदों और पात्र सेवार्थियों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करते हैं:

- चिकित्सा समाज कार्यकर्ता चिकित्सक के प्रतिनिधि का कार्य करता है। सेवार्थी को उसकी बीमारी, यह कैसी होती है, यह कैसे फैलती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, संबंधी सारी जानकारी देता है। वह रोग और उसके उपचार के संबंध रोगी के संदेहों, और गलत धारणाओं (गलतफहमियों) को दूर करने में मदद करता है। वह सुनिश्चित करता है कि रोगी चिकित्सक को पूरी तरह सहयोग दे और पूरे मन से उपचार को स्वीकार करे।

- अस्पताल में भर्ती कराए जाने की ज़रूरत वाले रोगियों के लिए चिकित्सा समाज कार्यकर्ता आने-जाने अर्थात् घर से अस्पताल जाने और अस्पताल से छुट्टी के बाद अस्पताल से घर जाने की सुचारू व्यवस्था करते हैं।

- यह रोगी के परिवार, व्यवसाय और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना एकत्रित करता है और उसका चिकित्सीय सामाजिक इतिहास संबंधी पिछला विवरण भी तैयार करता है और इस सामाजिक विवरण को डाक्टर को देता है। यह चिकित्सा और सामाजिक आँकड़ों के बीच सहसंबंध मालूम करने में चिकित्सक की मदद करता है। यह रोगी की चिकित्सा समस्या को हल करने के लिए सामाजिक परामर्श (सलाह) निर्धारित करने में चिकित्सक की सहायता करता है।

- चिकित्सा समाज कार्यकर्ता सेवार्थी और उसके परिवार के साथ काम करता है और उन्हें भावात्मक सहायता प्रदान करता है और तनाव प्रबंधन (तनाव से निपटने) में उनकी मदद करता है। वह उन्हें सेवार्थी के हित के लिए घरेलू परिस्थितियों, भोजन बनाने इत्यादि में किए जाने वाले बदलावों के संबंध में भी बताता है।

- वह आन्तरिक रोगियों (अस्तपाल में भर्ती रोगियों) और उनके परिचरों के लिए समूह सत्र भी आयोजित करता है।

- वह अस्पताल और चिकित्सा कॉलेज की सभी क्षेत्र-गतिविधियों में भाग लेता है। वह बहुविषयी (सेवाओं) शिविरों, मोतियाबिंद शिविरों, नसबंदी शिविरों, रक्तदान शिविरों, एच.आई.वी./एड्स जागरूकता शिविरों में लोगों का सहयोग लेता है।

- वह समुदाय की कल्याण अभिकरणों से रोगी के उपचार, अस्पताल में रखने, आने-जाने इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करवाता है। यदि सेवार्थी को कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो इसकी व्यवस्था भी वह करता है। यदि रोगी बहुत दूर से आता है तो उसके परिवार के सदस्यों के रहने के लिए कम कीमत वाले किराए के स्थान (आवास) की व्यवस्था करना होता है।

- यदि रोगी को उसकी बीमारी और उससे जुड़े मिथकों के कारण अपनी नौकरी छूटने का भय होता है तो वह नियोक्ता से मिलता है और उसके मिथकों को दूर करता है तथा नियोक्ता को मनाता है कि वह रोगी की सेवा की समाप्ति न करे (नौकरी से न निकाले)।
- चिकित्सा समाज कार्यकर्ता निरोधक और सामाजिक औषधि विभाग की शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेता है। वह चिकित्सा, नर्सिंग, दन्त और फार्मेसी विद्यार्थियों की कक्षा भी लेता है।
- वह चिकित्सा कॉलेजों या अस्पताल की अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- वह अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए फिल्म शो, वीडियो प्रस्तुतियों इत्यादि आयोजित करके और बच्चों को खिलौने व खेल सामग्रियाँ प्रदान करके मनोरंजनात्मक सेवाएँ भी प्रदान करता है।

eukfpfdRlk LokLF; d {k= e lekt dk;drk

मनोचिकित्सा स्वास्थ्य और नशीले पदार्थ के दुरूपयोग के क्षेत्र में मानसिक बीमारी या नशीले पदार्थ के सेवन से होने वाली समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों तथा मदिरा, तम्बाकू या अन्य मादक द्रव्यों के दुरूपयोग की समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का आकलन और उपचार करते हैं। ऐसी सेवाओं के व्यक्तिगत या समूह थैरेपी (चिकित्सा), पहुँच में होना (outreach), संकट-हस्तक्षेप, सामाजिक पुनर्वास और दैनिक जीवन के कौशलों में प्रशिक्षण शामिल हैं। वह सेवार्थी की समुदाय में वापसी को सुगम (सहज) बनाने संबंधी सहायक सेवाओं की योजना बनाने में भी मदद कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थ के दुरूपयोग के क्षेत्र में समाज कार्यकर्ताओं को अस्पतालों, पदार्थ के दुरूपयोग के उपचार केन्द्रों या व्यक्तिगत या परिवार सेवा अभिकरणों में भी काम करना पड़ सकता है। ये समाज कार्यकर्ता चिकित्सकीय या मनोचिकित्सा समाज कार्यकर्ता कहलाते हैं। रोगी के स्वस्थ होने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- मनोचिकित्सक (psychiatric) समाज कार्यकर्ता घर, कार्य और सामाजिक जीवन जैसे पहलुओं सहित सेवार्थी (रोगी) के माहौल का संपूर्ण अध्ययन करता है और ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाता है जिनसे रोगी के तालमेल न कर पाने की योग्यताएं (कुसमंजन) प्रभावित होती है। इस अध्ययन से वह सेवार्थी के जीवन के तनाव और परेशानियों पर प्रकाश डालता है और यह उसे पर्यावरण के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं का आकलन करने में भी मदद करता है।
- मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता अक्सर रोगी और उसके संबंधी को समस्या से अवगत करा देता है और यह भी बताता है कि क्या मनोचिकित्सीय उपचार किया जाएगा ताकि उनकी चिन्ता कम हो सके और वे उपचार में सहयोग कर सकें। समाज कार्यकर्ता मानसिक रोगी के रिश्तेदारों को निदान और मनःचिकित्सीय सलाहों को स्वीकार करने में मदद करता है। समाज कार्यकर्ता सामाजिक उपचार अर्थात् वातावरण (माहौल) संबंधी समस्याओं का उपचार द्वारा मनोचिकित्सीय उपचार करने में सहायता करता है। समाज कार्यकर्ता उससे सीधे जुड़े उपभोक्ताओं, उसके संबंधियों और अन्य लोगों की अभिवृत्तियों में बदलाव लाने के लिए भी काम करता है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी और उसके परिवारों के बीच बेहतर समायोजन (तालमेल) लाने का प्रयास भी करता है। समाज कार्यकर्ता को रोगी के अस्पताल से

छुट्टी से मिल जाने के बाद भी सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही करनी होती है। रोगी की अपनी मदद करने की योग्यता और उसकी अपने परिवार की सहायता करने की योग्यता को पुनः प्राप्त करने के दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए।

- व्यक्ति का अपने अभिकरण के कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने और सामान्य समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने की दिलचस्पी को प्रेरित करने के अन्य सामाजिक अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करना। विभिन्न अभिकरणों के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करने मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता अपने अभिकरण और उसके कार्यों में समुदाय को अवगत करा सकता है ताकि समय आने पर समुदाय उसकी सहायता प्राप्त कर सकें और अभिकरण को यथासंभव वे अपनी मदद प्रदान कर सकें। एक मनोचिकित्सीय कार्यकर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे कुसंशेजित व्यक्ति के गहन उपचार में इतनी गंभीरता से लीन होना चाहिए कि वह सामान्य सामाजिक समस्याओं के महत्व को न पहचान पाए और इसलिए सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमों में रुचि न ले। उसे सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, समुदाय में संसाधन विकसित करने चाहिए और समुदाय के लिए बनने वाली योजना में सहभागी होना चाहिए।

- मनोचिकित्सा समाज कार्य के विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी, चिकित्सा विद्यार्थी और अभिकरण का स्टॉफ जहाँ समाज कार्यकर्ता मानसिक स्वच्छता पर्यवेक्षक या परामर्शदाता के रूप में नियुक्त होता है, वहाँ उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए।

- प्रसवपूर्ण और प्रसवोत्तर क्लिनिकों और नर्सरी स्कूलों में मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को सीधे केस कार्य सेवा के अलावा ज़रूरत पड़ने पर अभिभावक से मानसिक स्वावलम्बन शिक्षा प्रदान करता है। कभी-कभी उसकी सेवाओं की ज़रूरत समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी पड़ती है। उसके कार्य में समुदाय, संगठन, प्रचार, समुदाय सर्वेक्षणों में सहायता करना, समुदाय की मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ज़रूरतों का अध्ययन करना, समुदाय की ज्यादा समुचित स्वास्थ्य-विज्ञान ज़रूरतों के लिए सुविधाओं का विकास, मानसिक बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए ज्यादा समुचित प्रावधान के लिए सुविधाओं का विकास इत्यादि शामिल है।

- मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता सेवार्थियों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए अभिकरण नीतियों का सामाजीकरण करने के नज़रिए से अभिकरण की नीतियों के निर्धारण और निर्माण में भाग लेता है।

- मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता सामाजिक सांख्यिकीय के लिए सामाजिक रिकॉर्डों को रखता है। पूरी रिपोर्ट कार्यकर्ता को सामाजिक समस्याओं को बेहतर रूप से निरूपित करके (निदान करके) और सामाजिक उपचार योजना की जाँच करने योग्य बनाती है। उसकी रिपोर्ट यह जानने में भी सहायता करती है कि वह सही दिशा में जा रहा/रही है या नहीं। रिकॉर्ड तैयार करना उसे अवलोकन और विकास को सावधानीपूर्वक लिखने की आदत अर्जित करने में भी मदद करता है।

- मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता शोध के क्षेत्र में अत्यधिक सहायक हो सकता है। वह रोगियों को मनोचिकित्सीय परामर्श को स्वीकार करने योग्य बनाता है और उपचार को जारी रखने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, मनोचिकित्सक इस स्थिति में होते हैं कि वे जिस विशिष्ट उपचार में रुचि रखते हैं,

उस उपचार के परिणाम तंत्र का अवलोकन कर सके। मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता सामाजिक शोध को बढ़ावा देने में हाथ बँटा सकता है। वह बीमारी के सामाजिक घटक, व्यवहार संबंधी विसंगतियों इत्यादि का अवलोकन करके उन सामुदायिक संसाधनों का पता लगाती है जो अपर्याप्त हैं और उनकी कमियों के बारे में विस्तार से बता सकता है। अभिकरण के केस रिकार्ड रोगियों और उनमें परिवारों के कल्याण को संबंधित करने के लिए सामाजिक कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान करते हैं।

- ऐसे मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता को अस्पतालों के साथ संलग्न किया जाता है जहाँ उसे घर की याद आने तथा लंबे उपचार की उब जैसी समस्या से उबरने के लिए अनुक्रिया करनी होगी। वह स्टॉफ के सदस्यों और रोगियों की मदद से मनोरंजन क्लब संगठित करके रोगियों के कार्य को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हैं। ऐसी गतिविधियाँ रोगी के स्वास्थ्य लाभ में अत्यधिक योगदान देती हैं। संगठित मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से रोगी समूह सहभागिता को सीखते हैं, अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना, अनुकूल माहौल में अनुशासन सीखना और शर्मीलेपन, गैर-मिलनसार व्यवहार, नकारात्मक वृत्ति इत्यादि जैसी व्यक्तिगत कमियों व दोषों पर काबू पाना भी सीखते हैं।

- मनोचिकित्सीय समाज कार्यकर्ता समुदाय नियोजन में व्यापक स्वीकृति हासिल कर रहा है। कई समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य की अधिकांश ज़रूरतें समुदाय-व्यापी निवारक सेवाओं में निहित हैं। यह स्वाभाविक ही है कि मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए जन साधारण को शिक्षित करने के कार्य में योगदान देने हेतु मनोचिकित्सक समाज कार्यकर्ता को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि मनोचिकित्सक समाज कार्यकर्ता उसके लक्ष्य को समर्पित विभिन्न स्थानीय और राज्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले।

o)k d dk;Øe e Hkfedk

मनोचिकित्सक समाज कार्यकर्ताओं को वृद्ध व्यक्तियों के कार्यक्रमों में निरंतर नियुक्त किया जा रहा है। वृद्धों की तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या से स्वास्थ्य और समाज सेवाओं की माँग बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप बृद्धजनों को सेवाए प्रदान करने वाले (gernotology) समाज कार्यकर्ताओं के रोजगार में विशेष रूप से तीव्र वृद्धि हो रही है।

cky ekxn'kZu fDyfudk e Hkfedk

अधिकांश बाल मार्गदर्शन क्लिनिक या तो सामान्य अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग (Department of Psychiatry) का हिस्सा होते हैं अथवा समाज कल्याण अभिकरण द्वारा संचालित होते हैं। बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों की कर्मचारियों के संबंध में, अधिकांश क्लिनिकों ने दलीय-दृष्टिकोण (team approach) का अनुसरण किया और मनोचिकित्सक (psychiatrist), बालचिकित्सक (pediatricians), मनोवैज्ञानिक (psychologists), समाज कार्यकर्ताओं, खेल चिकित्सकों (play therapists), वाक्-चिकित्सकों (speech therapists) इत्यादि के साथ स्टाफ के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। क्लिनिकों में आने वाले बच्चों में व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं वे इस प्रकार हैंः समाज विरोधी व्यवहार, (habit disorder) व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्यायें (personality disorders), मनोनैदानिक समस्यायें (psycho-somatic disorders), मिरगी (epilepsy), मानसिक मंदता (mental retardation), स्नायु रोग (neurosis) और अन्य। बाल मार्गदर्शन क्लिनिक इस आधार वाक्य पर कार्य करते

हैं कि यदि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य की ठोस नींव रख दी जाए तो यह वयस्क अवस्था तक बनी रहेगी। क्लिनिकों की दैनिक गतिविधियों में शामिल हैं:

- नए मामलों (केसो) का पंजीकरण
- पुराने मामलों (केसो) का पुनर्विवेचन
- मनोमितीय मूल्यांकन (Psychometric evaluation)
- बच्चे या उसके अभिभावक के लिए व्यक्तिगत मनोचिकित्सा
- बच्चे या उसके अभिभावक के लिए समूह मनोचिकित्सा
- खेल चिकित्सा
- वाक्-चिकित्सा
- अध्यापकों के लिए समूह-चिकित्सा
- मामलों पर (केस) सम्मेलन
- शोध परियोजनाएँ
- स्नातक चिकित्सा के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर मनोचिकित्सा के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर बाल चिकित्सा विद्यार्थियों और नर्सों, समाज कार्य के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक कार्यक्रम।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation; WHO), यूनिसेफ (UNICEF), इत्यादि के सहयोग से अन्य व्यक्तिगत कार्यक्रम।

lekt dk;drk vkj lenk; LokLF;

"समुदाय स्वास्थ्य" (community health) से अभिप्राय है व्यक्तियों या समुदाय के निर्धारित समूह का स्वास्थ्य स्तर और वे क्रियाएँ और परिस्थितियाँ जो समुदाय के स्वास्थ्य की सुरक्षा करती हैं और उन्हें सुधारती हैं। जिन व्यक्तियों से समुदाय बनता है, वे व्यक्ति एक जैसे सामान्य विनियमों, मानकों, मूल्यों और संगठनों के अंतर्गत विशेष स्थान में रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष शहर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के स्तर और इन निवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा व बेहतरी के लिए की जाने वाली क्रियाओं से समुदाय स्वास्थ्य बनाती है। समुदाय की सुरक्षा व उन्नति (बेहतरी) संबंधी क्रियाएँ और परिस्थितियाँ तीन क्षेत्रों के अंतर्गत आयोजित की जा सकती हैं ये हैं: स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ।

स्वास्थ्य संवर्धन (Health promotion) को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है शैक्षिक और सामाजिक प्रयासों का संयोजन जो लोगों की स्वास्थ्य पर नियंत्रण और उनमें सुधार लाने में मदद करने हेतु तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ स्वरूप और की गई कार्यवाहियों के समानुपात में स्वास्थ्य संवर्धन से भिन्न हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाओं में स्वास्थ्य संवर्धन के फलस्वरूप समुदाय में अनुमोदित कानूनों, नियमों या नीतियों का कार्यान्वयन सम्मिलित है।

lenk; d LokLF; dk çHkkfor dju oky dkjd

समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की चार श्रेणियाँ हैं जो समुदाय या जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। चूँकि अलग-अलग समुदायों में ये कारक

एक-दूसरे से भिन्न होते हैं अतः व्यक्तिगत समुदायों का स्वास्थ्य स्तर भी भिन्न होगा। प्रत्येक श्रेणी में शामिल कारक और प्रत्येक कारक के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

1) Hkkfrd dkjd : भौगोलिक (परजीवी रोग), पर्यावरण (प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता), समुदाय आकार (अत्यधिक भीड़भाड़) और औद्योगिक विकास (प्रदूषण)।

2) lkekftd vkj lkaLÑfrd dkjd : धारणाएँ, परम्पराएँ और पूर्वाग्रह (सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान, मानव जातीय भोजन की उपलब्धता, प्रजातीय विषमताएँ), अर्थव्यवस्था (कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल लाभ), राजनीति (सरकारी सहभागिता), धर्म (चिकित्सा उपचार संबंधी धारणाएँ), सामाजिक मानक (कॉलेज परिसर में मदिरा पान) और सामाजिक आर्थिक स्थिति (निर्धनता के स्तर से नीचे के लोगों की संख्या)।

3) lenk; lxBu : उपलब्ध स्वास्थ्य अभिकरण (स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी स्वास्थ्य अभिकरण) और समस्या को हल करने के लिए संगठित करने की योग्यता (नगर परिषद में लोगों को विशेष उद्देश्य हेतु गतिमान करना)।

4) 0;fDrxr 0;ogkj – व्यक्तिगत व्यवहार (स्वास्थ्य संवर्धक व्यवहारों जैसे व्यायाम करना, टीकाकरण करना और अपशिष्टों को पुनःचक्रित करना)।

समाज कार्यकर्ता को उस क्षेत्र के प्रति समुचित जानकारी होनी चाहिए जिस क्षेत्र में वह काम करता(ती) है। उसे समुदाय की परम्पराओं और प्रचलनों से भली-भाँति परिचित होना होगा और उसे स्वास्थ्य व्यवहार में अन्तरालों का पता लगाने योग्य होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं में समाज कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करना होगाः

- स्वास्थ्य संवर्धन
- स्वास्थ्य सुरक्षा

LokLF; lo/ku

स्वास्थ्य संवर्धन के अंतर्गत व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामुदायिक क्रिया के लिए शैक्षिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समर्थन (सहायताएँ) शामिल हैं। इसमें स्थानीय संगठनों और समूहों या व्यक्तियों के व्यवहारों (जीवन शैली, स्वदेखभाल (selfcare), परस्पर सहायता, समुदाय या राजनीतिक कार्यवाही में योगदान) या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नियमों या नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए उत्प्रेरित या क्रियाशील किया जाता है।

जिन दो क्षेत्रों में समुदाय स्वास्थ्य संवर्धन कार्यनीतियों को लागू कर सकते हैं वे हैं मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य तथा मनोरंजन और स्वस्थता। इन सरोकारों पर काम करने संबंधी कार्यवाही समुदाय के आकलन से आरंभ होती हैं जिसके अंतर्गत उन कारकों की पहचान करनी चाहिए जो जनसंख्या के एक भाग के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इन जनसंख्या की ज़रूरतों का पता लगाना चाहिए। मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के मामले में, इनकी ज़रूरत रोकथाम के तीन स्तरों पर दृष्टिगत होगीः प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम और तृतीयक रोकथाम।

मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की प्राथमिक रोकथाम गतिविधियों में व्यक्तिगत मानसिक तनाव प्रबंधक कार्यनीतियों के लिए समुदाय के सदस्यों की सहायता करना शामिल हो सकता है जैसे कि विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा

देने के लिए व्यायाम और ध्यान या स्कूल और कार्यस्थल पर शैक्षिक कक्षाएँ। द्वितीयक रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग और मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसे स्थानीय संगठनों द्वारा संकटकालीन सहायता के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना शामिल हो सकता है।

तृतीयक रोकथाम व्यक्तिगत या समूह परामर्श अथवा अन्तरिक रोगी मनोचिकित्सीय उपचार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए स्थानीय चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के रूप में हो सकता है। ये सभी रोकथाम कार्यनीतियाँ समुदाय या जनसमूह के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए समुदाय-व्यापी प्रयास में योगदान दे सकती हैं। इन कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के दौरान और बाद में किए गए उपयुक्त मूल्यांकन से ज्ञात होगा कि कौन-सी कार्यनीतियाँ कारगर हुई और किसे आगे जारी न रखा जाए या उस पर पुनः विचार किया जाए।

LokLF; lqj{kk

समुदाय स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा पर केन्द्रित होती है। समुदाय स्वास्थ्य कार्मिक पर्यावरणीय खतरों और समस्याओं की पहचान करने के लिए कार्य करते हैं ताकि समुदाय या जनसंख्या से इनसे बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ की जा सकें। ऐसे रक्षात्मक उपायों में सम्मिलित हैंः अनजाने या जानबूझकर होने वाली क्षतियों का नियंत्रण; रोगवाहकों का नियंत्रण; यह सुनिश्चित करना कि उपभोग की जाने वाली वायु, पानी और भोजन सुरक्षित हैंः अपशिष्टों का समुचित निस्तारण और आवासीय, व्यावसायिक और अन्य पर्यावरणों की सुरक्षा।

समाज कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था के लिए समूह हस्तक्षेप का समर्थन करने आंदोलन की शुरूआत कर सकता है क्योंकि आत्मसुरक्षा कक्षाओं, नीति विकास जैसे सुरक्षित पेय जल अधिनियम या स्वच्छ वायु अधिनियम, पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे खतरनाक क्षेत्रों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना और प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी जल शुद्धिकरण प्रणालियों के उन्नयन इत्यादि के मामले समुदाय के नियोजन सहित ये सुरक्षात्मक उपाय प्रायः शैक्षिक कार्यक्रमों का परिणाम होते हैं।

ekr o cPpk d LokLF; e Hkkfedk

मातृ, शिशु और बाल (Maternal, infant and child; MIC) स्वास्थ्य सांख्यिकीय आँकड़े समुदाय और जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर के महत्वपूर्ण सूचक माने जाते हैं। अनियोजित गर्भधारण, प्रसवपूर्ण देखभाल का अभाव, नियम, टीकाकरण दरें, संक्रामक रोगों की उच्च दरें और इस समुदाय का स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (पहुँच) का खराब अभाव समुदाय स्वास्थ्य संरचना का सूचक है। महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और निवारक चिकित्सा सेवाओं वाली प्रारंभिक हस्तक्षेप, बाद के वर्षों में स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती हैं और बाद में उसके जीवन में महँगी चिकित्सा अथवा सामाजिक सहायता प्रदान करने की ज़रूरत को कम कर सकती हैं। शिशु और बाल स्वास्थ्य गर्भावस्था के दौरान, अभिभावक स्वास्थ्य व्यवहार, प्रसवपूर्व स्वास्थ्य और जन्म के उपरान्त देखभाल का नतीजा होता है। शिशु और बाल्यावस्था रूग्णता व मृत्यु के महत्वपूर्ण सरोकारों में समुचित टीकाकरण, अनजाने में हुई क्षतियाँ और बाल दुरूपयोग और अवहेलना शामिल हैं। सामुदायिक परिवेश में इन सभी क्षेत्रों में प्रायः समाज कार्यकर्ता के समर्थन व सेवाओं की ज़रूरत होती है। ये सहायता व सेवाएँ व्यक्तिगत और दम्पत्ति परामर्श, मार्गदर्शन इत्यादि के रूप में प्रदान की जाती हैं और समाज कार्यकर्ताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आँगनबाड़ी इत्यादि जैसे स्थानीय मन से उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल अभिकरणों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता संबद्ध अभिकरणों के समर्थक (advocacy) और नेटवर्किंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी सहायताओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद कर सकता है।

fd'kkj-LokLF;

किशोर और नौजवान जनसमूह का स्वास्थ्य शेष वयस्क जीवन के लिए आधारशिला निश्चित करता है। जीवन की इस अवधि में कई धारणाओं, अभिवृत्तियों और व्यवहारों को अपनाया और दृढ़ किया जाता है। स्वास्थ्य मुद्दे और विशेष रूप से इस जनसमूह से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दे हैं अन्चाही चोटें, मदिरा, तंबाकू और नशीली औषधियों का प्रयोग और दुरूपयोग और यौन (sexual) संबंधी खतरे मोल लेना। इन समस्याओं को कम या दूर करने के लिए कोई सरल, साधारण या तात्कालिक हल नहीं है।

समाज कार्यकर्ता को किशोरों के बीच एक संवेदनशील प्रवृत्तियों की जानकारी होनी चाहिए। हमउम्र (समसमूह) व्यक्तियों को समूह बनाना, समूह गतिशीलता विकसित करना, खतरे के मूल्यांकन और नशीली औषधियों, एच.आई.वी./एड्स पर विशेष रूप से केन्द्रित सामूहिक तथा व्यक्ति परामर्श तक आयोजित करना इत्यादि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें समाज कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप आवश्यक होते हैं।

{k;jkx ¼Vh-ch-@rifnd½

क्षयरोग (Tuberculosis; T.B.) को एक प्रमुख महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। क्षयरोग से ग्रस्त व्यक्ति तथा टी.बी. के कीटाणु छोड़ने वाले व्यक्ति परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संक्रमण का स्रोत होते हैं। संचरण की इस शृंखला को टी.बी. पर काबू पाकर प्रभावी ढंग से तोड़ना होगा। समाज कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले कई उपाय इस प्रकार हैं:

- घर पर स्वास्थ्य किए जाने वाले तपेदिक के रोगियों के लिए तपेदिकरोधी औषधियाँ वितरित करने और इन औषधियों के उपयोग करने में मदद करना।
- यह सुनिश्चित करना कि घरेलु (domiciliary) रोगी उपचार केन्द्र में नियमित रूप से जाँच करवाने जाएँ।
- संदेहास्पद लक्षणों वाले व्यक्तियों को जाँच संबंधी आवश्यक कार्यवाही के लिए नैदानिक और उपचार केन्द्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आयोजित अभियानों के दौरान तपेदिक परीक्षणों और बी.सी.जी. के टीके के लिए बच्चों और किशोरों (युवा वयस्कों) को एकत्रित करने में मदद करना।
- सरकारी उपायों के घनिष्ठ संपर्क में स्वास्थ्य शिक्षा अभियान आयोजित करना।

d"B jkx

कुष्ठ रोग (Leprosy) न केवल चिकित्सा समस्या है अपितु एक सामाजिक समस्या है और अन्य रोगों की भाँति इससे कभी भी निपटा नहीं जा सकता। विकृतियों और रोगी के प्रति उसके निकट संबंधित तथा जनता का रवैये के कारण यह बीमारी की बजाय सामाजिक समस्या ज्यादा बन चुकी है। इस विशिष्ट प्रकृति के रोग से केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता ही निपट सकते हैं। प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनता को गहन शिक्षा दिए जाने की बहुत ज़रूरत है, इसके साथ ही साथ की जाने वाले अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित हैं:

- रोगियों को समुचित शिक्षा प्रदान करके विकृति की रोकथाम और फिज़ियोथैरेपी (physiotherapeutic) और सर्जिकल (surgical) सेवाओं का प्रावधान। जब वे स्वयं सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकते तब उन्हें निरंतर यह माँग करते रहना चाहिए कि ये सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

- आवासीय (sheltered) उद्योगों की स्थापना करना।
- विशेष गृहों (special homes) में शारीरिक विकलांग सेवार्थियों (crippled clinets) की देखभाल।
- बम्बई के "चेम्बर होम" और मद्रास के "दया सदन" जैसे गृहों में (vagrant) रोगियों की देखभाल।
- उन रोगियों को सहानुभूतिपूर्वक सहायता प्रदान करना जो अपने स्थान से हटाने की समस्या का सामना कर रहे हैं।
- नियोजन सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय मार्गदर्शन का प्रावधान।
- कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
- रोजगार के चैनलों के जरिए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु अनुकूल माहौल सृजित करना।
- स्वयंसेवी अभिकरण के जिस क्षेत्र में संभवतः स्वयं को सदुपयोग कर सकते हैं वह है रोजगार के माध्यम से पुनर्वास।
- लोगों को ऐसी स्वास्थ्य शिक्षा जिससे वे कुष्ठ रोग नियंत्रण अभियानों में सहभागी हों और ऐसे अभियानों के शत प्रतिशत परिणाम मिल सकते हैं।
- स्वयंसेवकों के लिए शिविर लगाए जाने चाहिए जिससे उन्हें सूचित किया जा सके और उनकी दिलचस्पी बनी रहे और इस तरह वे इस संदेश के सक्षमता से इन संदेश समाचारों का प्रचार कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग अन्य रोगों की भाँति ही एक रोग है और अन्य रोगियों की भाँति कुष्ठ रोगी भी रोगमुक्त हो सकता है और सामान्य जीवन व्यतीत करने की आशा कर सकता है।

अस्पतालों, क्षयरोग क्लिनिकों, यौन संचारित रोग के क्लिनिकों, कुष्ठ क्लिनिकों, परिवार-नियोजन क्लिनिकों, कैंसर नियंत्रण क्लिनिकों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं, बाल चिकित्सा विभागों, स्पाइनल चोट (रीड़ की हड्डी की चोट) केन्द्रों के पुनर्वास विभागों, हृदय देखभाल क्लिनिकों, मधुमेह नियंत्रण क्लिनिकों, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं, नशीले पदार्थों की रोकथाम के केन्द्र (drug de addiction centres), एच.आई.वी./एड्स शिक्षा, रोकथाम और नियंत्रण केन्द्रों, समेकित परामर्श और परीक्षण केन्द्रों (Integrated Counselling and Testing Centres; ICTC), रक्त बैंकों, स्वास्थ्य संबंधी समुदाय तक पहुँच के कार्यक्रमों इत्यादि में स्वास्थ्य देखभाल समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ निरंतर हो रही हैं।

ckS/k Á'u 2

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) मनोचिकित्सक व्यवस्थाओं में समाज कार्यकर्ता की कुछ प्रमुख भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

2-5 cky n[kHkky ifjo'kk e lekt dk; vH;kl

इस भाग में बाल देखभाल व्यवस्थाओं में समाज कार्य व्यावसायिक की भूमिका का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। विश्व के बच्चों की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत भारत में है। समाज कार्य व्यवसाय बच्चों की कई विकासात्मक ज़रूरतों और समस्याओं पर कार्य करते हैं। बच्चों की कुछ उल्लेखनीय विकासात्मक ज़रूरतें और समस्याएँ हैं: बालिका भ्रूण हत्या (foeticide), उच्च मृत्यु दर (high mortality rate), बाल कुपोषण (child malnutrition), टीकाकरण (immunization), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता (accessibility) और उपलब्धता, बाल श्रम, बच्चों में गरीबी (destitution) और भिक्षावृत्ति, बालिका के प्रति भेदभाव, बाल दुरूपयोग, किशोर अपराधवृत्ति, आवारा बच्चे, बाल अवैध व्यापार, नशे की लत, आत्महत्या और मानव हत्या। समाज कार्य हस्तक्षेप को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

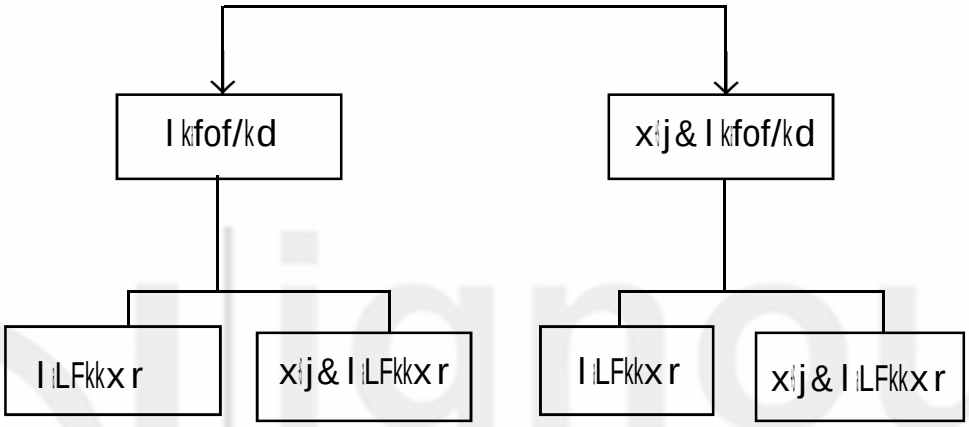

n[kHkky vkj lqj{kk dh t:jr oky cPpk d fy, lok,¡

lkfof/kd lok,¡ (Statutory Services)% ये सेवाएँ वैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act, 2006) का कार्यान्वयन। समाज कार्यकर्ता देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों और ग़ैर-कानूनी दायरे में आने वाले बच्चों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के निर्मित बनी संस्थागत और ग़ैर-संस्थागत दोनों सेवाओं में केन्द्रीय भूमिका निभाते हैं।

lLFkkxr lokvk (Institutional Services) में समाज कार्यकर्ता अधीक्षकों, किशोर या बाल कल्याण अधिकारियों, परामर्शदाताओं के रूप में, बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committees) और किशोर कल्याण मंडलों (Juvenile Welfare Boards) के सदस्यों के रूप में किशोर गृहों (Juvenile Homes), पर्यवेक्षण गृहों (Observation Homes), स्पेशल होम्स (Special Homes), और ऑफ्टर केयर होम्स (After Care Homes) , जैसी संस्थागत परिवेशों में बच्चों के पुनःस्थापन और पुनर्वास संबंधी अनेकों कार्यों का निष्पादन करते हैं। **xj-lLFkkxr lokvk (Non-institutional Services)** में दत्तक-ग्रहण (adoption), प्रायोजकता (sponsorship), फोस्टर देखभाल (foster care), परिवीक्षा (prohabtion), देश-प्रत्यावर्तन (repatriation) और इसी तरह की सेवाएँ शामिल हैं। इसके अंतर्गत समाज कार्यकर्ता पुनःस्थापन और पुनर्वास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ-साथ समाज कार्यकर्ता ग़ैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता की भाँति किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल सदनों का प्रबंधन, अल्पकालिक निवास गृह,

आवास और कामकाजी बच्चों के लिए रैन बसेरे, शैक्षिक और व्यवसाय प्रशिक्षक, कौशल उन्नयन, परामर्श, स्वावलम्बन सेवाओं, सहित प्रवर्तक कार्यक्रम इत्यादि जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं।

xSj-lkafof/kd lsok,¡ **(Non-Statutory Services)**% कानून से संबंधित नहीं होती और सापेक्षिक रूप से ज्यादा विस्तृत और व्यापक है। lLFkkxr lsokvk **(Institutional Services)** में अनाथालय, बाल आश्रम (सदन) अल्पकालिक निवास गृह, बच्चों के आवारागर्दी को रोकने वाली बाल सहयोग जैसी संस्थाएँ आती हैं। xSj-lLFkkxr lsokvk **(Non-institutional Services)** में बच्चों के इष्टतम विकास के लक्ष्य वाली गतिविधियाँ सम्मिलित हैं जो निवारक या पुनर्वास (preventive or rehabilitative), या प्रोन्नति (promotive or ameliorative), या विकासात्मक (curative or developmental) स्वरूप की होती हैं। इसमें बच्चों की उत्तरजीविता, विकास समूह, स्वास्थ्य और शैक्षिक व मनोरंजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने वाली सेवाएँ शामिल होंगी। समेकित बाल विकास सेवाएँ बच्चों के सर्वांगीण वृद्धि और विकास के लिए एशिया की सर्वाधिक विस्तृत सेवाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत समाज कार्य व्यावसायिक के अनुसंधान, प्रशिक्षक, समुदाय गतिशीलता और ऐसी अन्य योगदानों के माध्यम से नागरिक समाज निकायों और राज्य प्रणाली का प्रमाण देने में विविध पदों पर सरकारी पदाधिकारियों के साथ एक हिस्से के रूप में बाल विकास परियोजना अधिकारियों (Child Development Project Officers) के रूप में काम करते हैं।

आइए जानें कि बाल देखभाल सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय सामान्यतः किन कार्यनीतियों का अनुसरण करते हैं। इनमें शोध (अनुसंधान) कार्य से लेकर समस्याओं की प्रत्येक और विस्तार, विभिन्न कारणात्मक और आकस्मिक (causative and contingent) कारकों को आपस में संबंधित करना (interplay), विभिन्न स्तर पर योजना के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करना, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन, सेवा वितरण में भागीदारों (सहयोगियों) का प्रशिक्षण, tkx:drk lt`u (awareness generation) और leFkdrk (advocacy) और सामाजिक कार्यवाही (social action) के लिए छानबीन करना शामिल हो सकता है। अधिकारों के दृष्टिकोण से (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (United Nations Convention of the Rights of the Child), उत्तरजीविता का अधिकार (Right to Survival), विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता (participation) अधिकार आदि में समाज कार्य व्यवसाय उक्त अधिकारों के कार्यान्वयन (प्राप्ति) में बाधक शोषण और दुरूपयोग स्थितियों को सुधारने के लिए समर्थन (वकालत) में सम्मिलित हैं। कुछ प्रमुख अभियान जिनमें व्यवसायों ने अपनी अस्थिति का बोध कराया है वे हैं आवारा और कामकाजी बच्चों के लिए ग़ैर-सरकारी संगठन (FORA), बाल श्रम के विरुद्ध अभियान (Campaign Against Child Labour; CACL), उड़ान (Udaan) : आवारा और कामकाजी बच्चों के लिए मंच और बचपन बचाओ आंदोलन (Bachpan Bachao Andolan; BBA)।

उत्तरजीविता के अधिकार में जीने का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार हैंः कानून निर्माण, प्रसव-पूर्व निदान तकनीकें (गलत प्रयोग का नियमन और रोकथाम) अधिनियम (Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse, Act), 1994, समर्थक और जागरूकता सृजन, प्रवर्तन अधिनियम और कई तरह से स्त्री-पुरुष विभेद को बनाए रखने वाली पित्तृसत्तात्मक संरचना में आवश्यक बदलाव लाना है।

बच्चों के कल्याण और विकास के लिए समाज कार्यकर्ता जिन व्यवस्थाओं पर काम कर रहे हैं, उनको जानना भी लाभप्रद होगा। स्वतंत्रता के बाद से सरकार बच्चों के कल्याण

और विकास के लिए सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों पर अत्यधिक निर्भर रही हैं। इन स्वयंसेवी संगठनों ने बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित कई समस्याओं पर विचार करने के लिए असंख्य क्षेत्र परियोजनाओं को प्रारंभ किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किए जाने वाले अन्य कार्यों में अनुसंधान कार्य, प्रचार, समर्थकता, नेटवर्किंग, लोगों को एकत्रित व गतिमान कराना शामिल है।

स्कूल समाज कार्य ने विकासशील अवस्था में होने के बावजूद विद्यालयों, परिवारों और समुदाय में बच्चों से संबंधित कई मुद्दों में मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में, दुष्कर परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों के लिए अनुक्रिया करने हेतु विशाल राज्यतंत्र है जो समाज कार्यकर्ताओं के लिए हस्तक्षेप का बड़ा कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। समाज कार्य व्यावसायिकों ने इन व्यवस्थाओं के माध्यम से बाल कल्याण और विकास के कई क्षेत्रों में दिशा प्रदान की है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन नीचे किया गया है।

LokLF;% ऐसी स्थितियाँ निर्मित करना जिनसे बाल-मृत्यु की संख्या कम होगी, भुखमरी, पोषणात्मक कमी और कुपोषण को दूर करना, टीकाकरण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ समाज कार्यकर्ताओं के लिए प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। सेवा वितरण प्रणाली के एक हिस्से के रूप में ग़ैर-सरकारी संगठन तथा सरकार व समाज कार्यकर्ता समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS), बालवाड़ी, मध्याह्न भोजन, पल्स पोलियो (उन्मूलन) कार्यक्रम, व्यापक (विश्वव्यापी) टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आर.सी. एच. और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रभावी कार्य प्रणाली जैसे कई कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, बेहतरी और मूल्यांकन कार्यों में संलग्न है।

f'k{kk% यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन में तीव्र वृद्धि हुई है, तथापि 40 प्रतिशत लड़के और 50 प्रतिशत लड़कियाँ अभी भी प्राथमिक अवस्था में नामांकित नहीं होते हैं। समाज कार्य व्यावसायिक विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर शिक्षा प्रणाली की पहुँच, उपयुक्तता और औचित्य अभिवृद्धि करने के लिए कार्यरत हैं। सर्वशिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ग़ैर-औपचारिक शिक्षा, बाल शिक्षा का दायित्व बाँटने के लिए समुदाय को शामिल करना, ज़रूरतमंदों के लिए छात्रवृत्तियाँ, स्कूल समाज कार्य के जरिए औपचारिक शिक्षा में समस्याओं का सामना करने वालों के लिए परामर्श और केस कार्य सेवाएँ, कुछ ऐसे हस्तक्षेप हैं जिनमें समाज कार्यकर्ता संलग्न होते हैं। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम ने चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा कर दिए जाने में प्रचार और कार्यात्मक दृष्टिकोण दोनों में समाज कार्य हस्तक्षेप का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है।

fodykx cPp% इसके अलावा समेकित और समाविष्ट शिक्षा (integrated and inclusive education) जिसका लक्ष्य "सामान्य (normal)" और (differently abled)" दोनों तरह के बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाना है, समाज कार्य व्यावसायिक का ठोस प्रभाव क्षेत्र हैं जहाँ वे अन्य विषयों के व्यावसायिकों के दल के साथ काम करते हैं। विशेष विद्यालय, समुदाय पुनःस्थापन, जिला पुनःस्थापन परियोजनाओं (स्कीमों) का कार्यान्वयन, रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से समाज कार्यकर्ताओं ने विकलांग बच्चों की संवेदनशील स्थितियों में मदद करने का प्रयास किया है।

ckfydk % समाज कार्य व्यावसायिकों ने भारतीय समाज संकुचित पितृ सत्तात्मक सामाजिक संरचना में बालिका की दयनीय (पराधीन) स्थिति को सुधारने का प्रयास किया

है। उन्होंने लड़कियों के "पैदा होने के अधिकार" का समर्थन किया, मादा भ्रूण हत्या व शिशु हत्या के खिलाफ संघर्ष, तथा बाल-विवाह और बालिका का विकास व वृद्धि के लिए समाज अधिकारों की अस्वीकृति के विरुद्ध संघर्ष किया।

cky Jed भारत में काम करने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। समाज कार्य व्यावसायिकों ने बाल श्रम का उन्मूलन करने की नीतियों में अनिवार्य बदलाव लाने, बचाव कार्य करने बाल श्रम से छुड़ाना पुनःउद्धार और पुनर्वास में अग्रलक्षी भूमिका निभाई है।

cky vo/k-0;kikj vkj cky&o';kofÙk: निस्संदेह, बच्चों का अवैध–व्यापार और यौन-व्यापार के लिए विवश करना (धकेलना) समाज कार्यकर्ताओं के लिए चिन्ता का कारण रहा है। ग़ैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं या राज्यतंत्र के तंत्र के रूप में समाज कार्यकर्ताओं ने रोकथाम और पुनर्वास आदि पहलुओं पर अत्यधिक प्रयास किए हैं।

cky n:i;kx इसमें बच्चों पर किए जाने वाले विभिन्न अत्याचार शोषण उनकी प्राप्तियों से उन्हें वंचित रखना और उनके अधिकारों का उल्लंघन करना शामिल हैं। पारिवारिक स्तर, सामुदायिक स्तर, विद्यालय स्तर पर विद्यालयों में परिवार कल्याण अधिकारियों के रूप में कार्यरत समाज कार्य व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं, ग़ैर-सरकारी कार्यकर्ताओं और ऐसी ही अन्य व्यवस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा बाल दुरूपयोग पर मार्गदर्शन किया।

कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें समाज कार्य व्यावसायिक बच्चों की देखभाल और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि परिवार कल्याण और विकास के क्षेत्र में कार्यरत समाज कार्यकर्ताओं ने बच्चे से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया। इसी तरह, समुदाय विकास, शहरी तथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत भी अप्रत्यक्ष रूप से बाल देखभाल मुद्दों का उल्लेख किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा, समाज कार्य अभ्यास का एक उल्लेखनीय क्षेत्र है जिसमें बाल अपराध (child delinquency), भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों के व्यसन (drug addiction), आत्महत्या और ऐसे अन्य मुद्दों से निपटा जाता है।

2-6 lkjka'k

वर्तमान परिस्थिति में, यह महसूस किया गया कि समाज कार्य स्नातक या अभ्यास के अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति हमेशा स्वास्थ्य देखभाल के लिए भली-भाँति तैयार नहीं होते और क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील स्वस्थ और इसकी विविधता नवागंतुकों को उलझनपूर्व प्रतीत होती है। यह आशा की जाती है कि ज्ञान की मूल पहचान करना उन्हें शीघ्रता से ज्यादा प्रभावी व्यावसायिक बनने का आधार प्रदान करेगा।

2-7 dN mi;kxh iLrd

वर्मा, आर. (1991), *स्क्रारीट सोशल वर्क इन इंडिया* (*Psychiatric Social Work in India*), सेज पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।

बनर्जी, जी. आर. (1972), *पेपर ऑन सोशल वर्क : एन इंडियन पर्सपेक्टिव* (*Papers on Social Work : An Indian Perspective*), टी.आई.एस.एस., बम्बई।

पाठक, एस. एच. (1961), *मेडिकल सोशल वर्क इन इंडिया* (*Medical Social Work in India*), दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क : दिल्ली।

मेने, पी. एवं गांधविया, के.वी. (1993), *मेंटल हैल्थ इन इंडिया* (*Mental Health in India*), टी.आई.एस.एस., बम्बई।

पोमरलियू, जे. एवं मैककी, एम. (2005), *इश्यूज़ इन पब्लिक हैल्थ* (*Issues in Public Health*), टाटा मैक्ग्रा–हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड : नई दिल्ली।

रॉल्फ, एम. ओ. (1984), *सोशल वर्क एंड मेंटल हैल्थ* (*Social Work and Mental Health*), टवीस्टॉक पब्लिकेशन्स लिमिटेड, न्यूयॉर्क।

रेड्डी, ए. आर. (1995) *हैल्थ केयर सर्विस मैनेजमेंट* (*Health Care Service Management*) डेल्टा पब्लिशिंग हाउस, हैदराबाद।

पार्क, के. (2007), *प्रिवैंटिव एंड सोशल मेडिसन* (*Preventive and Social Medicine*), बनारसीदास भनौट पब्लिकेशन्स, जबलपुर।

किशोर, जे. (2002) *नेशनल हैल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया* (*National Health Programmes of India*), सैंचुरी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 3 f'k{kk vkj vuqlaèkku

bdkbZ dh :ijs[kk

* जोसलीन टी. लोबो, रोशनी निलया

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 शिक्षा क्षेत्र में समाज कार्य का व्यावहारिक भाग

3.3 विद्यालय समाज कार्य : निहितार्थ और संभावनाएँ

3.4 विश्वविद्यालय, कॉलेज के विद्यार्थी और युवा समूह

3.5 अनुसंधान परिवेश में समाज कार्य अभ्यास

3.6 सारांश

3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3-0 mís';

समाज कार्य शिक्षकों और व्यावसायिकों के लिए क्षेत्र (फील्ड) कार्य या व्यावहारिक कार्य (practicum) करना व्यवसाय समाज कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। व्यावहारिक कार्य अथवा स्थापन को समाज कल्याण परिवेश में नियोजित शैक्षिक अनुभव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें क्षेत्र कार्य (फील्ड) शिक्षा पाठ्यक्रम के घटकों का अभ्यास कराया जाता है। विद्यार्थियों को इन कौशलों को समझने में सहायता मिलती है जिनका प्रयोग वे करते हैं तथा विशिष्ट अभ्यास स्थापनों में लागू किए जाने वाले सामान्य नियमों और सैद्धान्तिक अवधारणाओं को समझ लेते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्र कार्य हस्तक्षेप और विशिष्ट रूप से विद्यालय समाज कार्य की भूमिका के प्रकारों अथवा तरीकों का परीक्षण कर सकेंगे;
- शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में विद्यार्थियों और युवाओं के साथ कार्य करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन और तकनीकों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- भारतीय संदर्भ में समाज कार्य अनुसंधान तथा मूल्यांकन अनुसंधान की उपलब्ध झलक या परिदृश्य (glimpse) को समझ सकेंगे; और
- विभिन्न समाज कार्य अनुसंधान क्षेत्रों और संस्थाओं में अभ्यास के व्यापक अवसरों को समझ सकेंगे।

3-1 çLrkouk

क्षेत्र कार्य, व्यावहारिक कार्य (practicum) या स्थापन अथवा नियोजन यह सभी सिद्धान्त को अभ्यास के रूप में प्रयोग करने पर ज़ोर देते हैं। समाज कार्य शिक्षण में आरंभ से ही अभिकरण में कक्षा की सीख या शिक्षण को क्षेत्र कार्य स्थापन में अनुप्रयोग करना समाज कार्य शिक्षा की विशिष्टता रही है। जिस प्रकार से विद्यार्थी रसायनशास्त्र तथा भाषा के अभ्यास के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में अभ्यास के लिए जाते हैं उसी प्रकार से समाज कार्य विद्यार्थी अपने कौशलों को विकसित करने के लिए अभिकरणों और समुदायों में जाते

* श्री जोसलीन टी. लोबो, रोशनी निलया, मैंगलोर

हैं। शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र कार्य के महत्वपूर्ण स्थापना क्षेत्र हैं। हम सबसे पहले शिक्षा के संबंध में अध्ययन करेंगे।

यह लगातार महसूस किया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए समाज कार्यकर्ताओं और परामर्शकों की नितान्त आवश्यकता है। एक समाज कार्यकर्ता बच्चों की शिक्षण या समायोजन संबंधी सभी समस्याओं की पहचान करके तथा उनके संदर्भ में विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा विद्यालय के प्राधिकारियों से चर्चा करेगा और समस्याओं के समाधान के लिए आगे की कार्रवाई को क्रियान्वित कराने का प्रयास करेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र व्यावहारिक कार्य की जटिलताओं की चर्चा करने से पहले यह बेहतर रहेगा कि हम भारत में शिक्षा प्रणाली के संक्षिप्त विहंगावलोकन को प्रस्तुत करें।

Hkkjr e f'k{kk Á.kkyh

भारत में शैक्षिक प्रणाली का चित्र उज्जवल और धुँधला दोनों ही प्रकार का रहा है – असंख्य असफलताओं और समस्याओं के साथ कुछ उपलब्धियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। यहाँ के शैक्षिक परिदृश्य को यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी उत्तम शैक्षिक संस्थाएँ मौजूद हैं जिनका स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कहीं भी कम नहीं है और यदि दूसरी ओर नजर दौड़ाई जाए तो भारत में विश्व के सबसे अधिक निरक्षर लोग निवास करते हैं।

भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को हमने ब्रिटिश शासन से प्राप्त किया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमने इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। इसकी विशेषताएँ कठोर (rigidity),अप्रासंगिक पाठ्यक्रम (irrelevant syllabus), एक ही तरह की प्रवेश प्रणाली (single-point entry), पुराना अध्यापन (out dated teaching) शिक्षण प्रणाली, घटिया किस्म की संरचना (poor infrastructure) और अमानवीय (inhuman) परीक्षा प्रणाली रही है। इसमें सृजनता (creativity) या कुछ नया कर दिखाने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं हैं वहीं पर विद्यालयी पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों के जीवन तथा वातावरण या पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है।

जैसा कि हमने ऊपर बताया गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनाए गए आदर्श और मानक तथा मूल्य प्रणाली पराधीन व्यवस्था की तरह से अभी तक लगातार चलती आ रही है। यह संकुचित व्यक्तिवाद (narrow individualism) अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा, सूचना का सामान्य संग्रह तथा परीक्षाओं पर ज़ोर देती है। यह अनावश्यक रूप से औपचारिक विद्यालयी शिक्षा को महत्व देती है और अनौपचारिक (non-formal) तथा आवर्तिक (recurrent) शिक्षा की उपेक्षा करती है।

यहाँ शिक्षा की दोहरी प्रणाली संचालित की जा रही है – एक ओर अमीर बच्चों के लिए उच्चतम स्तर के निजी विद्यालय मौजूद हैं वहीं पर गरीब बच्चों के लिए असुविधापूर्ण घटिया सरकारी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। ग्रामीण विद्यालयों की स्थिति अत्यंत निराशाजनक और दुखदाई है। हमारे गाँवों में अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों की इमारतें जीर्ण-शीर्ष (dilapidated)] अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली है अथवा बच्चों को खुले स्थान में शिक्षा दी जाती है। अनेक विद्यालयों में केवल एक ही अध्यापक होता है तथा विद्यार्थियों को लगातार पढ़ाने के पीरियडों के लिए अध्यापक ही नहीं होते हैं। हमारे विद्यालयों में न्यूनतम अथवा आधुनिक सुविधाओं का अत्यंत अभाव है जैसे कि श्यामपट्ट (ब्लैक बोर्ड), खेल के मैदान, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, इत्यादि।

संरचना, प्रणाली और आधारिक ढाँचे के अलावा हम अध्यापक-विद्यार्थी मुद्दों के संदर्भ में लगातार ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि विद्यालयी बच्चों को मारने-पीटने के लिए अभी तक छड़ी को अपनाया हुआ है तथा कुछ मामलों में बच्चों को शारीरिक यातनाएँ भी दी जाती हैं। अमानवीय तरीकों से अध्यापक (बच्चों को) भीषण और कठोर दण्ड देते हैं जिसके परिणामस्वरूप बच्चे जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं या फिर विद्यालयी बच्चों की मृत्यु हो जाती है।

उपर्युक्त विवरण भारत में विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की एक झलक मात्र देता है। इसलिए विद्यालय समाज कार्यकर्ता विद्यालयों के लिए नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, कुछेक शहरी विद्यालयों को छोड़कर अधिकतर विद्यालयों में समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति नहीं की जाती है और न ही इस संबंध में कभी विचार किया जाता है।

3-2 f'k{kk {k= esa lekt dk;Z dk 0;kogkfjd Hkkx

शिक्षा का क्षेत्र व्यापक रूप से विस्तृत होता है और इसमें विभिन्न आयु समूहों के लोग सम्मिलित होते हैं, इसलिए समाज कार्य हस्तक्षेप के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध हैं। शिक्षा क्षेत्र की सीमाएँ पूर्व-विद्यालय (pre-school) शिक्षा से लेकर महाविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं तथा प्रौढ़ व सतत् शिक्षा के असीम क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अनौपचारिक शैक्षिक धारा में साक्षरता तथा उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम (post-literacy programmes), दूर शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ऑन-लाइन शिक्षा तथा अन्य हाल ही के दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी में सम्मिलित विभिन्न विधाएँ शामिल हैं।

iwo-fo|ky; Lrj ij lekt dk;Z igy **(Social Work initiative at pre & school level)**

पूर्व–विद्यालय (Pre-school) शिशुओं (3 से 5 वर्ष की आयु समूह के बच्चे) के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में आँगनबाड़ी, बाल क्रीड़ा केन्द्र, मोबाइल डे-केयर केन्द्र तथा शिशुगृह (Creches) और प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध पूर्व-विद्यालय शामिल हैं।

अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme; ICDS) कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले आँगनबाड़ी पहली स्थिति अथवा स्तर है। पूर्व-विद्यालय शिक्षा आँगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय के बीच एक कड़ी का काम करती है।

समाज कार्यकर्ता विद्यार्थी को सीधा ही आँगनबाड़ी में प्रतिस्थापित किया जा सकता है अथवा वह सामुदायिक स्थापन के दौरान उनसे अन्तःक्रिया कर सकता है, सम्पर्क किसी भी प्रकार से हो सकता है किन्त विद्यार्थियों को आँगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ निकट सहयोग से काम करना होता है।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूर्व-विद्यालय क्रियाकलापों को आयोजित करने के लिए लगभग 40 शिशुओं जिनकी आयु समूह 3 से 6 वर्ष की होती है। संचालक महिला को शिशुओं की मनो-सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसमें प्रेम-स्नेह, विश्वास, प्रशंसा, और पहचान (मान्यता) करने के गुण शामिल हैं।

पूर्व-विद्यालय क्रियाकलापों को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1) शारीरिक विकास के लिए क्रियाकलाप

2) भाषा विकास के लिए क्रियाकलाप

3) भावनात्मक विकास तथा सृजनशीलता के विकास के लिए क्रियाकलाप

4) सामाजिक विकास और अच्छी आदतों के निर्माण के लिए गतिविधियाँ

5) बौद्धिक विकास के लिए क्रियाकलाप

आँगनबाड़ी स्तर पर पूर्व-विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सम्पूर्ण विकास करना जिसमें शारीरिक (physical), मोटर (motor), मनोवैज्ञानिक (psychological) सामाजिक भाषा और बौद्धिक विकास सम्मिलित हैं।

iw.kZ-fo|ky; f'k{kk e vkxuckMh dk;drk dh Hkfedk

समाज कार्यकर्ता विद्यार्थी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के माध्यम से अपने कार्यकलापों का आयोजन कर सकता है। वे आँगनबाड़ी के कार्यकर्ता के अनुपूरक कार्य निष्पादन कर सकते हैं जिनकी भूमिका नीचे स्पष्ट की गई है:

1) बच्चे के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से पूर्व-विद्यालय क्रियाकलापों का आयोजन।

2) पूर्व-विद्यालय क्रियाकलापों के लिए स्थानीय सामग्री का प्रयोग जो निःशुल्क अथवा न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त की जा सकती हैं। प्राकृतिक वस्तुएँ (जैसे बालू रेत, चिकनी मिट्टी, गुटिका या रोड़ी, और भूपट) तथा अपशिष्ट सामग्री (जैसे कि खाली टीन, समाचार पत्र, खाली माचिस, कपड़ों के टुकड़े) से खिलौने, कठपुतलियाँ और मुखौटे बनाने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आप अपनी कल्पना का प्रयोग कीजिए तथा बच्चों को इन क्रियाकलापों के लिए मार्गदर्शी नियमों के अनुसार पालन कीजिए।

3) आंतरिक और बाहरी क्रियाकलापों के लिए स्थान रखिए। बच्चों को बाहर के स्थानों में, बाजारों, पार्क और चिड़ियाघर जैसे स्थानों में ले जाया जा सकता है।

4) बच्चों की मनो-सामाजिक (psycho-social) आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहें। बच्चे प्रेम, प्रशंसा, पहचान और नए अनुभव प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं।

5) स्थान को सुन्दर और प्रफुल्लित बनाने के लिए आँगनबाड़ी में पोस्टरों, खिलौनों, कठपुतलियों, मुखौटों और अन्य वस्तुएँ जो बच्चों ने बनाई हो उनका प्रदर्शन करना चाहिए।

6) सामान्यतया स्थानीय समुदाय के लोगों को तथा पूर्व-विद्यालय शिक्षा से संबद्ध बच्चों के अभिभावकों को विशेषरूप से कार्यक्रम में शामिल करें। आँगनबाड़ी के लिए स्थान, खेल के मैदान तथा क्रीड़ा सामग्री समुदाय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

3-3 fo|ky; lekt dk;l % fufgrkFk vkj lHkkouk,

विश्व में दूसरी सबसे बड़ी शैक्षिक प्रणाली होने के कारण क्षेत्र कार्य स्थापन के लिए विद्यालय स्वरूप एक प्रमुख संस्था है। अनेक समाज कार्य के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को निजी व सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों दोनों में स्थापन किया जाता है। भारत के अधिकतर विद्यालयों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति न तो पूर्णकालिक और न ही अंशकालिक की जाती है। यदि कुछ विद्यालयों में एकाध सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की भी गई है तो वह केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में की गई है। आइए, अब हम विद्यालय समाज कार्य के उद्‌गम, प्रकृति तथा कार्यों पर प्रकाश डालते हैं।

सामुदायिक अभिकरणों के प्रायोजन के अंतर्गत बीसवीं शताब्दी के शुरू में बोस्टन, हार्टफोर्ड तथा न्यूयॉर्क के विद्यालयों में सबसे पहले समाज कार्य सेवाओं की स्थापना हुई थी। हार्टफोर्ड (Hartford) के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय (क्लिनिक) (Psychological Clinic) में पहली बार अतिथि अध्यापक कार्यक्रम (आज इसे प्रायः विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं) के अंतर्गत उस क्षेत्र में आरंभ किया था। वर्ष 1914 में रोचेस्टर, न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूल का प्रथम विद्यालय बन गया जिसमें इसके नियमित बजट में विद्यालय समाज कार्य के वित्तीय संचालन हेतु व्यवस्था की गयी।

विद्यालयों में समाज कार्य, अनिवार्य विद्यालय उपस्थिति कानून, नया ज्ञान या जानकारी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और बच्चों के जीवन में विद्यालयों की कार्यनीतिक (strategic) स्थान की पहचान बनाने की अनुक्रिया आरंभ हुई थी।

ब्रिटेन में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के आरंभ में एक कानून के अंतर्गत शिक्षा कल्याण सेवा की उत्पत्ति हुई जिसका उद्देश्य सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के निश्चय और उन सामाजिक स्थितियों के कारण जिससे बच्चों की शिक्षा लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने वाले कारणों का निदान तथा बच्चों को विद्यालय द्वारा लाभ पहुँचाने की व्यवस्था का प्रावधान उपलब्ध कराना था।

प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित समाज कार्य मुख्य रूप से शिक्षा कल्याण सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसे शिक्षा समाज कार्य सेवा भी कहते हैं। इस सेवा का एक लम्बा इतिहास है किन्तु शिक्षा और व्यक्तिगत समाज सेवा दोनों के संबंध में अस्पष्ट स्थिति बनी हुई है।

fo|ky; lekt dk;Z dh çÑfr

विद्यालय समाज कार्य समाज की उस अनिवार्य प्रतिबद्धता के मूल से गहराई से जुड़ा है, जिसमें विद्यालयों के बच्चों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने और उनकी संपूर्ण क्षमताओं को मूर्त रूप देने का संकल्प होता है। शैक्षिक स्थापन में सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों को उनकी संभावनाओं व उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों के साथ विशेषज्ञों को जोड़ा जाता है अथवा उन्हें संबद्ध किया जाता है। समाज कार्यकर्ता एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो बच्चों की भूमिका निष्पादन से जुड़ा होता है।

विद्यालय समाज कार्य विद्यालय के प्रमुख प्रयोजनों में समाज कार्य प्रणाली और सिद्धान्तों का अनुप्रयोग है। विद्यालय समाज कार्य, विशेष विद्यालय प्रणाली, बाहरी समुदाय, विद्यार्थियों की विशेषताओं तथा उनकी स्थितियों जिनका वे सामना करते हैं, उनसे संबद्ध है। डब्ल्यू. ए. फ्रीडनैंडर का मानना है कि विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता चार पक्षों या पार्टियों के साथ अपना कार्य निष्पादन करता है। वे चार पक्ष निम्नलिखित हैंः

1) बच्चा

2) परिवार

3) विद्यालय कर्मचारी वर्ग

4) समुदाय

विद्यालय समाज कार्य बच्चे की विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर विद्यालय का ध्यान दिलाने में सक्षम होता है और प्रत्येक बच्चे की सफलताओं और उपलब्धियों को अवसरों के दिलाने के लिए सेवाएँ प्रदान करता है।

विद्यालय समाज कार्य निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है:

- शिक्षण (सीख)
- विवेचन या सोच विचार
- समस्या–समाधान

इनसे संबंधित परम्परागत क्षेत्र हैं अर्थात्

- संबंध स्थापित करना
- भावनात्मक
- प्रेरणा, और
- व्यक्तित्व

समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रियाशीलता और बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है ताकि बच्चा शिक्षण अनुभव का अत्यधिक उपयोग कर सके। वह इस तथ्य पर ध्यान देता है कि बच्चे की आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ विद्यालय अनुभव के प्रयोग करने में बाधा न डाले या उसके अवसरों को नष्ट न कर दें। समाज कार्यकर्ता इन समस्याओं के समाधान या इनसे निपटने के लिए वह अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ मिलकर कार्य करता है।

विद्यालय समाज कार्यकर्ता शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने में अध्यापक का एक "अतिरिक्त बाजू" होता है। सामाजिक कार्यकर्ता परामर्शदाता और सलाहकार का कार्य करता है। वह विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य सम्बन्धित पक्षों के साथ ज्ञान की भागीदारी करता है।

समाज कार्यकर्ता विद्यालय और सामाजिक अभिकरणों तथा विद्यार्थी और उनके परिवारों के लिए सेवा उपलब्ध कराने में मध्यस्थ का कार्य करने वालों के बीच कड़ी जोड़ने का कार्य करता है। विद्यालय में समाज कार्यकर्ता नैदानिक, परामर्श और उपचार व्यक्तियों और समूहों को उपलब्ध कराता है तथा वह इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करता है।

समाज कार्य, शैक्षिक दल के साथ सहभागिता करता है तथा समाज कार्यकर्ता विद्यार्थियों की अध्यापन-शिक्षण आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करता है। समाज कार्य का व्यवसाय नवीन ज्ञान या जानकारी और अभ्यास के लिए उपयुक्त तकनीकों से युक्त विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध कराता है।

समाज कार्य अभ्यास व्यापक समस्याओं और मुद्दों व्यापक के समाधान में सहयोग करता है। अनुपस्थिति, व्यवहारात्मक समस्याएँ, शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, प्रतिकूल घरेलू वातावरण, अक्षमता और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं सहित समस्याओं को हल करने में सहयोग देता है।

fo|ky; lekt dk;drk d fy, dk;

1960 के दशक में समाज कार्यकर्ता परम्परागत भूमिका और अवशिष्ट कार्यों को सहज-समाधान के लिए सामने आया। समाज कार्यकर्ता की परम्परागत भूमिका में सामाजिक कार्यकर्ता – सेवार्थी दृष्टिकोण, कुछ-कुछ अध्यापक की स्वतंत्रता शामिल थी। यह दृष्टिकोण कभी भी अध्यापक और समाज कार्यकर्ता ने आपस में लागू करने के लिए प्रयास नहीं किए और न ही कभी विद्यालय के वातावरण पर प्रकाश डालने का प्रयास किया।

लीला बी. कोस्टीन (1972) ने सशक्त दावे के साथ सुझाव दिया है कि विद्यालय समाज कार्य में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है "न कि कार्य के परम्परागत प्रणालियों पर अत्यधिक बल देना जिसमें कि भावनात्मक समस्याओं और उसकी व्यक्तिगत समायोजित कार्यों के संबंध में व्यक्तिगत बच्चे पर ध्यान केन्द्रित करना या उन पर प्रकाश डालना।"

उनके कथन का सार, कार्यों की सूची और विद्यालयों में समाज कार्यकर्ता की जिम्मेदारियों को निम्नलिखित में दर्शाया गया है:

1) समाज कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सीधे या प्रत्यक्ष शैक्षिक प्रावधानों और विद्यार्थी को सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें।

2) समाज कार्यकर्ता विद्यार्थियों के चयनित समूह की अत्यंत तात्कालिक आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

3) समाज कार्यकर्ता को संयुक्त रूप से पहचानी गई समस्या स्थिति से अवगत कराने के लिए विद्यालय प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए जोकि नियोजित सेवा दृष्टिकोण का उद्देश्य हो सकता है।

4) समाज कार्यकर्ता को ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए तकनीकों के संबंध में अध्यापकों से संपर्क करना चाहिए जिसमें बच्चों को सीखने के लिए स्वतंत्र और प्रोत्साहित किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक समस्याग्रस्त बच्चे की सहायता करने के लिए खेल समूहों का प्रयोग आदि।

5) समाज कार्यकर्ता को विद्यार्थियों और विद्यालयों तथा रचनात्मक कार्यबल के रूप में कार्य करने के लिए अभिभावकों एवं सामुदायिक समूहों को संगठित करना चाहिए।

6) समाज कार्यकर्ता को विद्यालय तथा समाज कार्य और कानूनी व्यवहार के जटिल क्षेत्रों के बीच रचनात्मक संपर्क विकसित एवं व्यवस्थित करना चाहिए।

7) अन्त में, समाज कार्यकर्ता को व्यक्तिगत विद्यार्थी सेवा जैसे कि मार्गदर्शक, परामर्शक और मनोवैज्ञानिक की भूमिका तथा बहुपक्षीय कार्यों का समन्वय करने में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

विद्यार्थियों की अधिकांश समस्याएँ विद्यालय में एक के बाद एक के आधार पर सुलझाई जा सकती हैं। शेष समस्याओं में समूह दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अध्यापक समाज कार्यकर्ताओं से परामर्श करके प्रायः कक्षा की समस्याओं को सहजता से हल कर लेते हें। अन्य दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दल के अन्य सदस्यों के पास संदर्भ के लिए भेज देना चाहिए। सामुदायिक सेवाओं की संपूर्ण व्यवस्था विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए।

विद्यालय समाज कार्यकर्ताओं को मौजूदा सेवाओं के स्रोत तथा साधन दोनों को विद्यार्थियों के साथ जोड़ देना चाहिए। प्रायः विद्यार्थी यह नहीं जानते कि उनको कहाँ से और कैसे सहायता प्राप्त होगी। समाज कार्यकर्ताओं को इन सेवाओं और प्रेषण संबंधी प्रक्रिया का पता होता है, वे यह सब जानते हैं। व्यावसायिको में, समाज कार्यकर्ताओं प्रावधान तथा लोगों के बीच के संपर्क का काम है।

fo|ky; lekt dk;drkvk d dk;k d fy, lefpr Kku ;k tkudkjh

विद्यालयों में जो समाज कार्यकर्ता कार्य करें उनके पास न्यूनतम समाज कार्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास निम्नलिखित जानकारियाँ भी होना आवश्यक है:

1) विद्यालय की जानकारी

2) व्यवहार परिवर्तन, कार्यात्मक विश्लेषण और कौशलों से मौलिक संबंध सहित व्यक्ति के साथ कार्य करने संबंधी सिद्धान्तों की जानकारी।

3) शैक्षिक निदान और सुधारात्मक शिक्षण अनुभवों की सिफारिशों के लिए शिक्षण और संज्ञानात्मक सिद्धान्तों की जानकारी होना।

4) शिक्षण की अक्षमताओं की जानकारी और उनकी समझ का होना।

5) सामाजिक संवृद्धि, समाजीकरण, शैक्षिक और कौशल शिक्षण समूहों के संबंध में जानकारी रखना।

6) विद्यालयों में समाज कार्य के लिए मध्यस्थता, पक्ष समर्थन और समुचित कार्य प्रक्रिया के लिए सामुदायिक जानकारी और कौशल होना आवश्यक हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समुदाय, इसकी संरचना और कार्यों के संबंध में समुचित जानकारी रखना आवश्यक है।

7) संचार के सिद्धान्त तथा अध्ययन का ज्ञान और कौशल शामिल है।

ckèk Á'u 1

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) लीला बी. कोस्टीन द्वारा की गई सिफारिशों के तहत विद्यालय समाज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यों और जिम्मेदारियों की सूची दीजिए।

.....

.....

.....

3-4 fo'ofo|ky;] dkyt d fo|kFkh vkj ;qok leg

भारत की जनसंख्या एक अरब से ऊपर है जिसमें से लगभग 60 करोड़ की संख्या 25 वर्ष की आयु के नीचे के लोगों की है। इस संख्या का बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं की श्रेणी में आता है। युवा वर्ग अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं तथा अपनी पहचान बनाने के लिए गंभीरता से कड़ा संघर्ष कर रहे हैं,

हमारे देश में, केवल दस प्रतिशत युवा जनसंख्या ही है जिसका उच्च शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन होता है। शेष 90 प्रतिशत भारत के युवा लोगों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग का है जो निरक्षर है अथवा फिर अर्ध-निरक्षर है। इन युवाओं ने प्राथमिक शिक्षा भी नहीं ली है अथवा विद्यालय का मुँह भी नहीं देखा है या फिर प्राथमिक विद्यालयों से आरंभिक अवस्था में शिक्षा लेना छोड़ दिया है। इन समूह के सदस्य समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये प्रायः आर्थिक अर्जन के लिए उत्पादकता के कार्यों में लगे हैं और अनेक सामुदायिक क्रियाकलापों से संबद्ध होते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता देश के सभी शैक्षिक परिसरों में अपना कार्य कर सकता है तथा उन विद्यार्थियों तक पहुँच बनाकर, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जो महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनके साथ मिलकर, उन्हें प्रोत्साहित कर, उनकी सहायता कर सकते हैं। बाकि बचे हुए विद्यार्थियों को अन्य माध्यमों से उनके साथ हस्तक्षेप करना चाहिए जैसे कि यूथ क्लबों, नेहरू युवक केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, व्यावसायिक संस्थाओं तथा ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ संबद्ध करके उन्हें शिक्षित व उनके भविष्य निर्माण में सहयोग देकर उनकी सहायता की जा सकती है।

;qok dh fof'k"Vrk,¡

आज का युवा वर्ग, कल के समाज में प्रशासन के कार्यों को अपने हाथ में लेगा और देश व्यवस्था का संचालन करेगा। युवा वर्ग आदर्शवादी होता है तथा किसी भी तरह के कार्यों के लिए एकजुट हो जाता है। युवाओं के मस्तिष्क से पूर्वाग्रहों को सरलता से बाहर निकाला जा सकता है अथवा पूर्वाग्रहों से बचाया जा सकता है।

युवा प्रायः सतर्क, जिज्ञासु, पहचान बनाने अपनी छाप छोड़ने, तथा लोगों और देश की सेवा के लिए भावनात्मक कटिबद्धता के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। युवा वर्ग की कुछ विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:

- युवा प्रायः बहुआयामी स्थिति में होते हैं – भावी संभावनाओं तथा शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा दोनों में सम्मिलित हो सकती है।
- युवा सहज वातावरण में बेहतर विकास कर सकता है।
- युवा उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो अपने आप में सहज नहीं होते हैं। वे उन लोगों की आसानी से पहचान कर लेते हैं जो अवास्तविकताओं का मुखौटा लगाए होते हैं।
- समाज को युवा लोगों का सम्मान करना चाहिए ये लोग नए समाज के निर्माण करने में सक्षम व योग्य हैं।
- युवा समूहों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि आपसी सहयोग की शक्ति से अन्य युवाओं को शक्तिशाली बना सकें।

,d ;qok dk;ZdrkZ dh vko';d fof'k"Vrk,¡

युवाओं के साथ कार्य करते समय एक समाज कार्यकर्ता को निम्नलिखित विशिष्टताओं की आवश्यकता होती हैं:

- युवाओं की क्षमताओं पर विश्वास करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें।
- प्रत्येक की अद्वितीयता को स्वीकार करें।
- सकारात्मक आधार/सुदृढ़ता प्रदान करें।
- उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएँ।
- उन्हें विश्वसनीय वातावरण प्रदान करते हुए उनकी गोपनीयताओं को संरक्षित करें।

- उनकी भावनाओं को स्वीकार कर मान्यता दें।

;ok dk;Øek dh çÑfr

कार्यक्रमों के विषय युवाओं के शैक्षिक योग्यता और उनकी आवश्यकता पर निर्भर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे युवा लोग ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो मजबूत व्यावसायिक तत्व सिद्ध होंगे। नए व्यावसायिक कौशल उन्हें सक्षम तथा उनके आर्थिक स्तर का विकास कर सकेंगे।

इस समूह के सदस्यों की आयु विवाह योग्य होगी या फिर उनका विवाह हो चुका होगा, इस स्थिति में परिवार नियोजन सहित परिवार जीवन शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक सिद्ध होंगे। एक परिवार जीवन पर कार्यक्रम में युवा लोग रुचि लेंगे तथा इससे वे लाभान्वित भी होंगे।

संक्षेप में, युवा कार्यक्रमों में निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है:

- सामान्य शिक्षा (कार्यात्मक साक्षरता सहित, जहाँ आवश्यक हो)।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण (मौजूदा कौशलों में सुधार तथा नए व्यावसायिक कौशलों को सीखना)।
- परिवार जीवन शिक्षा (परिवार नियोजन सहित)।
- नेतृत्व का प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम।
- मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक व्यवसाय।
- समाज सेवा या राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में भागीदारी।
- सामाजिक जागरूकता और नागरिकता प्रशिक्षण (समाज और देश के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझना)।
- स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।

çk< vkj lrr f'k{kk

भारत में निरक्षरता एक प्रमुख समस्या है। विश्व की सबसे बड़ी निरक्षर जनसंख्या हमारे देश में है जिसमें 35 करोड़ लोग निरक्षर मौजूद हैं। औपचारिक शिक्षा निरक्षरता की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है। बच्चों और युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा के विकल्पों के माध्यमों को ढूँढना होगा और इस समस्या से निपटने के लिए पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा को अपनाने की आवश्यकता है। पूर्व-साक्षरता और सतत् शिक्षा के कार्यक्रम नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि नए साक्षर बनने वाले लोग निरक्षर बनने की भूल न कर बैठें।

समाज कार्य विद्यार्थी परम्परागत प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों और साक्षरता अभियानों के माध्यम में व्यापक रूप से सम्मिलित हो सकता है जो देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थी सामाजिक कार्यकर्ता निम्न प्रकार से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं:

- निरक्षरता की पहचान के लिए अपने अलग-अलग क्षेत्रों में साक्षरता सर्वेक्षण का कार्य आरंभ करना।

- साक्षरता कक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
- इस मुद्दे पर नुक्कड़ नाटकों, रैलियों और संचार माध्यमों के अभियानों के आयोजन के द्वारा वातावरण निर्माण तथा प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी।
- एक स्वैच्छिक अध्यापक के रूप में कार्य करें और युवा, पुरूष तथा महिला समूहों के उनके विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें पढ़ाने का कार्य करें।
- प्राथमिक तथा अन्य अध्यापन शिक्षण सामग्री को तैयार करने में सहयोग दें।
- पाठ्य सामग्री की आपूर्ति करते हुए तथा उनकी प्रगति की निगरानी करने के माध्यम से सतत् शिक्षा संचालन के लिए नए साक्षर लोगों को प्रोत्साहित करना।

ckèk Á'u 2

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) एक युवा कार्यकर्ता के लिए आवश्यक विशिष्टताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

3-5 vuqla/kku ifjo'k e lekt dk;Z vH;kl

समाज कार्य अनुसंधान उच्च व्यावसायिक स्तरों और उत्तरदायित्वों की बढ़ती हुई माँगों को पूरी करने के लिए समाज कार्य विद्यार्थियों, अध्यापकों और व्यावसायिकों को सक्षम बनाने में अद्भुत भूमिका निभाता है।

समाज कार्य अध्यापकों को समाज कार्य में अनुसंधान के साथ समाज कार्य के सिद्धान्त और अभ्यास को एकीकृत करें, उसे समेकित करना अत्यंत आवश्यक है। समाज कार्य अनुसंधान में प्रशिक्षण की पाठ्यक्रमों के अध्यापन के अभिन्न अंग के रूप में समाज कार्य के प्रशिक्षण में सम्मिलन करें। विद्यार्थियों के आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक उपकरणों को उनके क्षेत्र कार्य अभ्यास को निखारने की नितांत आवश्यकता है।

vuqla/kku lLFkkvksa e {k= dk;Z LFkkiu

समेकित अनुसंधान और अभ्यास के एकीकृत कार्य को क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण में ही आरंभ कर देना अत्यंत आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को अनुसंधान प्रारूप को विकसित करने तथा उनके क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तियों/समूहों/समुदायों की समस्याओं के अध्ययन करने तथा उनके समाधान को अपने हाथ में लेने में सहायक होंगी।

क्षेत्र कार्य स्थापन का मुख्य उद्देश्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अध्ययन की जा रही समाज कार्य शिक्षा और नगर में अन्य अनुसंधान संगठनों में चल रहे अनुसंधान से समाज कार्य के साथ विद्यार्थियों को जोड़ना और एक-दूसरे के सहयोग से अनुसंधान कार्य को उन्नत करना है। विद्यार्थियों के लिए अनुसंधान के प्रशासनिक तथा संगठनात्मक पक्षों और अनुसंधान इकाइयों से परिचित कराने की आवश्यकता है।

fofHkUu ifjo'kk e lekt dk;l i fDVde

क्षेत्र कार्य स्थापन से संबंधित मुख्य समस्याएँ निम्न प्रकार हैं:

1) बहुत ही कम संस्थाएँ या संगठन हैं जहाँ पर पूरी तरह से समाज कार्य अनुसंधान इकाइयों को संचालित किया गया है।

2) उपलब्ध अनुसंधान केन्द्र प्रायः शहरों में स्थापित हैं। छोटे शहरों, तथा नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अनुसंधान आधारित स्थापनाओं में क्षेत्र स्थापन के लिए अधिक अवसर नहीं हैं अथवा कह सकते हैं कि इस तरह के अनुसंधान का अभाव है।

3) विद्यार्थियों के क्षेत्र कार्य अवधि में अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करना तथा इन परियोजनाओं के कार्यों अवधि प्रायः एक साथ संभव नहीं हो पाता है। इसलिए, इन परियोजनाओं के सभी चरणों में विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी करना असंभव है।

4) क्षेत्र कार्य अवधि के दौरान विद्यार्थी प्रायः अनुसंधान इकाई में केवल सप्ताह में दो ही दिन कार्य करते हैं, इससे परियोजना अनुसंधान कर्मचारियों से उन्हें परियोजना सम्बधी ज्ञान का बड़ा अंश सीखना चाहिए तथा उन्हें यह भी पता लगेगा कि उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने कितने कामों का निपटारा किया है।

अनुसंधान केन्द्रों में स्थापन की समस्याएँ होने के बावजूद, अनुसंधान को क्षेत्र स्थापन के एक मार्ग के रूप में नकार नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों को अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विशेषकर जब वे समुदायों और ग़ैर-सरकारी संगठनों में स्थापित हों, ये इस समय प्रायः मूल्यांकन अध्ययन में लगे हों। समाज कार्य अनुसंधान, सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके व्यावसायिक स्तर तथा उनके हस्तक्षेप करने में उनके उत्तरदायित्व के प्रति सजग होने का अवसर प्रदान करती है।

आइए, अब हम सामान्य और विशेषकर समाज कार्य अनुसंधान में समाज अनुसंधान की प्रकृति और भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात् हम सामाजिक सर्वेक्षण और मूल्यांकन अध्ययन की भूमिका की समीक्षा करेंगे।

lkekftd vuqlaèkku dh Hkfedk

अनुसंधान के ज्ञान की धारा को गति देने की दिशा में घटना का व्यवस्थित और तार्किक जाँच-परख के रूप में वर्णन किया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक घटना के बारे में व्यवस्थित और तार्किक विश्लेषण, उसका वर्णन, स्पष्ट करने के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा अन्त में उनमें आपसी संबंधों को समझना होता है। जॉर्ज लुडबर्ग (1946) के अनुसार वैज्ञानिक प्रणाली तीन मूल चरणों में समाहित होती है, अर्थात् व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और आँकड़ों की व्याख्या करना।

समाज विज्ञान सर्वप्रथम मानव व्यवहार के साथ संबद्ध होता है, जो प्रकृति में जटिल और बहुआयामी होती है सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य विभिन्न मानवीय व्यवहारों की खोज करना है। सामाजिक अनुसंधान में भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान से अलग शोध के विषय सचेतन और सक्रिय मानव होते हैं।

सामाजिक अनुसंधान सामाजिक आँकड़ों के साथ जुड़ा होता है जोकि भौतिक आँकड़ों से बहुत अधिक जटिल होता है। सामाजिक आँकड़ों की जटिल प्रकृति सामाजिक अनुसंधान में की गई वास्तविक घोषणाओं की शक्ति को कम कर देती है। सामाजिक अनुसंधान की अधिकतम विषयवस्तु गुणात्मक होती है तथा मात्रात्मक मानकों या उपायों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

समाज कार्य अनुसंधान अभ्यास तथा तकनीकों का हस्तक्षेप, विकल्प की जानकारी के साथ ज्ञान की खोज में वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना है। समाज कार्य अनुसंधान एक प्रकार या किस्म है जो समाज अनुसंधान की श्रेणी अथवा और अधिक विशिष्टता से कहें तो समाज विज्ञान अनुसंधान के नाम से जानी जा सकती है।

lekt dk;Z vuqlaèkku d dk;Z

समाज कार्य अनुसंधान मूल रूप से व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य अभिकरण और समुदाय के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान निकालने को करता है। समाज कार्य अनुसंधान में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के विचार बिन्दु से समस्या का अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक अनुसंधान स्वरूप, आँकड़ा संग्रहण और उनकी व्याख्या करने के विषय हैं, वह व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के समुचित प्रयोग को ध्यान में रखकर अध्ययन कार्य पूरा किया जाएगा। समाज कार्य में अनुसंधान बहुपक्षीय होता है।

1) अभ्यास कार्यकलापों के लिए विज्ञान के परिप्रेक्ष्य और प्रणालियों के एक ढाँचे में उपलब्ध कराई जा सकती है।

2) अनुसंधान अभ्यास के लिए ज्ञान निर्माण करने में सहायता करता है।

3) अनुसंधान कार्य सूचना, जैसे कि कार्यक्रमों का परिचालन या सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिति विशेष आँकड़ों को प्रदान करता है।

fo"k;oLrq vkj Á.kkyh foKku

व्यापक दृष्टिकोण में समाज कार्य अनुसंधान अपनी सहज प्रकृति में समाज कार्यकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं से संबद्ध है। समाज कार्य अभ्यास अथवा समाज कार्य सेवाओं के प्रशासन संबंधी प्रश्नों तथा सामने आने वाली समस्याओं को समाहित करता था।

समाज कार्य अनुसंधान की विषयवस्तु के सतही विचार को ध्यान में रखते हुए समाज कार्य अनुसंधान साहित्य के विभिन्न अध्ययनों से एकत्रित किए गए है। समाज कार्य अनुसंधान को हम चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं:

1) व्यवहार, व्यक्तित्व, समस्याओं तथा व्यक्ति, परिवार और लघु समूहों की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करना;

2) विशेषताओं, प्रयोगीकरण तथा सेवाओं का प्रतिफल का अध्ययन करना;

3) प्रवृत्तियों, अभिनवकरण तथा सामाजिक कार्यकर्ता व्यवस्था का प्रशिक्षण, या अन्तरविद्या संबंधी अध्ययन; और

4) संगठनों, समुदायों तथा सामाजिक नीति का अध्ययन करना।

समाज कार्य अनुसंधान में उसी तरह की वैज्ञानिक प्रणालियों और तकनीकों का प्रयोग होता है जैसे कि समाज अनुसंधान में होता है। बहरहाल, जब अभिकल्प या रूपरेखा उपयुक्त नहीं होती है तो समाज कार्यकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार अभिकल्पों को विकसित कर लेता है, ये समाज कार्य अनुसंधान के लिए बेहतर सिद्ध होते हैं।

प्रकाशित अनुसंधान के विश्लेषण के अनुसार समाज कार्य अनुसंधान में प्रमुख कार्यनीति प्राकृतिक प्रणाली के माध्यम से घटना का अध्ययन बिना किसी प्रायोगिक छल-कपट के अध्ययन करना चाहिए।

Hkkjr e lekt dk;] vuqla/kku

भारत में समाज कार्य अनुसंधान का समुचित विकास न होने के अनेक कारण हैं, इनमें से कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए जा रहे हैं:

1) वित्त या धन का अभाव

2) अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों की कमी

3) अनुसंधान सुविधाओं की कमी

4) अध्यापन का अधिक कार्यभार होना

5) अनुसंधान प्रोत्साहनों की कमी

6) अनुसंधान प्रशिक्षण की कमी

7) संचार और अनुसंधान के उपयोगों में बाधाएँ; और

8) अनुसंधान नियोजन तथा समन्वय के लिए रचनातंत्र का अभाव।

lkekftd lo{k.k

सर्वेक्षण आंदोलन आवश्यकताओं के आकलनों के अधिकतर समकालीन स्वरूपों के पूर्ववृत्ती होते हैं। सर्वेक्षण परिकल्पनाओं सूत्रीकरण करने और उनकी जाँच परख करने के लिए प्रयोग दोनों ही स्थितियों में लाभदायक होती हैं। सी.ए. मोज़र के अनुसार "समाजशास्त्रियों को सर्वेक्षण के क्षेत्र का प्राथमिकता से विस्तार किया जाए और इसे सीधे ही अध्ययन के आस-पास बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि समस्या को प्रकाश में लाया जाएँ और इस संबंध में आसपास बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि समस्या को प्रकाश में लाया जाए और इस संबंध में अध्ययन करने के लिए सुझाव दिए जा सके।"

lkekftd lo{k.k vkj lkekftd vuqla/kku e vUrj

सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान यद्यपि अनेक अर्थों में न तो एक हैं और नहीं समान हैं। दोनों के बीच प्रमुख अन्तर निम्न प्रकार हैं:

1) सामाजिक सर्वेक्षण विशिष्ट व्यक्तियों, समस्याओं और स्थितियों से संबद्ध होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान सामान्य तथा विशेष समस्याओं से संबंधित होता है।

2) सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और निर्धारित समय उपलब्ध जानकारी का प्रयोग करता है। अतः यह प्रकृति में व्यावहारिक है। जबकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सटीक प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों को विकसित करने के लिए दीर्घकालीन अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रकृति में सैद्धान्तिक होता है।

3) सामाजिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है, इसलिए यह प्रकृति में व्यावहारिक है। जबकि सामाजिक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य सामान्य ज्ञान अथवा अध्ययन की तकनीकों में सुधार करना है। अतः यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से शैक्षिक या वैज्ञानिक है।

4) सामाजिक सुधार या प्रशासनिक परिवर्तन में समाज सर्वेक्षण परिणाम का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान परिणाम के माध्यम से नए सिद्धान्तों को सूत्रीबद्ध करना या पुरानी संकल्पनाओं में संशोधन किया जाता है।

5) सामाजिक सर्वेक्षण कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर पूरा किया जा सकता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान परिकल्पना विकसित करता है और फिर सिद्धान्त का निर्माण करता है।

6) सामाजिक सर्वेक्षण का निष्पादन व्यावसायिक आधार पर किया जाता है। अनेक सर्वेक्षण इच्छुक पक्षों से धन का भुगतान करके पूरा कराया जाता है अर्थात् मत या विचार सर्वेक्षण। सामाजिक अनुसंधान में एक समाज विज्ञानी के लिए मुख्य पहल ज्ञान और संतुष्टि होती हैं।

lekt dk;Z esa eY;kdu vuqla/kku

मूल्यांकन अनुसंधान समाज कार्य अनुसंधान का एक क्षेत्र होता है और अनुसंधान अभिकल्प के प्रयोग में लागू होता है। समुदाय निष्पादन के उद्देश्यपूर्ण आकलन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम चाहे वे सफल रहे हैं या असफल उन सबके परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है।

मूल्यांकन, प्रगति के विश्लेषण के अतिरिक्त कार्यक्रम को लागू करने में सामने आने वाली समस्याओं को इंगित करता है तथा उनके लिए सुधारात्मक आवश्यक उपायों को भी बताता है। मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः यह संगठनात्मक प्रक्रिया में अनिवार्य साधन है, यह कार्यक्रम की गतिविधियों की प्रगति तथा भावी कार्यक्रम नियोजन एवं निर्णय लेने में सुधार करने में सहयोग प्रदान करता है।

eY;kdu dh vo/kkj.kk

मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ "मूल्य का आकलन" करना है। जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे वे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक तरीके हो, जब कभी एक व्यक्ति कुछ कार्यों या घटना के परिणामों को जानना तथा समझना चाहता है, उसे मूल्यांकन का सहारा लेना होगा। विकास कार्य का मूल्यांकन विकास कार्यक्रम या परियोजना अथवा परियोजना समाप्त होने के पश्चात् भी, चलने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन की अत्यंत आवश्यकता होती है।

वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए सुसंगत आँकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। व्यापक अर्थ में, मूल्यांकन अनुसंधान की संकल्पना या कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यक्रमों अथवा सेवाओं की अनुसंधान प्रणाली के प्रयोग के स्पष्ट संकेत देते हैं। रोस्सी तथा फ्रीमैन (1993) के अनुसार मूल्यांकन, अवधारणा निर्माण, अभिकल्प, सामाजिक हस्तक्षेप कार्यक्रम को लागू करने और उनकी उपयोगिता का आकलन करने के लिए सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू करना होता है।

eY;kdu vkj ey vuqla/kku d chp vUrj

सामाजिक अनुसंधान सामान्य और मूल अनुसंधान विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं। व्यापक अर्थ में मूल्यांकन अनुसंधान व्यावहारिक सामाजिक अनुसंधान हैं।

मूल्यांकन अनुसंधान प्रायोगिक अनुसंधान की विशिष्ट शाखा है जिसका स्वरूप सामाजिक कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है जैसे कि प्रौढ़/अनौपचारिक

शिक्षा, कल्याणकारी योजनाएँ, नवीन हस्तक्षेप प्रणालियाँ और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था इत्यादि।

मूल्यांकन अनुसंधान के निष्कर्षों का केवल यह अर्थ नहीं है कि वे हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं अथवा सिद्धान्त निर्माण में प्रयोग होती है। उनके सीधे संबंध कार्यक्रमों से होते हैं कि क्या वे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए या फिर उन्हें बन्द कर दिया जाए, क्या बजट में वृद्धि की जाए या फिर उसमें कमी की जाए, और क्या कार्यक्रम में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इन सबके निर्णयों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

मूल्यांकन अनुसंधान का स्वरूप अल्पसमय के लिए तैयार किया जाता है जबकि मूल अनुसंधान चल रहे कार्यक्रमों का सतत् मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न करता है। सामाजिक समस्याओं का तुरन्त समाधान नहीं निकाला जा सकता है, परन्तु कार्यक्रमों के संबंध में तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। मूल्यांकन अनुसंधान तुरंत तथा निश्चित उत्तरों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इस दृष्टि से मूल अनुसंधान का कार्य बिल्कुल अलग है।

eY;kdu vuqla/kku d Ádkj

अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का विशुद्ध श्रेणीबद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ अनुसंधानकर्त्ता मूल्यांकनकर्त्ताओं के अनुसार मूल्यांकन अनुसंधान का वर्गीकरण करना अच्छा मानते हैं अर्थात यह संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे कार्यक्रम के लिए किस प्रकार से मूल्यांकन करना चाहते हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर मूल्यांकन अनुसंधान को निम्नलिखित तीन प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं।

क) vkrfjd eY;kdu

यूह पूर्व स्थापित मानदंडों के अनुसार मुख्य कार्यकर्ता और भागीदारों द्वारा किए जाने वाले स्व-मूल्यांकन की सतत् प्रक्रिया है। यहाँ पर व्यक्ति और अभिकरण के कार्यकारी लोग तथा समूह भागीदारी करते हैं।

ख) ckg; eY;kdu

इसमें अभिकरण से बाहर के लोगों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। बाहरी मूल्यांकनकर्त्ताओं का मुख्य रूप से मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि "बाहरी लोग" अधिक विषयपरक और निष्पक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे विशेषज्ञ होते हैं तथा वे विशेषज्ञ तकनीकी ज्ञान रखते हैं तथा वे नवीन विचारों और परिणामों की तथ्यपरकताओं में वृद्धि करने में समर्थ होते हैं।

ग) la;qDr eY;kdu

इसमें बाहरी मूल्यांकनकर्त्ताओं तथा एक या एक से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यद्यपि, संयुक्त मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य है, ये अभिकरण व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनको सक्षम बनाते हैं और परिणामों के अपने लाभ प्राप्त करते हैं।

समाज कार्य व्यावसायिक सतत् प्रभावी मूल्यांकन का कार्य करते हैं। एक व्यैक्तिक समाज कार्यकर्ता अपने मूल्यांकन का विस्तार अपने सेवार्थी की समस्याओं या उनकी चिन्ताओं तक ले जाता है तथा उनका मूल्यांकन करता है जिनका वे निदान कर रहे है। इसी प्रकार से, समूह कार्यकर्ता चाहेगा कि जन्म नियंत्रण की जानकारी में वृद्धि करने के लिए कौन-से उपाय कारगर होंगे जैसे कि जन्म नियंत्रण पर बनी फिल्म दिखाने या फिर समूह चर्चा,

वह चाहेगा कि समूह चर्चा से अधिक प्रभावी फिल्म ही रहेगी। इस प्रकार के सभी मूल्यांकन "मूल्यांकन अनुसंधान" नहीं होते हैं क्योंकि इस प्रकार के मूल्यांकन में हम वैज्ञानिक प्रणालियों को लागू करने के संबंध में विचार नहीं करते हैं। हम इस प्रकार के सभी मूल्यांकन के लिए "अनौपचारिक मूल्यांकन" शब्दावली के प्रयोग करते हैं।

dk;ZØe eY;kadu dh vko';drk

गै़र-सरकारी संगठनों तथा दाता अभिकरणों को अपने कार्यक्रमों के संबंध में व्यवस्थित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है यद्यपि, गै़र-सरकारी संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है किन्तु ऐसे बहुत कम संख्या में हैं जो अपने कार्यों/प्रभावों के संबंध में मूल्यांकन अध्ययनों को कार्यान्वित करते हैं।

गै़र-सरकारी संगठन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने हाथ में लेते हैं तथा वे व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं और इन सेवाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उनको यह जानने की आवश्यकता होती है कि क्या उनके द्वारा दी गई सेवाएँ प्रभावी तथा प्रासंगिक रही हैं, इनका वे अपनी सेवाओं के परिणाम जानना चाहेंगे। वे यह भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, दानदाता संगठनों को यह जानना आवश्यक होता है कि दिया गया धन वास्तव में ठीक से खर्च हुआ है अथवा नहीं, इसके लिए वे साक्ष्यों से रिपोर्टों को प्राप्त करते हैं।

यहाँ पर यह बताने की अत्यंत आवश्यकता है कि व्यवस्थित मूल्यांकन पर कोई ध्यान नहीं देता है, फिर चाहे वह गै़र-सरकारी संगठन अपने कार्यों के निष्कर्षों की अपनी व्यक्तिगत "सफलता की कहानियाँ" लिखकर कार्य निष्पादनों को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। दानदाता अभिकरण मुख्य रूप से वार्षिक प्रगति रिपोर्टों और उनके द्वारा क्षेत्र दौरों के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं और उन्हें इन्हीं पर विश्वास करना पड़ता है। गै़र-सरकारी संगठनों तथा दानदाता अभिकरणों को यह समझने की आवश्यकता है कि मूल्यांकन अनुसंधान परियोजनाओं का एक अनिवार्य अंग होता है।

मूल्यांकन अनुसंधान सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विविध भूमिकाएँ निभा सकती हैं। कार्यक्रम नियोजन, कार्यान्वयन और परिणाम अथवा निष्कर्ष निकालने के विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन अनुसंधान की विभिन्न भूमिकाएँ होती हैं जिन्हें हम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं:

क) कार्यक्रम प्रतिपादन के लिए मूल्यांकन अनुसंधान;

ख) कार्यक्रम की निगरानी के लिए मूल्यांकन अनुसंधान; और

ग) कार्यक्रम परिणाम के लिए मूल्यांकन अनुसंधान।

ckscZ Á'u 3

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) मूल्यांकन और मूल अनुसंधान के बीच अन्तर बताइए।

.....

.....

.....

.....

3-6 lkjk'k

इस इकाई में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में क्षेत्र स्थापन के लिए व्यापक संरचना प्रस्तुत की गई है। पूर्व-विद्यालय स्तर से उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यों में समाज कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विद्यालय समाज कार्य के बहुआयामी परिवर्तनों से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उन्हें आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है, कठिनाइयों में फँसे हुए बच्चों को परामर्श देकर उन्हें कठिनाइयों से बचाता है तथा सामान्य विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को एकीकृत सहायता की व्यवस्था करता है। विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता समस्याओं का समाधान निकालता है जैसे कि शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ, कक्षा में दुर्व्यवहार तथा अत्यधिक अनुपस्थिति इत्यादि। वे विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापकों को सुझाव देते हैं। विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता सम्पूर्ण शैक्षिक टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

मूल्यांकन अनुसंधान का उद्देश्य या प्रयोजन सामाजिक हस्तक्षेप तथा मानव सेवा कार्यक्रमों के उपयोग का आकलन करना होता है। विद्यार्थी को सामाजिक कार्यकर्ताओं के ग़ैर-सरकारी संगठनों में नियोजित किया जाता है। वे वहाँ पर आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दलों की सहायता करते समय मूल्यांकन प्रक्रिया के ज्ञान व उसकी जानकारी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं।

समाज कार्यकर्ता समाज कार्य व्यवसाय के सहयोगी सदस्य के रूप में अपने संभावित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह स्थिति उस समय आती है जब वे अनुसंधान प्रणालियों की जानकारियों से सक्षम हो जाते हैं। अनुसंधान का ज्ञान आपको उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य बना देगा।

3-7 dN mi;kxh iLrd

डेल, रिइडर, (1998) *इवेल्यूएशन फ्रेमवर्क्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स*, नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

दास, डी.के., लाल (2000), *प्रेक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च, सोशल वर्क पर्सपेक्टिव्स*, जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स।

रामचन्द्रन, पी. ईस्सूज इन सोशल वर्क रिसर्च इन इंडिया ए फेलिसिएटशेन, वाल्यूम, बम्बई: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, 1990।

स्कीडयोरे, रेक्स ए., एवं मिल्टन जी. ठाकरे, (1960), *इंट्रोडक्शन टु सोशल वर्क, थर्ड*, न्यू जर्सी : प्रेन्टिस हॉल इंक. 1982।

स्ट्रोप, हर्बर्ट हेविट्ट, (1960), सोशल वर्क : एन इंट्रोडक्शन टू दी फील्ड, सैकेड, नई दिल्ली, यूरोसिया पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 1960।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 4 l/kkjkRed lsok,¡

bdkbZ dh :ijs[kk

* संगीता धर

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 परिभाषा और दर्शन

4.3 भारत में बन्दी गृह का इतिहास

4.4 सुधारात्मक कार्य प्रशासन

4.5 सुधारात्मक समाज कार्य

4.6 ग़ैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

4.7 सारांश

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4-0 mÌs';

सुधारात्मक सेवाओं (Correctional services) का आरंभ मानवजाति (humankind) कल्याण में विश्वास के साथ हुआ है जो प्रत्येक मानव को फिर से अपने जीवन को शुरू करने के लिए एक बार पुनः अवसर देता है। प्रत्येक अपराधी व्यक्ति कुछ वातावरण के कारण से भी पीड़ित होता है जिसके कारण उसे अपराधी बनना पड़ता है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपः

- सुधारात्मक सेवाओं के दर्शन (philosophy) को जान सकेंगे;
- सुधारात्मक सेवाओं के विकास को समझ सकेंगे;
- वे स्थापन जिनमें इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है, उनको स्पष्ट कर सकेंगे; और
- सुधारात्मक स्थापनों में समाज कार्य व्यावसायिक की भूमिका और महत्व की समीक्षा कर सकेंगे।

4-1 çLrkouk

सभी समाज मानव व्यवहार पर पाबन्दी या प्रतिबंध तथा सीमाओं का निर्धारण करते हैं तथा जो लोग इन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, उनसे निपटने के लिए औपचारिक (formal) और अनौपचारिक (informal) उपायों (means) की व्यवस्था करती है। औपचारिक उपायों का अर्थ है लिखित विधि या कानून और संस्थागत संरचना जो उनकी पहचान करती है, आरोप का दोष सिद्ध करने के बाद कानून का उल्लंघन करने वाले को सज़ा दी जाती है। इस अपराध नियंत्रण तंत्र को आपराधिक न्याय प्रणाली कहते हैं।

अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया या उस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें नागरिक, अभिकरण और सरकार की शाखाएँ शामिल होती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को इस प्रकार से बनाया गया है कि वह अपराध पर नियंत्रण और सुरक्षित एवं व्यवस्थित

* सुश्री संगीता धर, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

समाज की रचना करने में अपना सहयोग प्रदान करे। वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली या व्यवस्था के अनेक स्तर हैं तथा अपराध पर प्रतिबंध लगाने के बहुत सारे उपाय हैं जिनमें स्थानीय अधिकारीगण शामिल हैं। सम्पूर्ण व्यवस्था समुचित रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले की पहचान करती है, फिर उसका अपराध निर्धारित कर दण्ड विधान तय करने के बाद सजा देती है और फिर "अपराधी" का व्यवहार परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। इन जिम्मेदारियों को पुलिस, न्यायालय तथा सुधारात्मक घटकों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है जो व्यक्ति के सभी नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए लोकतांत्रिक नियमों के अंतर्गत बनाए हुए ढाँचे में निष्पादित किए जाते हैं। अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं जो अपने स्वविवेक के माध्यम से तथा व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को गतिशील बनाने और मुख्यधारा में प्रवेश के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

4-2 ifjHkk"kk vkj n'kZu

सुधारात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें समाज सार्वजनिक लोगों की सुरक्षा करना चाहता है, अपराधियों को दण्ड देना और उनके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है तथा कुछ मामलों में पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति भी करना चाहता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की व्यापकता से व्याख्या की गई है अथवा उनके प्रावधान रखे गए हैं, इसके संचालन में पर्यवेक्षण की विभिन्न श्रेणियाँ और स्तर हैं। समुदाय के अन्दर कम से कम निगरानी की व्यवस्था की गई है और अधिक से अधिक सुरक्षा की व्यवस्था को निश्चित करने के लिए अपराधियों को कैद या बन्दी गृह में डालने की व्यवस्था है। अपराधी पैदा नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। मानव संभावनाओं से परिपूर्ण होता है और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तथा इसलिए कोई व्यक्ति यह नहीं लिख सकता है कि किसी अपराधी को सुधारा नहीं जा सकता है अथवा रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है। महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू हमेशा कहते थे कि कड़ी से कड़ी सजा देना और बदतर से बदतर स्थितियों में रखने से मानवता का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी, ने कहा है कि "अपराध करना एक मानसिक बीमारी है और वह आसानी से ठीक नहीं होती है, इसलिए अपराधी को बन्दी गृह में रखकर ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिससे यह लगे कि यह जेल नहीं बल्कि अस्पताल है।" हम इस सिद्धान्त पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं और पिछले 56 वर्षों में हमने ऐसे प्रयास किए हैं कि बन्दी गृह का स्वरूप एक सुधारात्मक गृह के रूप में बदल जाए। भारत में बन्दी गृह प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है कि कैदियों में अनुशासन और सुरक्षा की भावना पैदा की जाए तथा उनमें सुधार और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके साथ उन्हें समुचित सुधारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसा सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिससे वे अच्छे नागरिक बन जाए और मुख्य धारा में नागरिक समाज में सम्मिलित हो जाए। हमारा यह भी एक उद्देश्य है कि कैदियों को ऐसे साधनों से सुसज्जित करें कि वे कुशल और सक्षम हो जाएँ उन्हें सहायता उपलब्ध कराएँ कि जहाँ वे बन्दी गृह से छूट कर जब बाहर आएँ तो वे एक बार फिर से सामान्य नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सकें।

हम उस सार्वभौमिक विचार से सहमत हैं कि अपराधी को केवल जेल की सजा दी जाना उसी समय सार्थक हो सकती है या न्यायोचित हो सकती है जब यह अपराध के विरुद्ध समाज की सुरक्षा का नेतृत्व करें। इस प्रकार की उपलब्धि केवल उसी समय संभव हो सकती है कि वह कानून का पालन करे, समाज की सेवा, सुरक्षा करे जब हम अपराधी

के जेल से बाहर आने पर स्व-सहायता तथा वह अपने पैरों पर खड़ा होकर एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवनयापन कर सकें।

इसके अतिरिक्त यह स्वीकार किया जा चुका है कि बन्दी गृह में अपराधी को उसकी स्वतंत्रता और संकल्पों से वंचित करना, कैदी को उसके बीते दिनों में दिए गए कष्टों व अत्याचारों को फिर से जेल में न सहन करने पड़ें जिन्हें वह लेकर जेल में आया है, इसके साथ ही बन्दी प्रणाली भी इस प्रकार के व्यवहार के लिए अनुमति नहीं देती है। अतः जब कुछ विशेष श्रेणी के अपराधी जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक और भयंकर हो सकते हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग करने के लिए ही जेल में रखा जाना आवश्यक है, उनके लिए भी वे सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि वे अच्छे नागरिक बन सकें और जब वे जेल से रिहा होकर आए तो उनका व्यवहार उस समय से बेहतर हो जब वे जेल में गए थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए बन्दी गृह प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में तीन व्यापक सिद्धान्तों को विकसित किया है जो निम्न प्रकार हैं:

1) एक व्यक्ति जेल में अमानुष न बन जाए।

2) एक व्यक्ति जेल में जेल की सीमाओं के अंतर्गत सभी मानव अधिकारों का हकदार है।

3) जेल की प्रक्रिया में उन अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जिनके कारण उसे जेल भेजा गया था। यह न्यायोचित नहीं है।

वास्तव में इन सिद्धान्तों को बन्दी गृह प्रशासन में गंभीरता से लागू किए जाने की आवश्यकता है उन्हें जेल स्थितियों में मानवीकरण, संस्थागत देखभाल के लिए निम्नतम स्तर, जेल कर्मचारियों का नवीनीकरण या उनका अभिविन्यास करना, जेल कार्यक्रम का पुनर्गठन तथा जेल नियमों और विनियमों का प्रासंगिकीकरण की शर्तों में जेल व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए कहा जाना चाहिए।

4-3 Hkkjr esa cUnh xg dk bfrgkl

हमारे देश में जेल के इतिहास को महाकाव्य युग में खोजा जा सकता है। रामायण में, जब भरत राम से मिलने चित्रकूट गए और उन्होंने अयोध्या के लोगों की राज्य व्यवस्था और कल्याण के संबंध में जानकारी प्राप्त की उस समय वे जेल की स्थिति को प्रकाश में लाना नहीं भूले थे। महाभारत में जेल के संदर्भ में लिखा गया है उस पौराणिक अवधि में जेल यानी कारागृह में 18 राज्य के अधिकारी होते थे और उनमें से एक जेल संस्थान का प्रमुख होता था। मनस्मृति में कहा गया है कि (राजा) जेलों को राज पथों पर बनाया जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें दुष्ट लोगों को कड़ी सजा प्राप्त और अंग-भंग कैदियों को सभी लोग देख सकें। उस समय बहुत ही भयानक सजा दी जाती थी जैसे कि कैदियों को पशुओं के सामने उनके आहार के लिए छोड़ देना या फिर उनका अंगभग कर राजमार्गों पर छोड़ देना होता था। हमारे देश में, लोगों को जेल में (काल कोठरी-तहखानों) बन्द कर देते हैं ताकि लोग उन्हें न देख सकें और वे लोगों को न देख सके और वे प्रायः अन्य भयंकर दण्डित होने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं जैसे कि देश निकाला। बहिष्कृत करने और मृत्युदण्ड इससे हम भगवान कृष्ण के माता-पिता की जेल के बारे में बता सकते हैं उन्हें सात दरवाजों की काल कोठरी में कैद किया गया था जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। बुद्धकाल से पूर्व की जेलें भी बहुत ही भयानक होती थी। वहाँ पर अपराधियों को बाँध दिया जाता था और उन पर भारी वस्तुओं को रख दिया जाता था। इन जेलों

में कोड़े से प्रतिदिन कैदियों को पीटा जाता था। सम्राट अशोक की जेलों (नरक) का वर्णन ह्यून सॉग (Huien Tsang) और फाह्यान (Fa-Hien) ने किया है। इस काल में जेलों में अच्छे और मानवीय व्यवहार के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। मुगल शासन काल के दौरान पुराने किलों और गढ़ों को कारागृह के रूप में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता था। ये जेलें बौद्धकाल से पहले जैसी भयंकर जेलें नहीं थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् जेलों को सुधारने के लिए राज्य सरकारों ने अनेक समितियों का गठन किया है। भारत में बन्दी गृह प्रशासन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ डॉ. डब्ल्यू. सी. रेकलेस (Dr. W.C. Reckless) ने 1951-52 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसकी सिफारिशों के 17 वर्ष बीत जाने के पश्चात् जेल महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था। इसके बाद अखिल भारतीय जेल प्रबंधन समिति (All India Jail Management Commitee) ने 1960 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सुधारात्मक सेवा ब्यूरो का गठन हुआ जिसका बाद में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के रूप में पुनर्गठन किया गया था।

ykM+ eSdkys vk;ksx dh fjiksVZ ¼1835½

इस रिपोर्ट में लॉर्ड मैकाले (Lord McCauley) ने सुझाव दिया था कि बाहरी श्रम के लिए प्रतिबंध लगाया तथा अन्दर काम लेने का सुझाव दिया था अलग-अलग कैदियों के लिए अलग से व्यवस्था शुरू की गई थी। अपराधियों का बेहतर श्रेणीकरण किया था, विचाराधीन कैदियों को ध्यानपूर्वक अलग करना, केन्द्रीय संस्थान की स्थापना अथवा, सजायाफ्ता कैदी और जेल प्रणाली विनियमों को बनाने के लिए जेल निरीक्षकों द्वारा सामान्य रूप से कानून निर्धारित करने के लिए अपनी इस रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें की गई थी।

cUnh x`g vuq'kklu lfefr] 1836

लार्ड विलियम बैंटिक ने गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्य एच. शेक्सपीयर की अध्यक्षता में दिनाँक 2 जनवरी, 1836 को द्वितीय समिति की नियुक्ति या स्थापना की। इस समिति को बन्दी गृह अनुशासन समिति (The Prison Discipline Committee) के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सन् 1838 में लॉर्ड ऑकलैण्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने रिपोर्ट के प्रमुख आकलन में कहा कि "व्यवस्था में बेहद भ्रष्टाचार व्याप्त है, अनुशासन कमजोर और ढीला है और कैदियों को बाहर काम पर लगाया जाता है या उनसे श्रम कराया जाता है। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि कैदियों की सजा और कठोर करने की आवश्यकता है तथा अपराधियों को नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं, शिक्षा या अच्छे बर्ताव के लिए सजा में ढील देने या पुरस्कार के रूप में उसकी सजा कम अथवा रिहा कर देने की सिफारिश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही अविचारित कैदियों को दोष सिद्ध कैदियों से अलग रखने की भी सिफारिश की, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की गई थी कि "बन्दी गृह महानिरीक्षक के कार्यालय" (Office of Inspector General of Prisons) की स्थापना की जाए।

t;y çc/ku vkj vuq'kklu vk;ksx] 1864

द्वितीय समिति की नियुक्ति सन् 1864 में की गई थी जिसमें प्रथम समिति में उठाए गए सभी मुद्दों पर पुनर्विचार करना था। सर जॉन लारेंस (Sir John Lawrence) ने भारत के सभी बन्दी गृहों की स्थिति की व्यापक समीक्षा की थी जिसके फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने जेल प्रबंधन और अनुशासन आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने विशेष सिफारिशें की थी जिसमें आवास या रहने की स्थिति, भोजन या खुराक में सुधार, वस्त्र और चिकित्सा जेलों में वस्त्र, चिकित्सा देखभाल एवं जेल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियाँ करने

की सिफारिशें की। आयोग ने यह भी सिफारिशें की कि महिलाओं, बच्चों व प्रौढ़ों को सभी कैदियों से अलग रखा जाए।

prFke tsy vk;ksx] 1888

वर्ष 1888 में, लॉर्ड डुफ्फेरिन (Lord DufFerin) ने जेल की वास्तविकता को जानने और उसकी जाँच के लिए चतुर्थ जेल आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने पहले की सभी रिपोर्टों (1836, 1864 और 1877 की रिपोर्ट) का पुनरीक्षण किया और जेल प्रशासन सहित सभी मामलों की व्यापक जाँच परख की। आयोग ने मत व्यक्त किया कि जब तक एकल बन्दी गृह अधिनियम नहीं बना दिया जाता है तब तक जेल के मामलों में एकरूपता नहीं आ सकती है। इसने जेल स्थापना की भी सिफारिशें की थी।

cUnh xg vf/kfu;e] 1894

जेल आयोग, 1888 की रिपोर्ट के आधार पर एक एकीकृत बिल तैयार किया गया। इस बिल को बाद में पारित कर दिया गया था। बन्दी गृह अधिनियम, 1894 में लागू होते ही भारत में बन्दी गृहों के शासन प्रबंधन और प्रशासन के सभी मौजूदा कानून उसके अंतर्गत आए। यह अधिनियम, बंदियों के साथ व्यवहार और बन्दी गृह अपराधों के संबंध में और अधिक निर्णय निर्धारण के साथ बन्दी गृह प्रबंधन को और अधिक कठोर सिद्धान्तों और नियमों को लागु करता है उनका पालन करने के लिए बाध्य करता है। अपराधों के संदर्भ में कठोर सजाओं का प्रावधान प्रस्तुत करता है।

Hkkjrh; tsy lfefr 1919-20

भारतीय जेल समिति 1919-20 ने बीसवीं शताब्दी में पहली बार जेल समस्याओं का व्यापक अध्ययन किया था। इस समिति की रिपोर्ट देश को जेल सुधारों के संबंध में मील का पत्थर माना जाता है। समिति ने बन्दी गृह प्रशासन (कठोर) के आधार पर सिद्धान्त को त्याग कर बन्दी गृह के बारे में नए दृष्टिकोण के पक्ष का समर्थन किया। जेल के इतिहास में पहली बार जेल प्रशासन के उद्देश्यों के आधार पर अपराधियों के "सुधार" और उनके "पुनर्वास" की पहचान करते हुए व्यापक सुधारों की सिफारिशें की गई थी। समिति ने यह भी सिफारिश की कि अपराधियों की देखभाल के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग को लगाया जाए। इस विचार को रद्द कर दिया कि दोष सिद्ध अधिकारियों की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए और जो लगे हुए हैं उनकी संख्या में कमी की जाए। इसके साथ ही जेल में बच्चों को रखने के विरुद्ध भी आदेश दिए गए और इस पिछली परम्परा का सख्ती से त्याग करते हुए यह भी कहा गया कि बच्चों के अपराधों पर निर्णय लेने के लिए बाल अपराध न्यायालय स्थापित किए जाए और किशोर सदन या गृह की स्थापना की जाए ताकि बच्चों को अन्य अपराधों से बचाते हुए उन्हें जीवन को ठीक मार्ग पर लाया जा सके।

jsdyus vk;ksx fjiksVZ] 1952

डॉ. डब्ल्यू. सी. रेकलेस सुधारात्मक कार्य पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ थे। वे 1951-52 के दौरान भारत आए और उन्होंने देश में बन्दी गृह प्रशासन का अध्ययन किया उन्होंने इस सुधार के रास्ते और साधन प्रस्तुत किए। उनकी रिपोर्ट "भारत में जेल प्रशासन" और अन्य बन्दी गृह सुधार, इतिहास के मील का पत्थर है। उन्होंने कहा था कि जेल को सुधार रूपी बन्दी गृहों के रूप में बदला जाए और नए बन्दी गृहों की स्थापना की जाए। उनके अनुसार बाल-अपराधियों को न्यायालय, जेल और पुलिस से मुक्त रखा जाए। उन्होंने जेल हिरासत में रखे गए व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के कारण से जेल में रखे गए लोगों को सजा

न दी जाए बल्कि उनका सुधार किया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। उन्होंने यह भी सिफारिश की है जो पुराने पड़ चुके हैं या फिर व्यर्थ हो गए हैं उनमें सुधार करते हुए पुराने जेल नियमावलियों को रद्द किया जाए।

vf[ky Hkkjrh; tsy lq/kkj lfefr 1980-83

वर्ष 1980 में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति आनन्द नारायण मुल्ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशें सार्वभौमिक रूप से 'मुल्ला आयोग' के रूप में जानी जाती हैं, इसने जेल सुधारों के सुधारात्मक दृष्टिकोण में मील का पत्थर स्थापित किया है। आयोग ने समस्याओं का व्यापक अध्ययन किया और एक व्यापक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जो आज भी सुधारात्मक सेवाओं में बाइबल की तरह से मानी जाती है। मुल्ला समिति ने जेल प्रशासन के सभी पक्षों की समीक्षा की और उनका परीक्षण किया और असीमित सुधारों की सिफारिशें की थी जिनको यदि लागु कर दिया जाए तो जेल प्रशासन दक्षता, मानवीय और व्यावसायिक मार्ग पर लम्बे समय तक प्रासंगिक रह सकेगा। मुल्ला समिति की सिफारिशों में वैधानिक, संचलानात्मक, सुरक्षा पक्षों पर अपनी सिफारिशें देने के अतिरिक्त अन्य मामलों को भी अपनी सिफारिशों में बहुत ही अच्छी तरह से सम्मिलित किया गया है जैसे कि कैदियों का वर्गीकरण, जेल में रहने की स्थितियां, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सेवाएँ, स्वास्थ्य कार्यक्रम, कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, विचाराधीन तथा अन्य विचाराधीन कैदियों और महिला कैदियों से संबंधित समस्याएँ इत्यादि। रिपोर्ट में कैदियों के प्रबंधन पर व्यापक बल देते व्यावसायिकों के संवर्ग को सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं।

l/kkjkRed dk;Z lsokvksa dk foHkktu

यहाँ अनेक कारकों के आधार पर सुधारात्मक कार्य सेवाओं का विभाजन किया गया है। विभाजन के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं:

{k=kf/kdkj ¼U;k;½ d vuqlkj

क) केन्द्रीय

ख) राज्य

ग) स्थानीय

vkijkf/kd U;k; dk;ksa d vuqlkj

क) पुलिस

ख) न्यायालय

ग) सुधारात्मक

LFkku fu/kkj.k d vuqlkj

क) संस्थागत

ख) ग़ैर-संस्थागत

vk; d vuqlkj

क) प्रौढ़

ख) किशोर (बाल अपराध)

vU; dkjdkd dk vuqlkj

क) प्रक्रिया का आकार

ख) अपराधी का लिंग

ग) अपराध का प्रकार

घ) विशेष कार्यक्रम

उपर्युक्त सभी विभाजन प्रमुख वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं जो वैधानिक और ग़ैर-वैधानिक हो सकते हैं। वैधानिक श्रेणी भारतीय दण्ड संहिता और अन्य कानून के अंतर्गत आते हैं। प्रौढ़ कैदियों सहित दोष-सुधार कार्यों की श्रेणी में आते हैं जबकि अवयस्क कैदियों को कल्याण सदनों और महिला कैदियों को नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। अन्य वैधानिक विभाजन सामाजिक विधि निर्माण के अंतर्गत आते हैं जैसे कि देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000, अनैतिक अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और बम्बई भिक्षा निरोधक अधिनियम, 1959।

cks/k iz'u 1

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) सुधारात्मक कार्य सेवाओं के पीछे कौन-सा दर्शन है?

.....

.....

.....

.....

4-4 l/kkjkRed dk;Z çkkl u

सुधारात्मक प्रशासन की सफलता विश्वास, दर्शन और सुधारात्मक कार्मिकों या कर्मचारियों की दक्षता पर निर्भर करती है। जेल अधिकारियों को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है तथा यह बहुत ही कठिन कार्य होता है। अच्छे व्यावसायिक संबंध कर्मचारीगण और कैदियों के बीच बहुआयामी सुरक्षा के आवश्यक तत्व हैं।

सावधानीपूर्वक, चयनित समुचित प्रशिक्षित, पर्यवेक्षित तथा सहायक स्टाफ लम्बे समय तक अपने कार्यों को क्षमतापूर्वक निष्पादन करता है।

tsy deZpkfj;ksa dh Hkwfedk

i) कैदियों के साथ अच्छे तरीके से सद्व्यवहार करें जिसमें मानवीय, शालीन और न्यायोचित शामिल हों।

ii) सभी कैदियों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

iii) यह निश्चित किया जाए कि खतरनाक कैदी जेल से भाग न जाए।

iv) यह निर्धारित किया जाए कि जेल में अच्छी व्यवस्था और नियंत्रण के अंतर्गत हैं; तथा

v) जेल में कैदियों को उनके समय को सकारात्मक उपयोग के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएँ ताकि वे जब जेल से रिहा होकर जाएँ तो वे समाज में पुनर्वासित हो सके।

यह देखा जाता है कि जेल कर्मचारीगण इस अनुदान के विरुद्ध निगरानी में सहायता करते हैं। स्टाफ को समाज में परिवर्तन लाने के लिए संवेदनशील बने रहने की आवश्यकता है और इसके परिणामस्वरूप ही जेल प्रशासन में परिवर्तन लाया जा सकता है।

जेलों में सुधारात्मक कार्यक्रम सम्पूर्ण विश्व के भागों में विशेषीकरण, विविधापूर्ण और अनुभवीकरण की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि समाज अपराध के लिए समान दण्ड (व्यैक्तिकीकरण) के प्रारंभिक सिद्धान्त के लिए उनकी सुधारात्मक आवश्यकताओं पर आधारित कैदियों के व्यक्तिगत व्यवहार का प्रस्थापन है। जेल प्रशासन में तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि सुधारात्मक संस्थानों और नागरिक समुदायों के सहनिवासियों के बीच सामाजिक बंधनों या सीमाओं को कम करने का प्रयास करना शामिल है। जितना भी संभव हो यह रुचि पैदा की जाए कि कैदियों के समाज या समूहों के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सके। समूह चिकित्सा विज्ञान और साधन या यंत्र जिनका उद्देश्य जेल प्रशासन के दैनिक कार्यों में सभी की भागीदारी में वृद्धि की जानी चाहिए जिसकी रचना या निर्माण इस प्रकार का हो कि समाज और प्रशासनिक नीतियों के बीच की बाधाओं को कम किया जा सके उन्हें तोड़ा जा सके तथा सभी को उनके स्तर और इच्छाओं के अनुसार स्व-प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास की इच्छित श्रेणी या स्तर प्रदान किया जा सके।

जेलों के सुधारवादी कार्यक्रमों का एक इतिहास है जो तत्कालीन सुधारात्मक दर्शन की तर्ज़ पर है। इसमें शिक्षा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, व्यावसायिक कार्यकलाप तथा नैतिक शिक्षा इत्यादि जो जेल में लम्बे समय से चल रहा है। यह कैदियों के सुधार के लिए जेल प्रशासन के प्रयासों का एक हिस्सा है। पिछले दस वर्षों में इस प्रक्रिया की तीव्र गति ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली जेल प्रशासन द्वारा जो सुधारात्मक कार्यों के पैकेज है उसे "नई दिल्ली सुधारात्मक आदर्श" के रूप में प्रचलित है अथवा जाना जाता है। इसकी मूल विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:

1) जेल में सामुदायिकता का निर्माण करना

2) कैदियों की सामुदायिक आत्मनिर्भरता की रचना करना

3) भागीदारी प्रबंधन

यह आदर्श या मॉडल "जेल प्रशासन का निजीकरण" तथा हॉफ वे हाउसेस" के दृष्टिकोण के बीच संतुलन का निर्माण करता है। नई दिल्ली सुधारात्मक मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के वियेना स्थित कार्यालय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया जा चुका है और इस पर व्यापक चर्चा की गई है। यह अपराध निवारण और आपराधिक न्यायिक शाखाओं के अंतर्गत सम्पन्न हुआ है। इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।

dkjkokl esa efgyk,¡

महिलाओं से संबंधित लिंग प्रतिष्ठा और पुनर्वास के लिए आदर प्रदर्शित करना सभी सुधारात्मक संस्थाओं और व्यक्तिगत आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के इस कार्य व्यवहार में पुलिस, जेल, सुधारात्मक और न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं और विशेषकर महिलाओं पर लागू होने वाले कानूनों प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित होते हैं जिनके पास अद्यतन जानकारी होती है। पारिवारिक जीवन और सामाजिक विकास तथा बालिकाओं की संवेदनशीलता की विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन आपराधिक न्यायिक प्रणाली की नीति को ध्यान में न रखते हुए जितना भी संभव होता है महिलाओं को बंदी बनाना और उन्हें कारावास में डालने की प्रक्रियाओं से बचने का भरसक

प्रयास किया जाता है अथवा यह कह सकते हैं कि जितना संभव होता है महिलाओं को बन्दी या कारावास में नहीं डाला जाता है। जहाँ पर महिलाओं को गिरफ्तार करने के मामले में उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा या संरक्षण और अधिकारों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाता है किसी भी स्थिति में महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस, सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य महिलाएँ ही नियुक्त की जाती हैं वे ही इस कार्य को ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निष्पादित करती हैं।

जब भी महिलाओं को नज़रबंद अथवा जेल में रखा जाता है उनको मूलभूत सुविधाएँ देने और गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए जेल प्रशासन द्वारा महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक रूप से प्रयास किए जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है।

fd'kkj U;k; ¼cPpksa dh ns[kHkky vkSj lajf{k.k½ vf/kfu;e] 2000

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु से कम है, उसे "बच्चा" या "बालक" माना जाएगा। जो व्यक्ति 16 वर्ष का हो चुका है किन्तु 18 वर्ष का नहीं हुआ है उसे अवयस्क अथवा "नाबालिग" माना जाएगा (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 किशारों के दो प्रकार के निर्धारित करता है:

क) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर

ख) कानून के द्वंद्व में किशोर

'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर' तथा 'कानून के द्वंद में किशोर' दोनों में बहुत अंतर हैं। जिन बच्चों के पास रहने का स्थान नहीं है और वे भीख माँगते हैं, काम करते हुए पाये जाते हैं और वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, उन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर कहते हैं। इस तरह के बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बाद में किशोर सदनों में रखा जाता है जहाँ उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रखा जाता है तथा प्रयास किए जाते हैं कि इनको उनके ही परिवार में रहने की व्यवस्था की जाती है या फिर उन्हें गोद देने के लिए व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है, पालन-पोषण देखभाल या धर्म माता-पिता जो कहे उनको दे दिए जाते हैं। यदि इस प्रकार के बच्चों को संस्थाओं में रखने की आवश्यकता होती है तो वह भी किया जाता है, यद्यपि यह विकल्प अच्छा नहीं है।

dkuu dk }} esa fd'kkj

इस प्रकार के किशोरों की पहचान नियमित रूप से आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। इन्हें जब कहीं अपराध के अंतर्गत पकड़ा जाता है, तो उसकी आयु की पहचान की जाती है। यदि जाँच के तहत ये लोग अवयस्क या नाबालिग या किशोर होते हैं उन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत ले लिया जाता है और फिर उन्हें विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें दो समाज कार्यकर्ता होते हैं और एक मानद् मैजिस्ट्रेट होता है जो इनके मामलों को देखता है और निर्णय देता है।

विधि विवाद में बच्चे संबंधी कानूनों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। न्यायिक प्राधिकारी संबंधी पीठ का पुनर्गठन किया गया है जिसमें किशोर न्याय बोर्ड प्रमुख है जिसके न्यायिक प्राधिकारी गठन में परिवर्तन किया गया है जिसमें एक मजिस्ट्रेट और दो समाज कार्यकर्ता शामिल होते हैं ये दोनों समाज कार्यकर्ता न्यायिक अधिकारी को निर्णय देने में सहायता

करते हैं। अब जो परिवर्तन है वह बोर्ड से बैंच यानी कि एक पीठ बना दी गई है, इस पीठ में भी दो समाज कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इसमें विशेष परिवर्तन यह है कि अब कुछ समय का अन्तराल रखा गया है जिसमें जाँच की प्रकृति को विशेष रूप से शामिल किया गया है। अब प्राथमिक जाँच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में बच्चे ने अपराध किया है जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा प्रशिक्षण किया जाएगा तथा उन कारणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्य को दोनों समाज कार्यकर्ता निष्पादित करेंगे। इसके बाद अपराध के कारणों की जाँच, बच्चे ने यह अपराध क्यों किया, इसके पीछे ऐसे क्या कारण रहे हैं, जिनके कारण बच्चे को अपराध करना पड़ा था तथा उन कारणों का निवारण करने के लिए विशेष रूप से प्रभाव किए जाने की प्रक्रिया को पूरा करना, इसमें सम्मिलित है। बोर्ड के गठन में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो जाँच की प्रक्रिया इरादतन या इरादे के उद्देश्य का हो गया है। वास्तव में यह देखना महत्वपूर्ण है कि अपराध का उद्देश्य क्या है। अतः ये परिवर्तन अपने आपमें निश्चित अपराध कानून के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। इसका प्रभाव सीधा किशोर न्यायिक प्रशासन द्वारा अपराध कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, एक अच्छा कदम है, जिसके परिचालन में नए नियम कानूनों का प्रावधान रखा गया है।

इस स्थापन में समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका अपराधों के कारणों का पता लगाना, उनकी पहचान करना तथा इस प्रकार के बच्चों के लिए पुनर्वास की आवश्यक सिफारिशें करना, उनको लागू करवाना है।

बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के मामले में जब सामाजिक जाँच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद बच्चों को उसके परिवारों में पुनर्वास के लिए वापस भेजा जाएगा। यदि परिवार ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण करने में असफल हैं, ऐसी स्थिति में अन्य कोई विकल्प खोजा जाएगा और जो सबसे अच्छा और समुचित विकास का होगा, उसको बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा बच्चों का पुनर्वास निश्चित किया जाएगा।

समाज कार्यकर्ता किशोर गृह तथा प्रेक्षण व अवलोकन गृह में समूह कार्य या समाज व्यैक्तिक समाज कार्य के रूप में ग्राहक किशोर की सहायता सेवा कर सकते हैं। इस तरह से उसकी समस्या को समझने में आपसी समझ का विकास होगा तथा उन संसाधनों का पता लगाया जा सकता है जिनकी बच्चों को आवश्यकता है तथा बच्चों के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों में शामिल होकर बच्चों के सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों में समुदाय का शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को मनाने अथवा सांस्कृतिक कार्यों में समुदाय का शामिल होा जैसे कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है।

vuSfrd vo/k 0;kikj ¼fuokj.k½ vf/kfu;e] 1960

यह एक और सामाजिक वैधानिक उपाय है। यह अनैतिक अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम जो सार्वजनिक तौर पर अवैध व्यापार को रोकने में सहायता करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दो तरह के लोग शामिल होते हैं, एक ओर वे अपराधी हैं जो अपराध करते हैं दूसरी वे ओर पीड़ित लोग होते हैं जिनके साथ अपराध किया जाता है। इसमें अपराधी लोग, दलाल, भड़वे, बिचौलिया या फिर स्वयं वेश्यावृत्ति करने, कराने वाले लोग शामिल होते हैं। ये लोग वेश्यावृत्ति के लिए ग्राहकों को तलाशते हैं, उन्हें उन महिलाओं तक पहुँचाते हैं, जिन्हें वे बहला-फुसलाकर अथवा दबाव से अनैतिक कार्यों को करवाने में सहयोग एवं मदद देते हैं। इस तरह के अपराधियों से निपटने, उनकी जाँच करने और सजा देने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान मौजूद हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दूसरी

श्रेणी में पीड़ित महिलाएँ शामिल हैं जिनसे दबाव देकर उनसे वेश्यावृत्ति का कार्य कराया जाता है। इस तरह के पीड़ित लोगों की जाँच की जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि पीड़ित की आयु क्या है, वयस्क है या अवयस्क, बच्चा है या किशोर। यदि बच्चा और किशोर है तो उन लोगों को बाल कल्याण समिति में भेज दिया जाता है जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करती है।

यदि पीड़ित महिला वयस्क है तो उसे नारी निकेतन में भेज दिया जाता है, वहाँ पर समाज कार्यकर्ता उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं। इसके पश्चात् उन महिलाओं को उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया जाता है और यदि कोई जाँच के लिए दावा करता है उसकी सम्पूर्ण जाँच की जाती है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाती है। यदि पीड़ित महिला अवयस्क है और किसी पड़ोसी देश से संबंधित है, उन्हें संबंधित देश के राजदूत के कार्यालय में सौंप दी जाती है।

cEcbZ fHk{kk fujks/kd vf/kfu;e] 1956

भीख माँगना एक अपराध है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई व्यक्ति भीख माँगता हुआ पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, उसे 24 घंटों के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि पकड़े गए व्यक्ति का यह पहला अपराध है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। यदि अपराधी आदतन अपराध (इस मामले में भिखारी) करता आ रहा है उसे भिखारी गृहों में भेज दिया जाता है तथा उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह भविष्य में भीख माँगने का कार्य त्याग कर अपनी आजीविका स्वयं कमा सके। इन मामलों में भी भिखारियों की जाँच की जाती है यदि भिखारी अवयस्क है तो उसे बाल गृहों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। वहाँ उस पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है और प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाती है।

ckS/k Á'u 2

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) विधि द्वन्द में किशोर अपराधी और बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

4-5 l/kkjkRed lekt dk;Z

यह सुधारात्मक स्थापन के समाज कार्य सिद्धान्तों को लागू करने के संदर्भ में हैं। अधिकतर व्यक्ति जो सुधारात्मक स्थापन में चिकित्सीय तथा अर्ध-चिकित्सीय कार्यों का निष्पादन करते हैं जैसे कि परिवीक्षक या पैरोल अधिकारी तथा संस्थागत परामर्शदाता सुधारात्मक समाज कार्य की एक छतरी के नीचे परिचालन के कार्य करते हैं। परन्तु यह कार्य इतना सरल नहीं है, इसमें न्यायिक प्रशासन और अपराधियों के पुनर्वास दृष्टिकोण में अनेक बाधाएँ मौजूद हैं, विश्वास जिसे कि कठोर दबाव के दण्ड द्वारा व्यवहार परिवर्तन करने और प्रगतिशील उपचारों या उपायों के विरुद्ध घोर उग्र लोग जैसी बाधाएँ उपस्थित होने के कारण सुधारात्मक कार्य करना इतना आसान नहीं है।

समाज कार्य बीसवीं शताब्दी में एक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है और आज यह जीवन को उन्नत करने और गुणवत्ता के लिए समाज कार्य वचनबद्धता पूरी करने के साथ प्रगति पर है। अतः समाज कार्य मानव तथा सामाजिक स्थितियों और मानव दबावों व तनावों और समस्याओं को समाप्त करने जैसे कार्यों और गतिविधियों को समाविष्ट करते हुए कार्यरत हैं। समाज कार्यकर्ता व्यावसायिकों की एक कड़ी के रूप में लोगों के साथ उनकी क्षमताओं और कार्यों की वृद्धि करने के लिए कार्य कर रहा है ताकि मानव और अनुक्रियात्मक सामाजिक सेवाओं को उत्पन्न करने तथा सामाजिक संरचना को विस्तारित करने, तथा सभी नागरिकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक सहयोग और संसाधनों को पहुँचाने का कार्य निष्पादन कर रहा है। मुख्य रूप से परामर्श करना और विशेषकर व्यैक्तिक समाज कार्य में इसकी प्रणाली है जिनका प्रयोग जेल समाज कार्य में लागू कर की जाती है, यहाँ तक कि समूह कार्य और सामुदायिक कार्य दोनों स्थल पर दबाव के द्वारा सचेतन रूप से प्रयास कर रहा है। जेल में समाज कार्य अभ्यास के लिए किसी विशिष्ट ढाँचे का पालन नहीं करता है। इससे स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के बिन्दु परिभाषित न होने के कारण अभ्यासकर्त्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सारांश यह है कि समाज कार्य अभ्यास कर्त्ताओं को चाहिए कि वे वास्तविक वातावरण और भावनात्मक कठिनाइयों को पहचाने और उनके प्रति अनुक्रिया करनी चाहिए जो उनमें बंदी बनने के कारण उत्पन्न हुई है। प्रत्येक अपराधी में यह क्षमता होती है कि वह परिवार, समुदाय और समाज का रचनात्मक सदस्य बनकर संवृद्धि और विकास करें। कैदी अपने व्यावहारिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय घटक है जो व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार और समुदाय के संबंध में उसकी प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करे। समाज कार्यकर्ताओं की चुनौतीपूर्ण प्रवृतियाँ और व्यवहार के परिणामस्वरूप अपराध और दुखों या व्यथाओं के कारणों अथवा पीड़ितों तथा अन्य को हानि पहुँचा सकते हैं।

जैसे कि विपणन, सामुदायिक सेवाएँ, पैरोल प्रवीक्षण, सुधारात्मक पर्यवेक्षण तथा जेल की सजाओं में परिवर्तन करने के लिए जो समुदाय-आधारित उपचार करते हैं, उन्हें इन सेवाओं का विस्तार करना चाहिए ताकि पुनः अपराधी बनने आदि अपराध-व्यसन को कम किया जा सके। सुधारात्मक सुविधाओं में समाज कार्यकर्ता दो प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं : संस्थान के अंदर सहायता सेवाएँ और समुदाय में संसाधनों के संबंध में सेवाएँ प्रदान करते हैं। सुधारात्मक सुविधाओं के अंतर्गत समाज कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, शिक्षा, और व्यावसायिक पुनर्वास के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा सकता है। इससे समाज कार्यकर्ताओं को जेल का वातावरण और अपराधियों को अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी।

परिवीक्षा

प्रारंभिक दण्डशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी को बन्दी गृह में डालकर दण्ड देना जोकि हिरासत में रखना अपराधों को कम करने का एकमात्र समाधान समझा गया था। परन्तु आधुनिक दण्डशास्त्रीय दृष्टिकोण दण्ड के नए स्वरूप में प्रवेश कर गया है जहाँ पर अपराधी के हित के साथ सामुदायिक आवश्यकताओं में संतुलन बनाया है। क्षतिपूर्ति करना, चेतावनी देकर परिवीक्षा पर रिहा करना, जुर्माना लगाना, सामुदायिक सेवाएँ जैसी कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता हे।

परिवीक्षा (Probation) लैटिन शब्दावली से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ "जाँच करना या सिद्ध करना" है। इसका विकास हिरासत के विकल्प के रूप में किया गया है जहाँ पर दोष या अपराध सिद्ध हो जाता है परन्तु यह निर्धारण किया जाता है कि अपराधी को

जेल की सजा देना अच्छा नहीं होगा। जेल की सजा अपराधी के रिहा होने के पश्चात् सामान्य समाज में पुनःसमायोजन की क्षमता को कम कर देती है तथा प्रायः व्यावसायिक अपराधी के साथ सहयोग करने में अवांछित प्रभाव पड़ते हैं। परिवीक्षा की अवधि में परिवीक्षार्थी समुदाय में रहता है। वह कोर्ट या अन्य स्थापित प्राधिकारी द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार अपने जीवन को नियमित करता है और अपराधी द्वारा परिवीक्षण के अंतर्गत उसकी निगरानी में रहता है।

न्यायालय यदि चाहे कि अपराधी के विरुद्ध पूर्व में कोई सजा सिद्ध नहीं हुई है, तथा उसकी आयु, लिंग, तथा अपराधी का पूर्ववृत्त के आधार पर अच्छे व्यवहार की परिवीक्षा पर उसकी रिहाई के आदेश दे सकता है। न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी कैदी को बाँड के साथ या बाँड के बिना अथवा बिना जमानत प्रस्तुत करने, जब चाहे हाजिर होने, सजा काटने, जब भी बुलाया जाए हाजिर होने और परिवीक्षा के दौरान शान्ति बनाए रखना तथा अपना अच्छा व्यवहार रखने की शर्तों पर जेल से रिहा किया जा सकता है।

न्यायधीश के लिए धारा 361 अनिवार्य है कि वह कारणों की घोषणा करे कि अपराधी को परिवीक्षा लाभ क्यों नहीं दिया गया है, इस प्रकार के अपराधी प्रायः 21 वर्ष की आयु के होते हैं।

भारत में परिवीक्षा अधिकतर राज्य की नीति पर निर्भर करती है। परिवीक्षा पर रिहा होने के पश्चात अपराधियों को अपने जीवन में सुधार लाने के लिए देखभाल कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाता है।

सभी स्थापनों में देखभाल के पश्चात् अपराध व्यसन की रोकथाम के लिए आन्तरिक नियमों के भागों को अनिवार्य रूप में पालन करना होता है। देखभाल के पश्चात सामाजिक सुरक्षा के सिद्धान्तों का सूक्ष्म संघटन बनाया जाता है जिसके संदर्भ के सुधारात्मक ढाँचे में शब्द का प्रयोग किया जाता है।

ifØ;k lekfIr dh i'pkr dh ns[kHkky

बाद की देखभाल शब्द का अर्थ सुधारात्मक संस्थाओं से आवासियों के पुनर्वास के लिए आयोजित कार्यक्रमों और सेवाओं से संबंधित है। इसका सामाजिक और शारीरिक विकलांग व्यक्ति या समूह जिनकी एक संस्थान में विशेष स्थिति आरंभ होने या लागू होने की पुनर्वास की प्रक्रिया के कार्यक्रम तथा सेवाओं के आयोजन का कार्य पूरा हो गया है, प्रयोग किया जा सकता है। जेल मॉडल इसे एक पुल के रूप में वर्णन करता है जिसे वह अपराधी या अन्य सामाजिक या शारीरिक रूप से विकलांग संस्थागत हिरासत के निर्मित और प्रतिबंधित वातावरण, शंका और कठिन तथा झिझक एवं यथोचित नागरिकता से वंचितों को मुक्त समुदाय में अंतिम पुनर्वास में सभी को जोड़ने का काम करती है। अतः बाद की देखभाल सहायता सेवा, मार्गदर्शन, परामर्श, सामाजिक एवं शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए किशोर और वयस्क संस्था से रिहा व्यक्तियों की सहायता और संरक्षण के लिए सुधारात्मक और पुनर्वास के प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए।

सुधारात्मक स्थापन में समाज कार्य दृष्टिकोण समस्या समाधान के लिए तकनीकों को लागू करने के रूप में दर्शन निहित है। समाज कार्य के परिचालनात्मक दर्शन तीन विशिष्ट क्षेत्र में हैं।

1) समाज कार्य में एक समस्या पर हस्तक्षेप के कार्य का लक्ष्य।

2) समाज कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच भागीदारी गतिविधि के रूप में समाज कार्य समस्या समाधान को समझना।

3) सेवार्थी की अनुक्रिया का अर्थ है संकट के समय अत्यधिक और संतुलन के बिन्दु पर बनाये रखना, इसलिए समाज कार्य से संबंधित विषयों पर बल देना चाहिए।

सेवार्थी के साथ समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण कौशल और तकनीकें निम्न प्रकार हैं:

ijke'k djuk

यह एक संबंध है जिनमें एक व्यक्ति दूसरे की सहायता का प्रयास करता है, समझता है और उसकी व्यवस्था/सामंजस्य की समस्या का समाधान करता है। यह सलाह या चेतावनी से अलग जोकि आपसी सहमति पर लागू होती है। इसका लक्ष्य व्यक्तिगत समस्या का तुरन्त समाधान निकालना अथवा आपसी और परिपक्वता के दीर्घावधि प्रयास करना।

vkRe {kerk vkj ijkuHkwfr

समाज कार्यकर्ता के लिए दृष्टिकोण की समझ रखना आवश्यक हो जो परानुभूति के माध्यम से सेवार्थी/अपराधी की समस्या में आत्म क्षमता के द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहता है। परानुभूति चिकित्सीय प्रक्रिया में गंभीर तत्व है सेवार्थी के "संदर्भ को संरचना में सम्मिलित होना है।"

lk{kkRdkj

साक्षात्कार उद्देश्य सहित एक व्यावसायिक वार्तालाप है। प्रभावी संचार रचनात्मक मानव अंतःक्रिया का हृदय है। साक्षात्कार लेना गहन मनोचिकित्सीय और परामर्श लेने से बिल्कुल भिन्न है। साक्षात्कार मूल तत्व है जबकि रचनात्मक मार्गदर्शित अंतःक्रिया का सार है।

सुधारात्मक स्थापन में कुछ मुद्दे हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है:

c/kd lsokFkhZ

यहाँ पर सेवार्थी एक कैदी है। इसके अंतर्गत उपस्थिति स्वैच्छिक नहीं हैं बल्कि कुछ स्तर पर लागू की जाती है। इसलिए यह बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा सम्पूर्ण वातावरण प्रसन्नचित्त रखना चाहिए। सेवार्थी और साक्षात्कार लेने वाले के मध्य संरचित स्वीकारात्मक स्थिति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में सेवार्थी को इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए तथा उसकी स्वयं की समझ उस स्तर तक प्राप्त कर सके जिसमें वह नए वातावरण में सकारात्मक कदम उठा सके।

dyad vkj vkRelEeku

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्णन के अनुसार कलंक "अपयश का चिह्न है।" यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून के अंतर्गत द्वंद्व में अपराधी बनना सेवार्थी के आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ता है और समाज उनको हाशिये पर रख देता है और उन्हें कलकिंत के रूप में मानती है। कभी-कभी ग्राहक कलंक को अपना आंतरिक मामला मानता है और वह अपना व्यवहार भिन्न तरीके से करने लगता है (बचाव या अनुचित व्यवहार)। इसलिए समाज कार्यकर्ता को अपने मस्तिष्क में इन कारकों को उनके साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) अपराधियों के पुनर्वास करने में, बाद की सेवाओं से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4-6 xSj-ljdkjh lxBuksa dh Hkwfedk

गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी अभिकरणों के लिए उपचार बाद की देखभाल और अपराधियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने के महत्वपूर्ण विषय और अवसर मौजूद हैं। यदि ग़ैर-सरकारी संगठनों की सेवाएँ संगठित हैं, नियमित आधार पर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, वे मुल्ला समिति द्वारा दिए गए, सुझावों के अंतर्गत अपनी यथेष्ट भूमिका निभा सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

क) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित सलाहकार समितियों के साथ वे सहयोग के माध्यम से सुधारात्मक नीतियों के सूत्रबद्ध करने में शिक्षा, औषधि, मनोचिकित्सा कानून, समाज कार्य, संचार माध्यम इत्यादि में विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा।

ख) कैदियों से मिलने या दौरे के रूप में सुधारात्मक कार्य करने के इच्छुक प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति करना। जिला और केन्द्रीय कैदियों के लिए स्थापित दण्ड पुनरीक्षण बोर्डों में ग़ैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों के रूप में भी नियुक्त किया जा सकेगा।

ग) प्रौढ़ शिक्षा और निःशुल्क विधि सहायता कार्यक्रमों के संचालन में कार्य

घ) स्वास्थ्य शिविरों का संचालन।

ङ) मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करना।

च) उच्च अध्ययन करने वाले अन्तःवासियों को व्यक्तिगत कोचिंग देना।

छ) सार्वजनिक सहयोग पैदा करने के दृष्टिकोण के साथ सुधारात्मक उप-प्रणाली के बन्दी प्रशासन और प्रमुख समस्याओं के संबंध में जानकारी को सही प्रकार उत्पन्न करने में ग़ैर-सरकारी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

मानव अधिकारों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि हुई है तथा मानवीय कानून और हिरासत में हिंसा और मृत्यु, टाडा जैसे विशेष कानूनों के तहत कैदियों को अनावश्यक लम्बे समय तक बन्दी गृहों में कैद रखने जैसे मुद्दों से जुड़ जाना चाहिए।

बाद के अनेक देखभाल कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसमें बन्दियों और समुदाय के बीच पुल का कार्य कर रहे हैं। ये सेवाएँ कैदियों को उनके जेल से रिहा होने के पश्चात् दी जाती है। जेल विभाग भी कैदियों को

रिहा होने के बाद उनको स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए व्यापार किट्स उपलब्ध कराते हैं। जेल कल्याण अधिकारी विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान सहायता अथवा ऋण लेने में रिहा होने वाले कैदियों की सहायता करता है। कुछ राज्यों में विशेषकर महिला कैदियों के लिए जो पुनर्वास की समस्या का सामना कर रही हैं उनके लिए हाफ-वे होम्स स्थापित किए हुए हैं। दोष-सुधार स्थापन में समाज कार्यकर्ता की भूमिका और स्थिति के संबंध में अनेक दबाव है।

- समाज कार्यकर्ताओं के कार्यों की स्थिति की जाँच की जानी चाहिए तथा अपराधियों को बेहतर पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले उपायों का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः दौरों समाज कार्य वेतनों, पदों और सेवा-उन्नतियों से समाज कार्यकर्ताओं के नैतिक तथा कार्य संतुष्टि के स्तर में उन्नति और वृद्धि होती है।

- जेलों में सामाजिक समस्याओं का आकार और समाज कार्यकर्ताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए सामान्य समाज कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहिए जो एक परिवार की सम्पूर्ण समस्याओं को हल करने, उनमें सहायता करने की क्षमता रखते हों। बहरहाल, समाज कार्य के विकास में समाज कार्य अभ्यास के कुछ क्षेत्रों में अर्थात् युवा केन्द्रों, परिवीक्षा और पैरोल तथा दीर्घा अवधि में विशिष्टीकरण के लिए आवश्यकता को सत्यापित करता है।

4-7 lkjk'k

सुधारात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली का एक भाग या खण्ड है जिसके माध्यम से समाज सार्वजनिक सुरक्षा, अपराधियों को दण्ड देना, व्यवहार परिवर्तन तथा कुछ मामलों में पीड़ितों के क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की माँग करता है। भारतीय जेलों में सुधारात्मक सेवाओं की संकल्पना का विकास काफी लम्बे समय के बाद हुआ है, यद्यपि जेलों का पूर्व इतिहास बहुत ही भयानक रहा है। यह सुधार मुल्ला समिति के प्रयासों और सुझावों के कारण जेल सुधारों में एक आशा की किरण दिखाई दी है।

इन प्रयासों के प्रकार जिनकी सुधारात्मक सेवाओं का आयोजन करने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कौशलों और तकनीकों को समाज कार्य व्यवसाय के शिक्षण में शिक्षित किया गया है। सुधारात्मक सेवाओं का दर्शन और समाज कार्य एक-दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हैं। यह महसूस किया गया है कि सुधारात्मक सेवाओं के क्षेत्र में समाज कार्यकर्ताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सुधारात्मक स्थापन में पक्ष समर्थक, ब्रोकर, बिचौलिया, उत्प्रेरक, समाज नियंत्रण अभिकर्त्ता, समुदाय संगठक और अन्य के साथ समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका निभाते हैं। समाज कार्यकर्ता पक्षसमर्थन, ब्रोकेज तथा व्यक्ति को बन्दी बनाने और उनके समुदाय संधि के संबंधों के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त समाज कार्यकर्ता का निवेश अथवा उनके कार्य स्थानीय निवासियों आवासियों के आंदोलन के संबंध में निर्णय पैरोल बोर्डों तथा न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों के रूप में सुविधाओं को उपलब्ध कराने को प्रभावित करते हैं।

4-8 dN mi;kxh iLrd

स्नार डब्ल्यू रिचर्ड, *इंट्रोक्शन टू कोरेक्शन्स,* (तृतीय संस्करण), ब्राउन एंड बैंचमार्क।

चक्रवर्ती, एन.के., *इंस्टिट्यूशनल कोरेक्शन्स, इन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस* - दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।

कारनी पी. लुइस, *कोरेक्शन्स : ट्रीटमेंट एंड फिलासफी*, प्रेन्टिस हाल, इंक, इंग्लेवुड क्लिफस, न्यू जर्सी, 7632।

त्रिपाठी, एस. सी. एवं अरोड़ा विभा, *लाज रिलेटिंग टु वुमैन एण्ड चिल्डर्न*, सेंट्रल ला पब्लिकेशन्स।

वर्नुन बी फोक्स, स्टींचकोम्ब बी. जीने, *इंट्रोक्शन टु कोरेक्शन्स*, प्रेन्टिस हाल, कैरियर एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लेवुड क्लिफस, न्यू जर्सी, 07632।

कांत अंजनी, *वुमन एंड लॉ*, रावत पब्लिकेशन्स।

वेबसाइट
www.vedasbooks.com
www.westbengalperisons.org
http://etd.uj.ac.za
www.indiangas.cow
www.ahlartforum.org
www.legalserviceindia.com
www.apcca.org

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 5 fuxfer {k=] nkrk lLFkk,a vkj xSj-ljdkjh lxBu

bdkbZ dh :ijs[kk

* जोसफ वर्गीज़

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

5.3 निगमित क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास

5.4 ग़ैर-सरकारी संगठनों में क्षेत्र कार्य

5.5 दाता संस्थाओं में क्षेत्र कार्य

5.6 सारांश

5.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5-0 mÌs';

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- विभिन्न अभिकरणों जैसे कि निगमित क्षेत्र (Corporate sector), दाता अभिकरणों (Donor Agencies) और ग़ैर-सरकारी संगठनों (Non-governmental Organisations; NGOs) में क्षेत्र कार्य (field work) के व्यावहारिक भाग (practicum) के अवसरों को जान सकेंगे; और
- इन अभिकरणों में विद्यार्थी की भूमिका को समझ सकेंगे।

5-1 çLrkouk

किसी भी उद्यम का प्रथम उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है तथा इसके मालिकों/शेयरधारकों (shareholders) को उनके निवेश पर अधिक से अधिक लाभ देना होता है। बहरहाल, मुक्त बाजार वाले देशों में भी निजी उद्यमों को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। सरकारें प्रदूषण, श्रम, मूल्य और गुणवत्ता मानकों से संबंधित नियम-विनियमों को लागू करती है और उसी आधार पर उद्योगों को पालन करना पड़ता है। उद्यमों के कार्यों का नियंत्रण प्रशासन के हाथ में होता है, जिससे न तो उस समय और न ही भविष्य में समाज को किसी प्रकार हानि हो। प्रायः इस प्रकार के नियम-विनियम कानून के रूप में ही बनाए जाते हैं जिन्हें सरकार क्रियान्वित करती हैं। उद्यमों पर कर भी लगाए जाते हैं। इन उपायों के प्रशासनिक आधार यह है कि जब उद्यमों को निजी स्तर पर स्थापित किया जाता है या इस प्रकार की पहल की जाती है, तो यह माना जाता है कि वे समाज का हिस्सा हैं और वे संसाधनों से लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए, एक उद्यम को ग्राहकों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति समाज के ही द्वारा की जाती है। इसलिए निजी उद्यमों की जिम्मेदारी है कि समाज का भी ध्यान रखें अथवा उद्यमों के समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी रहे हैं। अतः किसी भी कम्पनी के तत्कालीन सहभागी उसके मालिक, शेयरधारक, खरीददार और वितरक होते हैं। समाज के सभी सदस्यों को व्यापक रूप से सहभागी माना जाता है।

* श्री जोसफ वर्गीज़, क्राइस्ट कॉलेज, बैंगलोर

औद्योगिक पूँजीवाद के प्रारंभिक दिनों में पूँजीपूति सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार के प्रति अनभिज्ञ थे अथवा यह कह सकते हैं कि वे संबंध के बारे में सोचते भी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 16 घंटे का कार्य दिवस होता था जिसमें कोई अवकाश शामिल नहीं था यहाँ तक कि बच्चों से भी इसी प्रकार श्रम कराया जाता था तथा सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था और न पर्यावरण पर ध्यान दिया जाता था तथा प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं था। धीरे-धीरे मजदूरों के आंदोलन होते रहे, उनके दबाव के कारण जागरूकता में वृद्धि हुई तथा राज्यों द्वारा उद्योगों में कानून लागू किए गए, उनके लिए नियम-विनियम बनाए गए। वर्तमान में संबंधित सरकारें और अन्तर्राष्ट्रीय निकाय उद्योग निष्पादन के प्रति बहुत चौकस हैं, वे इन क्षेत्रों में लगातार नियंत्रण सहित सुरक्षा प्रदानकर्ता की तरह से देखभाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मौसम परिवर्तन के मुद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं तथा कम्पनियों द्वारा कारखानों के गैस-स्राव या निकास तथा हरित क्षेत्र रखने के संबंध में कानून के माध्यम से नियंत्रित व निर्धारित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उद्योगों पर कितना नियंत्रण करने की आवश्यकता है और वह कितना प्रभावी होगा, इस संबंध में विषयवार सतत् वाद-विवाद हो रहा है।

वर्तमान में औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility; CSR) के दृष्टिकोण का प्रयोग तथा उसका समर्थन किया जा रहा है कि निगमित क्षेत्र को और अधिक कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। साथ ही उसे समाज को समृद्ध बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी में प्रयास करना चाहिए। औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि अंततः सीएसआर की सभी परिभाषाओं में राष्ट्र को एक व्यापार कंपनी (अर्थात निगम) के रूप में शामिल किया गया है जिसका शेयरधारकों के प्रति आर्थिक दायित्व से परे सामाजिक दायित्व है। (स्क्वार्ज, 2011, पृष्ठ 19)। अतः वे सभी निर्णय जो सहभागियों को प्रभावित करते हैं, वे औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग हैं।

ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से अनेक प्रकार से सहायता कर सकते हैं। यह लाभकारी और सतत् बनाए रखने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सतत्ता के कारकों में शासन तथा प्रबंधन, भागीदारों का जुड़ना, पर्यावरण प्रक्रिया सुधार, पर्यावरणीय उत्पाद तथा सेवाएँ, स्थानीय आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास और मानव संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। इसके उपभोक्ताओं, भागीदारों और यहाँ तक कि उपभोक्ताओं की हानि को भी रोक सकता है (तत्रैव, पृष्ठ 3)।

5-2 Hkkjr esa fuxfer lkekftd mÙkjnkf;Ro

भारतीय उद्योग लम्बे समय से औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए पहल करता आ रहा है। महात्मा गांधी के न्यासता के सिद्धान्त का उद्देश्य उद्योगों के मालिकों को न्यासी के रूप में स्थापित करना था। उनका मानना था कि उद्योगों को समाज के हित में चलाया जाना चाहिए न कि निजी लाभ के लिए।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि ..... (व्यापार) अपने आपमें उपभोक्ताओं, मजदूरों, शेयरधारकों और समुदाय के लिए उत्तरदायित्व है ..... प्रत्येक उद्योग, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा हो, इसका सवाल नहीं है, यदि वह आत्मविश्वास और आदर का अधिकारी है, उसे सभी निर्देशों में अपनी सक्रिय उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए ..... इसमें किसी एक या दो समूहों

को नहीं बल्कि, शेयरधारको, मजदूरों को सामुदायिक और उपभोक्ताओं के स्तर पर उनके हित के लिए खर्च करना चाहिए। व्यापार में मानवता की झलक होनी चाहिए वहीं पर उसकी सक्षमता और बहुआयामी कार्यों का भी निष्पादन होना चाहिए।

अनेक औद्योगिक क्षेत्रों और व्यापारिक घरानों ने सामाजिक हितों के लिए कार्य करने की पहल की हैं। उदाहरण के लिए, टाटा समूह ने अनेक सामाजिक कार्यों को आरंभ करने की पहल की है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसने व्यावसायिक समाज कार्य शिक्षा का कार्य आरंभ किया है। सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया लागू होने के पश्चात् औद्योगिक समूह से सामाजिक विकास में और अधिक भागीदारी के लिए अनुरोध किया है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तीन प्रमुख तत्व मौजूद हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

1) lkeqnkf;d fodkl **(*Community Development*)**: अधिकतर बड़ी कम्पनियाँ चाहे स्वयं स्थापित करके अथवा अन्य संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया है, इन्होंने अनेक पहलें की हैं विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्र में समुदाय के उत्थान के लिए सीधे सहयोग देने की पहल की है।

2) i;koj.kh; çcèku (***Environmental Management***): पर्यावरणीय नीतियों और कार्यक्रमों को अब मानकीकृत कर दिया गया है और अनेक कम्पनियों ने आई.एस.ओ. 14001 प्रणाली को अपने व्यापारिक क्रियाकलापों में कार्यान्वित कर लिया है।

3) dk;Z LFky (***Workplace***) कार्य स्थल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण और सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा अपने कर्मचारी वर्ग को अधिक जागरूक और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता उपर्युक्त प्रथम और तीसरे तत्व या कारकों में संलग्न है।

vk|kfxd lkekftd mÙkjnkf;Ro igyksa e lekt dk;Z d {k=

देश में औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों में व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास पहलों तथा कामगार कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। समाज कार्यकर्ता औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निम्न प्रकार से सहायता कर सकते हैं:

1) lkekftd mÙkjnkf;Ro igyksa dk 'kq: djus d fy, vk|kfxd {k= dh lgk;rk djuk

सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करना समाज कार्यकर्ता का प्रथम उत्तरदायित्व है। प्रायः औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को आरंभ करने के लिए अपने संसाधनों को खर्च के लिए तैयार होते हैं किन्तु वे नहीं जानते हैं कि इसका संचालन किस प्रकार से किया जाए। इनमें से अधिकतर अपने व्यापार के संचालन में व्यस्त रहते हैं और पहलों की मूल वैचारिकता पर विचार करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं अथवा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। एक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूहों की पहचान कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकता है, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयुक्त कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध कर सकता है।

यह एक आम धारणा बनी हुई है कि सामाजिक पहलों के संचालन के लिए प्रबंधक की भूमिका में एम.बी.ए. की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, तथा यह भी समझा जाता है कि उनके प्रबंधन कौशल अत्यधिक प्रभावी परिणाम प्रस्तुत करेंगे। वास्तव में इसी धारणा के अंतर्गत पूरे विश्व में समाज कार्य अभिकरणों में एम.बी.ए. की डिग्री धारियों को ही प्रबंधन के लिए लगाया जाता है। फिर भी इनमें से अधिकतर सेवार्थी की बहुआयामी व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते हैं और अप्रासंगिक समाधान उपलब्ध करा देते हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र और समाज का कोई भला नहीं होता है। इसलिए, बहुआयामी दृष्टिकोण वाले समाज कार्यकर्त्ता के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए सेवार्थी की प्रणाली अथवा पद्धति को समझने के लिए अन्य व्यावसायिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से समाज कार्यकर्ता की सहायता ली जानी चाहिए।

एक ओर गलत अवधारणा है कि सामाजिक कार्यों को सार्वजनिक संबंधों के अभ्यास या व्यवहार के रूप प्रयोग किया जाए और इसके लिए जन संचार माध्यम से प्रसारित और प्रचारित किया जाए। वैसे तो यह सब कानूनी साधन है किन्तु इनका परिणाम दिखावटी प्रेम के रूप में सामने आएगा और यह मात्र अपना प्रचार करने की पहलों के रूप में ही सिद्ध होगा।

2) dk;ZØe dk dk;kZUo;u

समाज कार्य के विभिन्न माध्यमों से समाज कार्यकर्त्ता द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

5-3 fuxfer {k= esa lekt dk;Z vH;kl

औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्र कार्य करने के विकल्प उसी तरह से बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी गति से इनमें औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों की पहलों में भी वृद्धि हो रही है। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वे ऐसे अभिकरण में व्यावहारिक अभ्यास का अनुभव प्राप्त करें जहाँ सामुदायिक विकास, परामर्श आदि की क्षमता न हो। औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है किन्तु निश्चित रूप उनकी इसके प्रति कोई प्राथमिकता नहीं है। दूसरे, प्रायः उस विभाग का जो औद्योगिक से सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों को देखता है उसका अन्य विभागों से तालमेल नहीं होता है, न ही इसके कार्यों को स्पष्ट या अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया होता है। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित विभाग के कार्यों को परिभाषित करना और कम्पनी में लिए गए पहलों के बारे में सूचनाओं को प्रचारित व प्रसारित करना विद्यार्थी के लिए यह अपने आपमें महत्वपूर्ण है जिस विद्यार्थी को औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भी व्यावहारिक भाग में रुचि के क्षेत्र हैं जो निम्न प्रकार हैं:

1) ifj;kstukvksa dk l=c) dju esa lgk;rk djuk

उद्देश्यों को निर्धारित करना, लक्षित जनसंख्या, उनकी आवश्यकताओं और कार्यक्रमों सहित परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करने में सहायता करने की गतिविधियाँ।

2) ifj;kstukvksa dk dk;kZUo;u

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यक्रम घटकों को अलग-अलग करना, जिम्मेदारियों को प्रभागों में बाँटना, लक्ष्य जनसंख्या को गतिशील करना, और विभिन्न कार्यों का निष्पादन तथा उनकी प्रगति की निगरानी करना इत्यादि कार्य शामिल हैं। कार्य

के इस स्तर पर समाज कार्य व्यैक्तिक समाज कार्य, समूह कार्य तथा समुदाय संगठन की प्रणालियों का प्रयोग किया जाए।

3) dk;Øek d lcèk e vk|kfxd {k= d vnj vkj ckgj dk;Øe d çpkj dk lfuf'pr djukA

व्यापक रूप से समाज में औद्योगिक कार्यक्रम को विस्तार से प्रचारित व प्रसारित करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यदि कार्यक्रम समुचित रूप से बड़ा है, ऐसी स्थिति में प्रेस से आशा की जा सकती है कि वह इसका भरपूर प्रचार करेगी। यदि ऐसा संभव न हो तो बैनरों, हैण्डआउट तथा ब्रोशर तैयार करके भी कार्यक्रम को प्रचारित किया जा सकता है।

4) इसी तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता पैदा की जाए और वहीं पर इसके कर्मचारी वर्ग में भी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इससे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी में वृद्धि होगी तथा उनके प्रोत्साहन से औद्योगिक क्षेत्र को इसी तरह के कार्यक्रमों के संचालन और उनमें लगातार संलग्न रहने का साहस मिलेगा। कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध किया जाए ताकि कर्मचारीगण कार्यक्रमों के भागीदार बने और उनको नैतिक संतुष्टि प्राप्त हो सके, इससे वंचित लोगों को सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी। कार्यक्रमों के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समुचित कल्पना की जाए ताकि कर्मचारी गण का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके और उनकी मूल्य प्रणाली को स्वीकार्य बनाया जा सके। इस प्रकार से कार्यक्रम अवधि को नियोजित किया जाए जिससे वे अपने अतिरिक्त समय में समय दे सके और अतिरिक्त गतिविधियों में आसानी से भाग ले सकें। यह केवल तब ही संभव है जब निगमित क्षेत्र द्वारा औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व में निवेश किए गए धन के बारे में प्रचार के रूप में वास्तविक व ठोस प्रति उत्तर प्राप्त हो तथा कर्मचारी वर्ग का नैतिक पक्ष औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व को संवृद्ध और सहयोग देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

5) कार्यक्रम का मूल्यांकन करने की पद्धति से यह अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई तथा कितने कर्मचारियों की भागीदारी और अभी कितनी भागीदारी की आवश्यकता होगी।

समाज कार्यकर्त्ता के लिए औद्योगिक क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व एक उभरता क्षेत्र है। सरकार, संस्थाओं, उत्तरदायित्व क्षेत्रों और समाज विज्ञानियों को सामाजिक क्षेत्र के विकास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाने में लगातार वृद्धि हो रही है। समाज कार्यकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर होंगे कि वे ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करें जिनका आने वाले दशकों में निश्चित रूप से विकसित होना और संवृद्ध होना तय हो।

ckèk Á'u 1

fVIi.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) भारत में औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व में कौन-से तीन प्रमुख तत्व हैं?

.....

.....

.....

5-4 xSj-ljdkjh lxBuksa esa {k= dk;Z

गैर-सरकारी संगठनों (Non-governmental Organisations; NGOs) को निम्नलिखित विशेषताओं से विशेषीकृत किया गया है: (1) बिना लाभ के अभिविन्यास, (2) राज्य और इसके सीधे नियंत्रण से स्वायत्तता, (3) नागर समाज से पहले या प्रोत्साहन, (4) आपसी सहायता, स्व-सहायता और दूसरों की सहायता करने के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना।

गैर-सरकारी संगठनों की प्रमुख विविध प्रकार की विशेषताएँ हैं। इन विविधताओं को गैर-सरकारी संगठनों के आंदोलन के विभिन्न पक्षों में देखी जा सकता है। गैर-सरकारी संगठनों के दृष्टिकोण संबंधी मुद्दे विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार और स्तर इनकी क्षमता और भी विभिन्न प्रकार की होती है।

गैर-सरकारी संगठनों का व्यावसायिकरण बढ रहा है। गैर-सरकारी संगठन व्यावसायिकों को किराए पर या भुगतान करके लेते हैं जैसे कि समाज कार्यकर्ता, वकील, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और प्रबंधन के व्यावसायिकों को भुगतान करके अथवा नियोजन पर रखते हैं। गैर-सरकारी संगठन औपचारिक रूप से कार्य करते हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग विभागों की स्थापना करते हैं। जागरूकता में वृद्धि के साथ ही लोगों ने गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को स्वीकार करना आरंभ कर दिया है। जो लोग समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं वे भी इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से जीविका के लिए शामिल हो जाते हैं।

गैर-सरकारी संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारों के साथ भी सहयोग करते हैं।

xSj-ljdkjh lxBuksa dk dk;Z

(1) विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, (2) बाल देखभाल, परामर्श और कानूनी सहायता जैसे सेवाओं के प्रावधान, (3) सेवाओं की माँग तथा अन्याय के विरुद्ध लोगों को तैयार करना, (4) वंचित अथवा गैर-प्रतिनिधित्व वाले लोगों का समर्थन करना, (5) अनुसंधान, (6) महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों में जागरूकता पैदा करना, (7) असहाय, शरणार्थी, रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आश्रम या अनाथालय संचालित करना, (8) नशे की लत छुड़ाने और पुनर्वास के लिए केन्द्रों की स्थापना करना है।

xSj-ljdkjh lxBuksa esa 0;kogkfjd Hkkx

1) xSj-ljdkjh lxBu] mudh lsok,a rFkk mudh ykHkkfFkZ;ksa dk le>uk

गैर-सरकारी संगठनों के विभिन्न पक्ष होते हैं जो निम्न प्रकार हो सकते हैं:

- संगठन के उद्देश्य
- संगठन का इतिहास
- लाभार्थियों की रूपरेखा
- कार्य का भौगोलिक क्षेत्र
- कौन से अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं

- संगठनात्मक संरचना
- निधि प्राप्त करने के स्रोत, विदेशी निधि (संस्थागत दाता, व्यक्तिगत दाता, सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी) और भारतीय निधि (सरकारी, ग़ैर-सरकारी, औद्योगिक)
- निधि अंशदान के रूप में लोगों का सहयोग
- अभिकरण की संरचनात्मक सुविधाएँ
- अन्य ग़ैर-सरकारी संगठन, सरकारी विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों सहित अन्य अभिकरणों से संबंध स्थापित करना।
- प्रासंगिक तथा सेवाओं की गुणवत्ता पर लाभार्थियों और लोगों के मत
- आंतरिक तथा संगठन के बाहर से अभिकरण की समस्याएँ
- भावी योजनाएँ
- पहचान और पुरस्कार

2) सैवार्थी/ग्राहक और ग़ैर-सरकारी संगठनों के बीच संबंध

- ग़ैर-सरकारी संगठनों-सेवार्थियों के बीच संबंधों की प्रकृति
- ग़ैर-सरकारी संगठनों की विचारधारा तथा विचारधारा अभ्यास अन्तर
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन की तार्किकता
- लक्ष्य स्थापित और उपलब्धि
- वे कारक जो मौजूद हैं, लक्ष्य प्राप्त किए गए/नहीं किए गए।
- लाभार्थियों के प्रति की अभिकरण की विचारधारा
- अभिकरण और लाभार्थियों के बीच संबंध
- अभिकरण के द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की संख्या
- अभिकरण और समुदाय के बीच संबंध
- संभावित कार्य और उनके लिए समय अवधि
- परियोजनाओं की निगरानी के लिए तरीके और साधन
- मूल्यांकन के सूचक
- लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन या उपाय
- प्रभावी लागत प्रभावी कार्यक्रम में क्रियान्वयन सुधार के उपाय।

3) विद्यार्थी को ग़ैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों तथा दस्तावेज़ों से प्राप्त की गई संभावित सूचनाओं के अतिरिक्त भी सूचनाएँ एकत्रित करनी चाहिए।

कुछ महत्वपूर्ण अनुमान होते हैं जिन्हें आप निम्नलिखित बिन्दुओं से संबद्ध करके देख सकते हैं:

- अभिकरण की मूल्य प्रणाली। क्या वह अपनी विचारधारा से जुड़ा है, या उसे यथापूर्व रखना चाहता है या उसे अच्छा बनाने के लिए परिवर्तन करना

चाहता है? क्या दीर्घावधि के आधार पर अपने सेवार्थीयों को सशक्त बनाना चाहता है या फिर सेवार्थी को अन्य पर निर्भर रहने के लिए अस्थायी राहत देना चाहता है?

- क्या संगठन अपने कार्यों का मार्गदर्शन करते समय स्वतंत्रता, न्याय, प्रतिष्ठा, लोकतंत्र और स्वेच्छा का पालन करता है? प्रायः उपर्युक्त मूल्यों के सभी स्थितियों में पालन करना स्वीकार करने की आशा करना अप्रासंगिक होता है। बहरहाल, यह आप पर निर्भर करता है कि क्या परिवर्तन कितना अच्छा है। कर्मचारी वर्ग के प्रति कैसा व्यवहार है?
- क्या ग़ैर-सरकारी संगठन शिक्षा संबंधी संगठन हैं अर्थात् ऐसे संगठन में अपने कार्यों को करने के तरीकों में लगातार परिवर्तन होता रहता है और यह इनका मुख्य अनुमान या आकलन होता है क्योंकि इस क्षेत्र में अनुभवों को लागू किया जाता है। शिक्षण संगठन के पास ऐसा रचनातंत्र होना चाहिए जो अपने क्षेत्र से प्रासंगिक सूचनाओं के एकत्रित करें और फिर उसे ठोस ज्ञान के रूप में परिवर्तित करें, तथा संगठन के सदस्यों को इसमें शामिल करें।
- अनेक ग़ैर-सरकारी संगठन गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं जैसे कि धन का दुरुपयोग, झूठा या अनापशनाप लेखा तैयार करना, सेवार्थी को धोखा देना अथवा उसके साथ अकाल्पनिक व्यवहार करना इत्यादि। इनमें सुधार किया जा सकता है, यदि पारदर्शिता अपनाई जाए, तथा ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा खुलापन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग़ैर-सरकारी संगठनों की स्थिति है, और वह दाताओं, सरकार, सार्वजनिक लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व उत्तरदायित्व का किस प्रकार से पालन करता है?
- क्या ग़ैर-सरकारी संगठन उभरने वाली नई स्थितियों की व्यवस्था करने के लिए अभिकरण की कार्यक्षमता की वृद्धि करने के लिए नियमित कार्यक्रमों का आयोजन करता है?

4) सेवार्थी प्रणाली को समझना

- सेवार्थी का सामाजिक-आर्थिक विवरण।
- सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ जो समस्या पैदा करने में सहयोग करती हैं।
- समस्या के कारण कारक।
- समस्या समाधान और इसकी सीमाओं के लिए किए गए सरकारी उपाय।
- समस्या समाधान के लिए ग़ैर-सरकारी उपाय।

5) अभिकरण में समाज कार्य-व्यैक्तिक समाज कार्य, समूह कार्य और समुदाय संगठन के अभ्यास की प्रणालियाँ। समाज कार्य अभ्यास की प्रणालियाँ निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती हैं:

- अभिकरण का दर्शन, प्रणालियाँ, मूल्य और उपलब्ध संसाधन।
- कार्यक्रमों का सामुदायिक सहयोग।
- विद्यार्थी का ज्ञान और कौशल।
- विद्यार्थी के पास उपलब्ध समय और संसाधन।

गै़र-सरकारी संगठन में क्षेत्र कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं। इसमें विद्यार्थी को गै़र-सरकारी संगठनों के क्षेत्र को समझने का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र के महत्व में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सरकार समाजिक क्षेत्र में आर्थिक मदद को कम कर रही है तथा इसके विस्तार को भी संकुचित कर रही है। स्वयंसेवी क्षेत्र के द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर काबिज होने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा यह भविष्य में संभव होने जा रहा है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समाज कार्य व्यावसायिकों की आवश्यकता होगी।

5-5 nkrk lLFkkvk e {k= dk;Z

दाता अभिकरण वह अभिकरण होता है जो अन्य संगठनों के कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी प्रशासनिक लागतों को पूरी करने के लिए धन देता है। दाता अभिकरण के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1) vk|kfxd 0;fDrxr nkrkvk vkj fgrdkjh legk l foÙkh; lalkèkuk dk ,df=r djukA

दाता अभिकरण का प्रमुख कार्य संसाधनों को संग्रहण करना है। यह बहुत ही प्रमुख मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान का आयोजन करता है जैसे कि गरीबी, बाल अधिकार और बाल देखभाल, महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा, अथवा अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जिन्हें अभिकरण महत्वपूर्ण समझता है। अभिकरण किसी व्यक्ति से आर्थिक सहायता के लिए एकमुश्त दान देने अथवा सामयिकता के आधार पर आर्थिक मदद के लिए अनुरोध कर सकता है। वे अभिकरण के पक्ष में कोई वसीयतनामा लिखकर वसीयत दान कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी सामाजिक कार्यों के आर्थिक सहायता देने की नीति का पालन करते हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को दान देने के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। ये लोग फिर दाता अभिकरणों अथवा गै़र-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता या दान देते हैं। प्रायः दाता अभिकरण संचार माध्यमों से मुद्दों को प्रचारित करने के लिए बहुत अधिक तैयारी करते हैं तब जाकर लोग इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं।

2) गै़र-सरकारी संगठन ऐसा चयन करें जिसकी साख प्रतिष्ठापूर्ण, सक्षम और लक्ष्य समूहों के प्रति सकारात्मक छवि वाला हो। असंख्य गै़र-सरकारी संगठन हैं जोकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अनेक गै़र-सरकारी संगठन अपने कार्यक्रमों के संचालन की सहायता के लिए आवेदन करते हैं। दाता अभिकरण गै़र-सरकारी संगठनों का अध्ययन करता है (1) इसकी दार्शनिकता और दृष्टिकोण, (2) कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति का रिकार्ड, (3) अभिकरण का मानव संसाधन और इसका नेतृत्व (4) इसका लक्ष्य जनसंख्या के साथ संबंध, (5) कार्य का क्षेत्र, (6) सरकार के साथ इसके संबंध, (7) इसकी वित्तीय स्थिति।

दाता अभिकरण को चाहिए कि वह ऐसे संकेतकों के स्वरूप में मानदण्डों को विकसित करें जिससे सहायता प्राप्त करने वाले अभिकरणों का मूल्यांकन कर सके ताकि सही अभिकरण को सहायता प्राप्त हो। अभिकरण को जाँचकर्त्ताओं को प्रतिनिधि के रूप में दान माँगने वाले अभिकरण के कार्य क्षेत्र में भेजकर सही सूचनाएँ ला सकेंगे। इन सभी सूचनाओं का प्रयोग आर्थिक सहायता के लिए चयन किए गए अभिकरण के संबंध में निर्णय लेते समय किया जा सकेगा।

3) p;fur vfHkdj.kksa dk vkfFkd lgk;rk vkj mudh dk;Z çxfr dh fuxjkuh djuk

दाता अभिकरणों को चाहिए कि वे अभिकरणों को आर्थिक सहायता निश्चित समय के लिए दे। नियमित आधार पर कार्य की प्रगति की निगरानी की जाए और इस कार्य के लिए फिर से प्रयोग करने के लिए संकेतकों को सूत्रीबद्ध किया जाए। क्षेत्र दौरे क्षेत्र से प्राथमिक सूचना प्राप्त करने के लिये किया जाए। जहाँ पर आवश्यक हो उस क्षेत्र के संबंध में सलाह दी जानी चाहिए। यदि कार्यान्वयन में कुछ गलतियाँ दिखाई दें तो उनमें सुधार किया जाना आवश्यक है। अभिकरणों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए सुधार किए जाएँ।

4) eY;kdu vkj ckn dh fLFkfr dk vkdyu

दाता अभिकरण द्वारा कार्य का मूल्यांकन करना तथा अनेक मामलों में यदि विस्तार की आवश्यकता हो तो, उसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए संकेतकों की आवश्यकता होती है जिससे समुदाय पर परियोजना के प्रभावों का पता लगाया जा सकेगा। आजकल दाता अभिकरण लगातार परियोजनाओं के संचालन के लिए निर्णय लेने में पहल कर रहे हैं और वे लोगों के विश्वास और उनके सहयोग का लाभ उठा रहे हैं।

nkrk vfHkdj.kksa dh fØ;kdyki

दाता अभिकरणों में क्षेत्र कार्य अन्य की तुलना में नया क्षेत्र है। प्रायः दाता अभिकरण व्यैक्तिक समाज कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक संगठन की समाज कार्य प्रणालियों के अभ्यास के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं। कुछेक दाता अभिकरण जो अपने स्वयं की परियोजनाओं का संचालन करते हैं जिनमें अभ्यास के लिए इन मामलों में अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

विद्यार्थी निम्नलिखित क्रियाकलापों का निष्पादन कर सकते हैं:

1) lgk;rk lxg.k vkj lgk;rk forj.k dh jktuhfr dk le>uk

आर्थिक सहायता का उद्देश्य हमेशा परोपकारी नहीं होता है यह प्रायः राजनीतिक होता है। इसमें चोरी-छिपे राजनीतिक या सामाजिक कार्यसूची को सामने रखकर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। करात (1985) विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि भारत और अन्य विकासशील देशों में ग़ैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता देते समय दाताओं का यह उद्देश्य रहता है कि वे उन अभिकरणों को ही सहायता देते हैं जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विकसित देशों के हितों को बनाए रखें उनका संरक्षण में सहयोग प्रदान कर सकें। इनके अनुसार वित्तीय सहायता का प्रमुख उद्देश्य है कि साम्राज्यवादी के व्यापक विरोधियों, पूँजीवादी विरोधी आंदोलनों को खंडित करना जाति तथा लैंगिक स्तर पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना तथा सुधारवादियों के इन आंदोलनों के उद्देश्य के साथ पूर्व के क्रांतिकारी विचारों को कमजोर करना तथा उनमें परिवर्तन करना है। दूसरे मामले में अन्य दाता अभिकरण का मुख्य उद्देश्य जन्म नियंत्रण उपायों को अपनाने के साथ गरीबी कम करने का लक्ष्य है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

बहरहाल, यह नहीं कह सकते हैं कि सभी सहायता नकारात्मक होती है और समाज को हानि पहुँचाएगी। उदाहरण के लिए बाढ़ सहायता के लिए भारत यूरोपीय देशों से खाद्यान्न सहायता प्राप्त करता है जिसका प्रयोग सविवेक से किया गया तथा भारत को

दुग्ध का व्यापक उत्पादक बनाने के लिए अंशदान किया गया। इसलिए विद्यार्थी को दाता अभिकरण के कार्यों के बहुआयामों को समझना चाहिए।

विद्यार्थी को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दाता अभिकरण के विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए।

अभिकरण का क्या उद्देश्य है?

दाता अभिकरण की प्रमुख अभिकल्पना क्या है?

समाज में अपने लिए क्या भूमिका दर्शाना चाहते हैं?

वह कौन-सी विचारधारा को मानते हैं?

इसके पीछे प्रमुख कौन-से लोग हैं?

वे अभिकरण क्यों सहायता देना चाहते हैं?

इन पहलों के पश्चात् गत वर्षों में अभिकरण ने कौन-से परिवर्तनों का अनुभव किया है?

2) çf'k{k fo|kFkhZ fuxjkuh vkj eY;kdu dh fy, ldrdk dk ç;ksx esa vuqHko çkIr dj ldrk gSA

परियोजना की प्रगति के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए दाता अभिकरण प्रायः कार्य अनुसंधान को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रायः आधाररेखा सर्वेक्षण लक्ष्य क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को समझने के लिए परियोजना के आरंभ में पूरा किया जाता है तथा इसके पश्चात् हस्तक्षेप के बाद अनुसंधान के निष्कर्षों के साथ तुलना की जाती है। अनुसंधान के इस तरह के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण तत्व (अनुसंधान के पहले और बाद में) हस्तक्षेप के कारण सेवार्थीयों के व्यवहार में यदि किसी प्रकार को परिवर्तन के संकेतकों की तैयारी की जाती है। संकेतकों को बहुत ही सावधानी से निर्मित किया जाए। वे वास्तविक, प्रदर्शित करने वाले और बुद्धिपरक हों। प्रायः अभिकरण संकेतकों को अन्य अभिकरणों जैसे कि विश्व बैंक से उधार लेते हैं। दाता अभिकरण में काम करने वाले विद्यार्थी के लिए अनुसंधान के इस प्रकार के प्रयोग को सीखना बहुत महत्व रखता है।

3) nkrk vfHkdj.k dh }kjk fjikfVZx ç.kkyh dk çn'kZu

संकेतकों और अनुसंधान के सूत्रीकरण से संबंधित रिपोर्टिंग व्यवस्था जिसका प्रयोग हस्तक्षेप के कारण प्रगति के समझने के लिए लगातार दाता अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। अभिकरण के अंतर्गत रिपोर्टिंग करना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और एक प्रमुख गतिविधि है।

4) ifj;kstuk çLrko rFkk p;u dju dh ekin.M dk çn'kZu

एक दाता अभिकरण विभिन्न अभिकरणों से सहायता राशि के लिए बहुत सारे प्रस्ताव स्वीकार करेगा जिसका मूल्यांकन अपने स्वयं के मानदण्डों के आधार पर निर्णय लेगा। अभिकरण द्वारा अपनाई कार्यनीति के आधार पर उपलब्ध विभिन्न प्रस्तावों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिन्हें आगामी सहायता राशि देनी है। विद्यार्थी उन कारकों को सीख सकता है जिनके माध्यम से प्रस्ताव का आकलन किया जा सकता है। कई बार

परियोजनाओं के चयन में बाह्य कारक अत्यधिक काम करते हैं जैसे कि व्यक्तिगत कारक अपनी अत्यधिक भूमिका निभा सकते हैं। यदि प्रशिक्षार्थी वरिष्ठ कार्मिक सदस्य से यह चर्चा करने का प्रयास करता है कि प्रस्ताव का किस प्रकार से मूल्यांकन होता, ऐसा करने पर उसके शिक्षण में अत्यधिक शिक्षण या सीखने का अवसर मिलेगा।

5) çxfr dh fuxjkuh d fy, {k= nkjk djuk

दाता अभिकरण प्राय उन अभिकरणों का क्षेत्र दौरा करता है जिन्हें वे सहायता राशि उपलब्ध कराता है ताकि उनकी प्रगति का आकलन किया जा सके। यदि इस प्रकार के क्षेत्र दौरे पर दाता अभिकरण प्रशिक्षार्थी को अपने कार्मिकों के साथ क्षेत्र दौरे की अनुमति दे देता है तो उसे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होंगे तथा अभिकरणों के विभिन्न कार्यों को देखने का अवसर मिलेगा जो प्रशिक्षार्थी के लिए अभूतपूर्व होंगे। उसे यह भी देखने और आकलन का अवसर मिलेगा कि दाता अभिकरण के कर्मचारीगण सहायता प्राप्त करने वाले अभिकरण के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और अपने स्पष्टीकरण के लिए किस प्रकार के प्रश्न करते हैं और उनका किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है।

6) vl{kerk] Hk"Vkpkj vkj dçcèku l fuiVuk

अधिकतर दाता अभिकरणों का उन अभिकरणों से सामना होता है जिन्हें वे सहायता उपलब्ध कराते हैं और वे अभिकरण असक्षम, भ्रष्टाचारी और कुप्रबंधन से ग्रसित होते हैं। वे किस प्रकार से दोषी पक्षों का सामना करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ग़ैर-सरकारी संगठन समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लगातार खोते जा रहे हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये केवल गलत तरीके से धन कमाने वाले संगठन हैं। इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाने अथवा उन पर पाबन्दी लगाने के लिए दाता अभिकरण कई प्रकार से निपटती है जिसमें याचिका दाखिल करना ग़ैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डालना और उनकी सहायता राशि का निलम्बन अथवा बंद करना शामिल है।

अधिकतर दाता अभिकरणों ने इस प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण कर लिया है। वे शिकायतों की जाँच करते हैं तथा लिखित में स्पष्टीकरण माँगते हैं। अन्य उपाय, मौके पर अचानक जाँच करते हैं और उनके लेखों की छानबीन करते हैं।

7) dk;Øe fuekk.k dh gfl;r e vkdyu vkj Hkkxhnkjh

प्रायः दाता अभिकरण संगठनात्मक विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगठनों की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संचालन या व्यवस्था करते रहते हैं। विद्यार्थी इन नियोजक तथा इन कार्यक्रमों के निष्पादन के प्रदर्शन से लाभ उठा सकते हैं।

यह एकदम सही संभावना है कि दाता अभिकरण अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में सीधे सम्मिलित होने के लिए अनुमति नहीं दे सकती हैं। बहरहाल, विद्यार्थी स्टाफ के सदस्यों से सूचना प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकता है। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि विद्यार्थी को दाता अभिकरण में क्षेत्र कार्य करने से पहले उन्हे समाज कार्य प्रणाली - व्यैक्तिक समाज कार्य, समूह कार्य तथा सामुदायिक संगठन और क्षेत्र में सीधे अनुभव के अभ्यास में अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उस विद्यार्थी का क्षेत्र कार्य अपूर्ण माना जाएगा यदि वह लक्ष्य समूह में सीधे अनुभव प्राप्त नहीं करता है।

ckèk Á'u 2

fVli.kh: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) दाता अभिकरणों के प्रमुख कार्य क्या हैं?

.....

.....

.....

5-6 lkjk'k

औद्योगिक, दाता अभिकरण और ग़ैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे जहाँ पर समाज कार्यकर्ता भविष्य में नियोजित होगा। इन क्षेत्रों में विद्यार्थी के लिए क्षेत्र कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शक्ति और कमज़ोरियाँ होती हैं। इनमें से प्रत्येक समाज कार्य और समाज कार्य प्रशिक्षार्थी को विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ देता है।

बहरहाल, मुख्य उद्देश्य प्रणाली का अभ्यास करना है। इन क्षेत्रों के प्रदर्शन के माध्यम सामाजिक कार्य से आपको सीखना चाहिए कि कौन-सी प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाएगा तथा इन प्रक्रियाओं में विभिन्न भागीदारों को कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी।

5-7 dN mi;kxh iLrd

कुमार, रीता (2004), *दि स्टेट और सी.एस.आर. इन इंडिया 2004,* एकनालेजिंग प्रोग्रेसस, प्राइओरिटाइलिंग एक्सन, बैकग्राउंड पेपर, टी.ई.आर.आई., नई दिल्ली।

करात, प्रकाश (1984), *दि मार्कसिस्ट*।

मैक विलियम्स, ए, सीगेल, एवं वराईट, "कॉर्पोरेट सोशल रिसपोंसिबिलिटी, स्ट्रेटिजिक इम्पलीकेशन्स", *जर्नल ऑफ मैनेजमेंट,* 43।

स्क्वार्ज, एम.एस. (2011) ''कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी; *एन एथिकल एप्रोच'' ब्रॉडव्हियू प्रेस,* यूएसए।

;

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY